मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2009 फाल्गुन 1, शक 1930

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्र.बी-4-11-2005-चौदह-2.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख 12 फरवरी सन् 2009 को उक्त उपधारा के प्रयोजनार्थ दिनांक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है.

No.B-4-11-2005-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009), the State Government hereby specifies the 12th day of February, 2009 as the date for purpose of the said sub-section.

क्र.बी-4-11-2005-चौदह-2.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 6 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख 12 फरवरी सन् 2009 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको कि उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों के भीतर कृषि तथा उससे संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में हाथ में लिए गए या संचालित किए गए शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के साथ समन्वय तथा एकीकरण किया जायेगा.

No.B-4-11-2005-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009), the State Government hereby specifies the 12th day of February, 2009 as the date on which the Education, Research and Extension work undertaken or conducted in the field of Agriculture and Allied science with in the areas specified in sub-section (1) of said Section of the said Act shall be co-ordinate and integrated into the activities of the Vishwavidyalaya.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवेश शर्मा, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित— 2009.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी 2009—माघ 23, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्र. 912-48-इक्कीस-आ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 फरवरी 2009 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २००९.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९.

विषय-सूची.

अध्याय—एक

प्रारंभिक.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.

२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय.

३. निगमन.

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

५. विश्वविद्यालय की शक्तियां.

६. प्रादेशिक अधिकारिता.

७. विश्वविद्यालय को कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन, आदि के लिए व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.

८. राज्य में अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के पाठ्यक्रमों को पूरा करना.

९. विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारधारा पर ध्यान दिए बिना सब लोगों के लिए खुला रहेगा.

१०. विश्वविद्यालय में अध्यापन.

११. विश्वविद्यालय का निरीक्षण और उसकी जांच.

अध्याय—तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१२. विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१३. कुलाधिपति.

१४. कुलाधिपति की शक्तियां.

१५. कुलपति.

१६. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें.

१७. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.

धाराएं :

१८. कुलपति का हटाया जाना.

१९. लेखा नियंत्रक.

२०. कुल सचिव.

२१. निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं तथा निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण.

२२. अन्य अधिकारी.

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२३. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२४. समन्वय परिषद् का गठन.

२५. समन्वय परिषद् का सम्मिलन और उसमें गणपूर्ति.

२६. समन्वय परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

२७. बोर्ड का गठन.

२८. बोर्ड का सम्मिलन.

२९. बोर्ड की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

३०. विद्या परिषद्.

३१. विद्या परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

३२. संकाय.

३३. अध्ययन-विभाग.

३४. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी.

३५. कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा कृषिक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवाएं.

अध्याय—पांच

विश्वविद्यालय निधि आदि.

३६. विश्वविद्यालय निधि.

३७. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जा सकेगी.

अध्याय—छह

परिनियम तथा विनियम.

३८. परिनियम.

३९. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

धाराएं :

४०. विनियम.

अध्याय—सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे आदि.

४१. वार्षिक रिपोर्ट.

४२. लेखे तथा संपरीक्षा.

अध्याय—आठ

अनुपूरक उपबंध.

४३. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

४४. समितियों का गठन.

४५. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

४६. रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.

४७. सेवा की शर्तें.

४८. पेंशन तथा भविष्य निधि.

४९. कार्य तथा आदेशों का संरक्षण.

५०. प्रथम कुलपति की नियुक्ति और उसकी असाधारण शक्तियां.

५१. बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति.

५२. अध्यापकों के वेतन.

५३. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि.

५४. विश्वविद्यालय के सदस्यों या अधिकारियों का त्यागपत्र.

५५. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाना.

५६. कठिनाइयों का दूर किया जाना.

५७. संपत्ति तथा कार्मिकों का अन्तरण.

५८. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५९. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध.

६०. प्रादेशिक अधिकारिता के संबंध में अध्यारोही प्रभाव.

६१. निरसन और व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २००९.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , २००९.

[दिनांक 10 फरवरी, 2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 फरवरी, 2009 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा की और उनमें अनुसंधान को अग्रसर करने की तथा उनसे आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने हेतु ग्वालियर में कृषि तथा संबद्ध विज्ञान के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक

प्रारंभिक.

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ है.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कृषि विज्ञान" से अभिप्रेत है, मृदा तथा जल-प्रबंध, फसल और पशु-धन-उत्पादन का बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान;

(ख) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का ऐसा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय के बोर्ड तथा प्रधान कार्यपालक अधिकारी के सीधे नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन हो, चाहे वह मुख्यालय केम्पस में या अन्यत्र स्थित हो;

(ग) "विस्तार कार्य" से अभिप्रेत है, कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान की समस्याओं को अभिनिश्चित करने, अनुसंधान के परिणामों का विस्तार और प्रसार करने और ऐसे प्रसार के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये हाथ में लिए गए समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम;

(घ) "छात्रावास" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की इकाई जिसकी व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती हो, जिसका अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई हो;

(ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-८५-पच्चीस-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर १९८४ द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातक;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियां;

(झ) "परिनियम तथा विनियम" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियम तथा विनियम;

(ञ) "विश्वविद्यालय का विद्यार्थी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो सम्यक् रूप से संस्थित उपाधि, डिप्लोमा या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टता के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित है;

(ट) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो शिक्षण देने और/या अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रमों का संचालन करने तथा पथ प्रदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य किया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित किया जाए;

(ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय.

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय.

निगमन.

३. (१) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के बोर्ड के तथा विद्या परिषद् के प्रथम सदस्यों को और ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक कि वे ऐसा पद धारण किए रहें या ऐसे सदस्य बने रहें, मिलाकर, एतद्द्वारा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है.

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा.

(३) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित होगा.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के अन्य प्रयोजनों के साथ ही निम्नलिखित प्रयोजन होंगे:—

(क) कृषि तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा की व्यवस्था करना;

(ख) विशेषतः कृषि तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य को अग्रसर करना;

(ग) क्षेत्र विस्तार, कार्यक्रमों को हाथ में लेना; और

(घ) ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त से संबंधित ऐसे अन्य प्रयोजन जैसे की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, निदेशित करे.

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

५. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करना तथा धारण करना, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई हो, पट्टे पर देना, बेचना या अन्यथा अन्तरित करना;

(ख) निम्नलिखित के अध्ययन को संवर्धित करना तथा उसमें अभिवृद्धि करना तथा उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना:—

(एक) कृषि, पशु पालन, कृषि अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, ग्रामीण उद्योग तथा कारबार और अन्य संबद्ध विज्ञान; और

(दो) विद्या की ऐसी अन्य शाखाएं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;

(ग) कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य के लिए तथा उनके ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसार के लिए व्यवस्था करना और कृषि विस्तार सेवाओं को, जिनके अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र और ग्रामीण युवक कार्यक्रम आता है, संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(घ) उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना;

(ङ) महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं तथा छात्रावासों को परिनियमों में विहित की गई रीति में चलाना;

(च) अध्यापन पद, अनुसंधान पद तथा विस्तार पद जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(छ) अध्यापकों के लिए अर्हताएं अवधारित करना तथा उन्हें इस रूप में मान्यता देना कि वे कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में किसी महाविद्यालय में शिक्षण देने या उनमें अनुसंधान तथा विस्तार कार्य करने के लिए अर्हित है;

(ज) क्षेत्र कार्यकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित न हों, ऐसे व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(झ) ऐसी प्रयोगशालाओं, ऐसे पुस्तकालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों; संग्रहालयों, कृषि फार्मों, जिनके अन्तर्गत अभिजनन फार्म, कुक्कुट पालन फार्म, मत्स्य पालन फार्म तथा उसी प्रकार के अन्य फार्म आते हैं, कृषि कर्मशालाओं तथा ऐसे अन्य उपस्करों का स्थापन करना जिनका कि कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में स्थापित करना विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ञ) परीक्षाएं संचालित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विश्वविद्यालय के अधीन अध्ययन पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, डिप्लोमा देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ट) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अधीन स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य किया हो उपाधियां और/या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ठ) अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मानिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं परिनियमों में विहित की गई रीति में तथा शर्तों के अधीन प्रदान करना;

(ड) परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अनुसार न्यासों तथा विन्यासों (एन्डाउमेन्ट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां (फैलोशिप्स) (जिनके अन्तर्गत यात्रा अध्येतावृत्तियां आती हैं), छात्रवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां (एक्जीविशन्स), वजीफे (बर्सरीज) पदक एवं अन्य इनाम संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(ढ) महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की अन्य शाखाओं के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य का उचित स्तर बनाए रखा जाता है;

(ण) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों को, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं नियत करना, उनकी मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(त) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य विकास एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन का इंतजाम करना;

(थ) प्रशासनिक लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(द) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :—

(एक) सूचना ब्यूरो;

(दो) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(तीन) नियोजन ब्यूरो;

(ध) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :—

(एक) बहिर्वर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान;

(दो) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(तीन) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(न) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहयोग करना;

(प) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना जो चाहे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों.

प्रादेशिक अधिकारिता.

६. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर और राजगढ़, राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों पर होगा.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित हों और जो कृषि तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में स्नातक उपाधि के लिए और/या उससे ऊपर का शिक्षण प्रदान करती हों, भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से सहयुक्त नहीं किया जाएगा और न उसको कोई विशेषाधिकार ही दिया जाएगा और कोई भी ऐसा विशेषाधिकार, जो किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा उन सीमाओं के भीतर स्थित किसी शिक्षण संस्था को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रत्याहृत हो गया समझा जाएगा और ऐसी संस्थाएं उस तारीख तक, जिसको कि वे धारा ५७ के अधीन विश्वविद्यालय को अंतरित की जाएं, विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेंगी.

(३) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में हाथ में लिये गये या संचालित किए गए अनुसंधान या विस्तार कार्य का विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के साथ समन्वय तथा उनमें एकीकरण,—

(क) ऐसी तारीख या तारीखों से किया जाएगा जिसे/जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे तथा समन्वय एवं एकीकरण के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी; और

(ख) ऐसी रीति में तथा उस सीमा तक किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए.

विश्वविद्यालय को कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन आदि के लिए व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.

७. (१) विश्वविद्यालय को कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने के लिए धारा ६ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण क्षेत्रों पर अनन्य अधिकारिता होगी और राज्य में के किसी अन्य विश्वविद्यालय के निगमन से संबंधित विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अन्य विश्वविद्यालय कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए सक्षम नहीं होगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर, इन्दौर, सीहोर, खण्डवा, गंजबासौदा उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर और पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, महू (इन्दौर) का कोई भी ऐसा विद्यार्थी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था या उसमें बैठने के लिए पात्र था, जैसी भी की दशा हो, उस परीक्षा को

तैयारी के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति में, जैसी की परिनियमों द्वारा विहित की जाए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा.

राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों को पूरा करना.

८. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों और विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) राज्य के भीतर अवस्थित और किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के किसी विद्यार्थी को; या

(दो) किसी अन्य विद्यार्थी को जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के कृषि या अन्य सहबद्ध विज्ञान में, किसी परीक्षा के लिए, जैसी भी दशा हो, अध्ययन कर रहा था या उसके लिए पात्र था,

उसकी तैयारी हेतु अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय, ऐसी कालावधि के लिए, जो पांच वर्ष से अनधिक हो और ऐसी रीति में जैसी कि परिनियमों द्वारा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा के लिए विहित की जाए, उपबंध करेगा.

विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारधारा पर ध्यान दिए बिना सब लोगों के लिए खुला रहेगा.

९. विश्वविद्यालय के लिए यह विधि पूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को—

(क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होने; या

(ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या सम्मिलित किए जाने; या

(घ) किसी उपाधि, डिप्लोमा या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताओं या किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने या किसी उपाधि, डिप्लोमा या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताओं में अर्हता प्राप्त करने; या

(ङ) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसके उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य विचारधारा संबंधी कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित करें:

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या संस्था को अनन्य रूपेण महिलाओं के लिए चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या नियंत्रित किए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के प्रयोजनों के हेतु महिलाओं के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों तथा समुदायों के, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हों, सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि इस धारा में की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करती है कि वह परिनियमों में विहित की गई संख्या से अधिक संख्या में या परिनियमों में विहित की गई शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं से कम अर्हता वाले विद्यार्थियों को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दे:

परन्तु यह और कि इस धारा में की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के या किन्हीं अन्य पिछड़े वर्गों या समुदायों के, जो कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों, निर्धन व्यक्तियों को अध्ययन पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने से या ऐसे पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस में पूर्णत: या अंशत: छूट देने से विश्वविद्यालय को निवारित करती है.

स्पष्टीकरण.—कोई भी व्यक्ति इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए "निर्धन व्यक्ति" समझा जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति या उसके संरक्षक की (जहां ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका तथा शिक्षा के लिए ऐसे संरक्षक पर आश्रित हो) वार्षिक आय ऐसी रकम से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, कम हो.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

१०. (१) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन कार्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा ऐसी स्कीम के अनुसार, जो विद्या परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विरचित की जाए, संचालित किया जाएगा और उसके अन्तर्गत आयेगा व्याख्यान देना, अवबोधकीय कक्षाएं (ट्यूटोरियल क्लासेज) लगाना, प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) और अन्य अध्यापन कार्य, जो विनियमों द्वारा विहित किए गये अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाए.

(२) ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों की तथा उन विद्यार्थियों की, जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, अधिकतम संख्या, परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी.

(३) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विनियमों द्वारा विहित की जाएगी.

विश्वविद्यालय का निरीक्षण और उसकी जांच.

११. (१) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेश दें, सामान्यतः विश्वविद्यालय का तथा विशिष्टतः ऐसे अन्य विषयों का, जैसे उसके भवनों, कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों तथा फार्मों, कार्यशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या छात्रावास का, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित अध्यापन तथा अन्य कार्य का और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण करवाए और विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले की जांच करवाए:

परन्तु राज्य सरकार प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा.

(२) ऐसा या ऐसे व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे, और राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संबंध में अपने विचार बोर्ड को संसूचित करेगी तथा बोर्ड तदुपरि अपना दृष्टिकोण कुलाधिपति को संसूचित करेगा जो विश्वविद्यालय को की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में, यदि कोई हो सलाह दे सकेगा.

(३) जहां बोर्ड, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्रवाई नहीं करता, वहां कुलाधिपति बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे कि वह उचित समझे, और बोर्ड उनका अनुपालन करेगा.

(४) निरीक्षण की रिपोर्ट तथा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप कुलाधिपति द्वारा जारी किए गए निदेश विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

अध्याय—तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

१२. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) कुलसचिव;

(घ) लेखानियंत्रक;

(ङ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(च) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं;

(छ) निदेशक, विस्तार सेवाएं;

(ज) निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण;

(झ) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;

(ञ) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं.

कुलाधिपति.

१३. मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

कुलाधिपति की शक्तियां.

१४. (१) कुलाधिपति—

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा; और

(ख) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा ४३ के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निदेशित कर सकेगा.

(२) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी भी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अनुरूप न हो, बातिल कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व, वह संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को यह हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कोई हेतुक दर्शित किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा.

(३) कोई सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अध्यधीन होगी.

(४) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए.

कुलपति.

१५. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित नहीं करता है या ऐसी समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति स्वीकार करने के लिए रजामंद ना हों, तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा सीधे ही नियुक्त किया जाएगा.

(२) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) उन व्यक्तियों में से, जो विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से नियोजित न किए गए हों; बोर्ड द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति;

(दो) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) कुलाधिपति, उपधारा (२) के अधीन समिति का गठन, कुलपति की पदावधि का अवसान होने के पूर्व बोर्ड तथा राज्य सरकार से उनके नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए कहकर करेगा और यदि उनमें से एक या दोनों इस संबंध में कुलाधिपति की संसूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर वैसा करने में असफल रहते हैं तो

कुलाधिपति, किसी एक या ऐसे दो व्यक्तियों को, जैसी भी कि दशा हो, नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा या उनकी ओर से नियोजित न हों और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों के बारे में समझा जाएगा कि वे बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं, जैसी भी की दशा हो.

(४) समिति, अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए, तालिका प्रस्तुत करेगी.

(५) यदि समिति उपधारा (४) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

(६) कुलपति, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी.

(७) कुलपति की मृत्यु या उसके पद त्याग के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया संकाय का संकायाध्यक्ष, कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई नया कुलपति, जो ऐसी रिक्ति को भरने के लिए उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया हो, अपना पद ग्रहण कर ले:

परन्तु इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति छह मास से अधिक कालावधि के लिए पद धारण नहीं करेगा.

(८) जहां कुलपति का पद छुट्टी, रुग्णता या अन्य कारण से अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, वहां कुलाधिपति, यथासंभव शीघ्र, कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी कि वह उचित समझे.

(९) जब तक कि उपधारा (७) के अधीन नामनिर्देशन न किया गया हो या उपधारा (८) के अधीन व्यवस्था न की गयी हो, कुलसचिव और यदि कोई कुलसचिव नियुक्त न किया गया हो, या यदि कुलसचिव का पद किसी भी कारण से रिक्त है, तो विश्वविद्यालय का ऐसा अधिकारी, जिसे कुलाधिपति निदेश दे, कुलपति के नित्यप्रति के कर्तव्यों का संपादन करेगा.

(१०) उपधारा (८) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति या उपधारा (९) के अधीन कुलसचिव द्वारा या कुलपति के नित्यप्रति के कर्तव्यों का संपादन करने के लिए उपधारा (९) के अधीन कुलाधिपति द्वारा निदेशित किए गए अधिकारी द्वारा किए गए समस्त कार्यों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे कुलपति द्वारा किए गये कार्य हैं.

कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें.

१६. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ किन्तु उनमें उसकी नियुक्ति के पश्चात् ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उसके लिए अलाभकारी हो.

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.

१७. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह बोर्ड का तथा विद्या परिषद् पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होगा तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों का अध्यक्ष होगा जिनका को वह सदस्य हो और वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो.

(२) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(३) कुलपति को बोर्ड तथा विद्या परिषद् के सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी.

(४) किसी भी ऐसी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय को करेगा जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता:

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई तीन मास से अधिक कालावधि के लिए किसी आवर्ती व्यय के संबंध में विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की जाएगी.

(५) जब उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति को प्रभाव डालती हो, तो ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्रवाई संसूचित की जाती है. तीस दिन के भीतर, उक्त उपधारा में वर्णित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की मार्फत बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा.

(६) कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जाएगी जब तक कि उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा अपास्त न कर दी जाए या उपधारा (५) के अधीन बोर्ड द्वारा उपांतरित या अपास्त न कर दी जाए.

(७) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा.

(८) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

कुलपति का हटाया जाना.

१८. (१) यदि, किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझा जाए, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि—

(एक) कुलपति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है; या

(दो) कुलपति ने किसी ऐसी रीति में कार्य किया है जो विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है; या

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारण कथित किये जाएंगे, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई करना प्रस्तावित है, विशिष्टियां कुलपति को संसूचित नहीं कर दी जातीं और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर उसे नहीं दे दिया जाता.

(३) उपधारा (१) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.

लेखा नियंत्रक.

१९. (१) लेखा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी जो इस निमित्त बनाए जाएं और उसकी उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(२) जहां लेखा नियंत्रक का पद छुट्टी, रूग्णता या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, वहां कुलपति लेखा नियंत्रक के नित्य प्रति के कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी कि वह उचित समझे.

(३) लेखा नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और बोर्ड को उसकी वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह देगा;

(ख) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा वित्तिधानों का प्रबंध करेगा;

(ग) यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं जिसके लिये वे मंजूर या आवंटित किए गए हैं और विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाता है जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं.

कुलसचिव.

२०. कुलसचिव पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह बोर्ड के तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा और उसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी जो इस निमित्त बनाए जाएं और उसकी उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं और निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण.

२१. (१) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं तथा निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण होंगे जो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी, जो इस निमित्त बनाए गए हों.

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(३) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं तथा निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा उनको प्रदत्त की जाएं या उन पर अधिरोपित किए जाएं.

अन्य अधिकारी.

२२. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की, जो धारा १२ में निर्दिष्ट है, नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२३. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :—

(एक) समन्वय परिषद्;
(दो) बोर्ड;
(तीन) विद्या परिषद्;
(चार) संकाय; और
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

समन्वय-परिषद् का गठन.

२४. राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों का समन्वय करने के लिए एक परिषद् होगी, और परिषद् का गठन राज्य सरकार के आदेश द्वारा किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक)	भारसाधक मंत्री, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन	—	अध्यक्ष
(दो)	कृषि उत्पादक आयुक्त	—	सदस्य
(तीन)	कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति	—	सदस्य
(चार)	संबंधित विश्वविद्यालयों के निदेशक, विस्तार तथा निदेशक, अनुसंधान	—	सदस्य
(पांच)	कृषि विश्वविद्यालयों के समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष	—	सदस्य
(छह)	मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मछली पालन, पशुपालन, आदिम जाति कल्याण तथा वित्त विभाग के सचिव.	—	सदस्य
(सात)	संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलसचिव	—	सदस्य
(आठ)	संबंधित विभागों के लेखा नियंत्रक	—	सदस्य
(नौ)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.	—	सदस्य

परिषद् का सम्मिलन और उसमें गणपूर्ति.

२५. (१) समन्वय परिषद् एक कलेण्डर वर्ष में दो बार तथा ऐसे अन्तरालों पर जैसा कि समन्वय परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, सम्मिलन करेगी.

(२) समन्वय परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(३) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संयोजक होगा.

(४) समन्वय परिषद् का कोई सदस्य संयोजक को कार्य सूची में सम्मिलित करने के लिए कोई मद भेज सकेगा.

समन्वय परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

२६. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए समन्वय परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(एक) कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थूल नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के उन्नयन और विकास के लिये उपाय सुझाना;

(तीन) राज्य के विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों के बीच समन्वयकारी निकाय के रूप में कार्य करना;

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;

बोर्ड का गठन.

२७. (१) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय की स्थापना होने के दो मास के भीतर बोर्ड का गठन करेगा.

(२) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

पदेन सदस्य—

(एक) कुलपति —अध्यक्ष.

(दो) सचिव, मध्यप्रदेश शासन—

(क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग;

(ख) वित्त विभाग;

अथवा संबंधित सचिव द्वारा पदाभिहित/नामनिर्दिष्ट उपरोक्त विभाग के उपसचिव से अनिम्न पद को कोई अधिकारी;

कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—

(तीन) कृषि में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले दो विख्यात कृषक (एग्रीकल्चरिस्ट);

(चार) राज्य में के दो प्रगतिशील कृषक, जो किसी राजनैतिक दल या उसके निकाय के सदस्य नहीं होंगे;

(पांच) ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता;

(छह) पशुचिकित्सा या पशुपालन वैज्ञानिक, जिसे पशुचिकित्सा या पशुपालन के अनुसंधान या शिक्षा का अनुभव हो;

राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—

(सात) कृषि विकास का विशेष ज्ञान रखने वाला एक प्रतिष्ठित उद्योगपति या विनिर्माता;

(आठ) एक विख्यात अभियंता, अधिमानत: कृषि-अभियांत्रिकी की पृष्ठभूमि का पूर्वानुभव रखने वाला;

राज्य विधान सभा द्वारा चुने हुए सदस्य—

(नौ) राज्य विधान सभा के सदस्यों में से, राज्य विधान सभा द्वारा उनमें से चुने हुए तीन सदस्य;

अन्य सदस्य—

(दस) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि जो परिषद् के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(३) कुलसचिव बोर्ड का सदस्येतर सचिव होगा.

(४) पदेन सदस्यों से भिन्न बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी:

परन्तु उपधारा (१) की मद (नौ) के अधीन निर्वाचित हुए बोर्ड के सदस्य, उस रूप में सदस्य के पद पर नहीं रहेंगे यदि वह विधान सभा के सदस्य न रह गए हों.

(५) बोर्ड का कोई भी कृत्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि वहां कोई रिक्ति विद्यमान है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है.

(६) बोर्ड के सदस्य ऐसी यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

बोर्ड का सम्मिलन.

२८. (१) बोर्ड का सम्मिलन उतनी बार, जैसा आवश्यक समझा जाए, ऐसी तारीखों को होगा जो कुलपति द्वारा नियत की जाएं:

परन्तु, यथावत्शक्य, बोर्ड की अंतिम बैठक तथा आगामी सम्मिलन में उसकी प्रथम बैठक के लिये नियत की गई तारीख के बीच तीन मास की कालावधि का अन्तर नहीं होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा नियत किया गया बोर्ड का सम्मिलन, साधारणत: रद्द या मुल्तवी नहीं किया जाएगा, किन्तु कुलपति, पर्याप्त हेतुक से, सम्मिलन को किसी ऐसी तारीख तक के लिए मुल्तवी कर सकेगा जो मूलत: नियत की गई तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक पश्चात् की न हो.

(३) कुलपति, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा की जाने पर, बोर्ड का विशेष सम्मिलन, ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के इक्कीस दिन के भीतर बुलाएगा.

(४) जब उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन कुलपति द्वारा बोर्ड के सम्मिलन के लिए तारीख नियत कर दी गई हो तो कुलसचिव, बोर्ड के सदस्यों को ऐसे सम्मिलन की पूरे दस दिन की सूचना लिखित में देगा.

(५) बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन की गणपूर्ति छह सदस्यों से होगी.

बोर्ड की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

२९. बोर्ड विश्वविद्यालय का कार्यपालक प्राधिकारी होगा और वह, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि इस अधिनियम तथा परिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन विहित की जाएं, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित तथा मंजूर करना;

(दो) कुलपति द्वारा उसके समक्ष रखे गए वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें ऐसे उपान्तरणों के साथ पारित करना जैसे कि वह ठीक समझे;

(तीन) विश्वविद्यालय की समस्त शाखाओं की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष राज्य सरकार के समक्ष रखना;

(चार) अनुसंधान के लिये और ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसार के लिए विद्या की ऐसी शाखाओं तथा अध्ययन पाठ्यक्रमों में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(पांच) महाविद्यालयों, विभागों, छात्रावासों तथा अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन संस्थाओं के स्थापन और अनुरक्षण की व्यवस्था करना और उनका प्रबन्ध करना;

(छह) ऐसी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, कृषि-फार्मों का, जिनके अन्तर्गत अभिजनन फार्म, कुक्कुट-पालन फार्म, मत्स्यपालन फार्म तथा उसी प्रकार के अन्य फार्म आते हैं, तथा कृषि अभियांत्रिकी कर्मशालाओं और ऐसी अन्य उपस्करों का आयोजन तथा व्यवस्था करना जिनका कि कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान के क्षेत्र में आयोजन तथा व्यवस्था करना विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(सात) कृषिक ग्रामीण जीवन अनुसंधान और विस्तार सेवा संस्थित करना;

(आठ) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :—

(क) (एक) बहिवर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान; और

(दो) विश्वविद्यालय विस्तारी क्रियाकलाप;

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप; और

(घ) विद्यार्थी संघ तथा उनका कल्याण;

(नौ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण और अनुशासन के नियंत्रण के लिए व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना;

(दस) उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना और प्रदान करना;

(ग्यारह) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टिताएं प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना;

(बारह) अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां (स्कालरशिप्स), अध्ययन वृत्तियां (स्टूडेण्टशिप्स), छात्र-सहायता-वृत्तियां (एक्जीविशन्स) तथा पदक संस्थित करने, उन्हें बनाए रखने तथा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना;

(तेरह) कुलपति की सिफारिश पर परिनियमों द्वारा विहित फीस तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची को अनुमोदित करना;

(चौदह) परिनियम बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना;

(पन्द्रह) किसी विनियम पर विचार करना, उसे रद्द करना, उसमें उपांतरण करना या उसे वापस करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना और उसके उपयोग को विनियमित करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रशासन करना;

(अठारह) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति अन्तरित करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के पक्ष में किये गये न्यासों, वसीयतों, संदानों और जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहित करना;

(बीस) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेर-फार करना, उन्हें कार्यान्वित करना या रद्द करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय का काम चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों, पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(बाईस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों (जो कुलपति से भिन्न हों), अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना, उनके कर्तव्यों तथा सेवा शर्तों को परिनिश्चित करना और उनके पदों की अस्थाई रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तेईस) निम्नलिखित को संस्थित करना :—

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(ख) सूचना ब्यूरो; और

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(चौबीस) ऐसे अध्यापन पदों को, जिनकी प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा की जाए, राज्य सरकार के अनुमोदन से अनुमोदित करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय में के किसी अध्यापन पद को, विद्या परिषद् से उसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार के अनुमोदन से समाप्त करना या निलम्बित करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में के कर्मचारिवृन्द के सदस्य के नियोजन, वेतनमान तथा सेवा की शर्तें अधिकथित करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना;

(सत्ताईस) अपनी शक्तियों में से कोई भी शक्ति कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे भी कि वह ठीक समझे, विनियम द्वारा प्रत्यायोजित करना; और

(अट्ठाईस) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों से असंगत न होने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों.

विद्या परिषद्.

३०. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी कार्यकलापों की भारसाधक होगी तथा उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं;

(तीन) निदेशक, विस्तार सेवाएं;

(चार) निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण;

(पांच) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(छह) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में से एक अध्यापक, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;

(सात) विश्वविद्यालय के कर्मचारी न होने वाले दो व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्य विषयों में अपने विशेष ज्ञान के कारण विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित किया गया हो;

(२) विद्या परिषद् की तत्समय की सदस्य संख्या की कम से कम आधी संख्या से गणपूर्ति होगी :

परन्तु गणपूर्ति किसी भी समय चार से कम न होगी.

(३) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट काम-काज को, जो विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ आये, विषयवस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी, इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों को, ऐसे काम-काज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किये जायें, सम्पादन के बारे में विद्या परिषद् के सदस्यों के अधिकार होंगे.

(४) विद्या परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे.

विद्या परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

३१. विद्या परिषद् — (क) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा को सामान्यत: विनियमित करेगी और उन पर नियंत्रण रखेगी और उनका स्तर बनाये रखने एवं उपाधियां अभिप्राप्त करने हेतु अपेक्षाओं की पूर्ति कराने के लिये उत्तरदायी होगी;

(ख) विश्वविद्यालय के बोर्ड को तथा अन्य प्राधिकारियों को विद्या संबंधी समस्त विषयों पर सलाह देगी;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

संकाय.

३२. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं.

(२) प्रत्येक संकाय में ऐसे सदस्य होंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं.

(३) प्रत्येक संकाय के लिये एक संकायाध्यक्ष होगा जो कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसे कालावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

अध्ययन-विभाग.

३३. (१) प्रत्येक संकाय में ऐसा अध्ययन-विभाग होगा जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) प्रत्येक अध्ययन-विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा.

(३) कुलपति, प्राध्यापकों में से एक को विभागाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा और यदि कोई प्राध्यापक न हो तो संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक कि सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जाता.

(४) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें, उसके कर्तव्य तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी.

३४. ऐसे अन्य प्राधिकारियों के, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्यों के लिये उपबंध परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में किए जाएंगे.

कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा कृषिक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवाएं.

३५. (१) विश्वविद्यालय, समस्त संकायों में, मूल तथा अनुप्रायोगिक दोनों ही अनुसंधान के लिये केन्द्रीय या राज्य कृषि अनुसंधान केन्द्र, समुचित क्षेत्रीय तथा अन्य उपकेन्द्र, अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर स्थापित करेगा और/या उन्हें बनाए रखेगा.

(२) विश्वविद्यालय कृषिक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवा भी चलाएगा जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कृषकों तथा गृहणियों को उनकी सहायता करने, उनकी समस्याओं को हल करने के लिये उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराएगी और युवा व्यक्तियों में कृषिक जीवन के प्रति रुचि बढ़ाने की दृष्टि से समस्त आवश्यक उपाय करेगी.

अध्याय—पांच

विश्वविद्यालय निधि आदि.

विश्वविद्यालय निधि.

३६. (१) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी.

(२) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे—

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई उधार, अभिदाय या अनुदान;

(ख) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;

(ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि, बोर्ड के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का संख्यांक २) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकों में या किन्ही ऐसे अन्य बैंकों में रखी जाएगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाएं, या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. २) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूति में विनिहित की जाएगी.

(४) इस धारा की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रबंध के लिये विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहीत की गई या उस पर अधिरोपित की गई किन्हीं भी बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

३७. विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जाएगा:— उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जा सकेगी.

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियम के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये;

(ख) किसी भी ऐसे वाद या कार्यवाहियो के, जिनमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, व्ययों के लिये;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा सेवकों के और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के विभागों में नियोजित किए गए अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिये और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को पेन्शन तथा किसी भविष्य निधि के अभिदायों के संदाय के लिये;

(घ) बोर्ड तथा विद्या परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकरण के सदस्यों के या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(ङ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिये;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों, विभागों, निवास स्थानों तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिये;

(छ) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किसी भी व्यय के संदाय के लिये;

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिये.

अध्याय—छह

परिनियम तथा विनियम.

परिनियम.

३८. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(एक) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य;

(दो) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किए गए प्राधिकारियों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उसकी पदावधि जिसके अन्तर्गत है प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना या सेवानिवृत होना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(तीन) बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते;

(चार) कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें और उसकी शक्तियां;

(पांच) विश्वविद्यालय के लेखा नियंत्रक (कम्पट्रोलर), कुलसचिव, संकायों के संकायाध्यक्ष, निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं, निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य और उपलब्धियां, उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें;

(छह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये पेन्शन या भविष्य निधि में अभिदाय और बीमा स्कीम का स्थापन;

(सात) उपाधियां प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोह का किया जाना;

(आठ) सम्मानिक उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना;

(नौ) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

(दस) संकायों का स्थापन, समामेलन, उप-विभाजन तथा उनकी समाप्ति;

(ग्यारह) संकायों में अध्यापन विभागों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(बारह) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(तेरह) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अर्हताएं, उनका वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति का ढंग;

(चौदह) विन्यासों (एण्डाउमेण्टस) का प्रशासन और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, छात्रसहायता-वृत्तियों (एक्जीविशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना तथा उनके प्रदान किए जाने की शर्तें;

(पन्द्रह) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(सोलह) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा उनका नामांकन और उनका विद्यार्थी के रूप में बना रहना;

(सत्रह) ऐसी फीस, जो किसी प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाए;

(अठारह) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों के लिये अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं, उनके लिये अर्हताएं, और उनके प्रदान किए जाने तथा अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई;

(बीस) अनुसंधान के लिये उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने लिये शर्तों का अधिकथित किया जाना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;

(बाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा छात्रावासों में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;

(तेईस) ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किए जाते हों, मान्यता देना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(चौबीस) विशेष इंतजाम, यदि कोई हों, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकते हों और उनके लिये विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या चलाए जा रहे महाविद्यालयों या अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

(छब्बीस) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन;

(सत्ताईस) बिश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनके वेतनमान तथा अन्य उपलब्धियां हैं;

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कर्तव्य;

(उन्तीस) वह तारीख, जिसको या जिसके पूर्व वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग; और

(इकतीस) ऐसे समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हों या उपबंधित किए जाएं.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३९. (१) धारा ३८ में दिए गए विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और वे ऐसे परिवर्धनों तथा परिवर्तनों के, जिनके संबंध में विधान सभा सहमत हो, अध्यधीन होंगे, किन्तु किसी ऐसी बात की, जो कि उनके अधीन पूर्व में की गई हो, विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(२) बोर्ड इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उपबंधित की गई रीति में समय-समय पर नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा और परिनियमों में संशोधन कर सकेगा या उन्हें निरस्त कर सकेगा.

(३) विद्यापरिषद् बोर्ड द्वारा पारित किये जाने के लिए किसी नवीन परिनियम का या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन का प्रारूप बोर्ड को प्रस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड द्वारा उसके आगामी सम्मिलन में विचार किया जाएगा :

परन्तु विद्यापरिषद् किन्हीं ऐसे परिनियमों के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यामान प्राधिकारियों की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारियों को ऐसी प्रस्थापना पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार से प्रकट की गई किसी राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.

(४) बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप को जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, अनुमोदित कर सकेगा तथा परिनियम को पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा या उसे, किन्हीं ऐसे संशोधनों के साथ जिनका कि बोर्ड सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिए विद्यापरिषद् को वापस कर सकेगा.

(५) बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी नवीन परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप की प्रस्थापना बोर्ड को कर सकेगा और बोर्ड उस प्रस्थापना को, यदि वह विद्यापरिषद् के कार्य क्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो या तो स्वीकार कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा किन्तु उस दशा में जबकि ऐसा प्रारूप विद्यापरिषद् के कार्य क्षेत्र के अन्दर आने वाले विषय से संबंधित हो, तो बोर्ड उसे विद्यापरिषद् के विचारार्थ निर्दिष्ट करेगा जो या तो बोर्ड को रिपोर्ट कर सकेगा कि वह प्रस्थापना को अनुमोदित नहीं करता, जिसे कि बोर्ड द्वारा अस्वीकार किया गया समझा जाएगा या बोर्ड को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्रारूप प्रस्तुत करेगा, और इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्रारूप के मामले में ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे विद्यापरिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्थापित प्रारूप की दशा में लागू होते हैं.

(६) नवीन परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसे मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा या उसे और आगे विचार किए जाने के लिए भेज सकेगा.

विनियम.

४०. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अन्य निकाय :—

(क) सम्मिलनों में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या तथा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हों, उपबंध करने के लिए; और

(ग) ऐसे किन्हीं भी अन्य विषयों का, जो अनन्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों तथा निकायों से संबंधित हों, और जिनके लिए इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उपबंध न किया गया हो, उपबंध करने के लिए, इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत विनियम बना सकेंगे.

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को सम्मिलन की तारीखों की तथा उस कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचनां दिए जाने एवं सम्मिलनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध होगा.

(३) बोर्ड ऐसी रीति में जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए किन्हीं भी विनियमों को संशोधित करने के लिए या उपधारा (१) के अधीन बनाए गए किन्हीं भी विनियमों के बातिलीकरण के लिए निदेश दे सकेगा.

(४) विद्यापरिषद्, परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों का उपबंध करते हुए विनियम, संबंधित संकाय से उनके प्रारूपों से प्राप्त होने के पश्चात् बना सकेगी.

(५) विद्या परिषद्, संकाय से प्राप्त किसी प्रारूप को या तो अनुमोदित कर सकेगी या नामंजूर कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी या उसे अपने सुझावों के साथ और आगे विचार किए जाने के लिए संकाय को भेज सकेगी.

अध्याय—सात
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे आदि.

वार्षिक रिपोर्ट.

४१. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा कुलाधिपति तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी.

लेखे तथा संपरीक्षा.

४२. (१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र कुलपति के निदेश के अधीन लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए जाएंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाले या उसे प्राप्त समस्त धन तथा संवितरित की गई या संदत्त की गई समस्त रकमें लेखे में प्रविष्ट की जाएंगी.

(२) वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे जो उसकी संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा कराएगी, जैसा कि वह निदेश दे.

(३) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा हो जाय मुद्रित किए जाएंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ, कुलपति द्वारा बोर्ड को भेजी जाएंगी, जो उन्हें ऐसी टीका टिप्पणियों के साथ, जो कि आवश्यक समझी जाएं, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा. संपरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की टीका टिप्पणियों सहित, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी.

अध्याय—आठ
अनुपूरक उपबंध.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

४३. यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्रूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाए, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस संबंध में विनिश्चिय अंतिम होगा :

परन्तु कुलाधिपति, कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में, अभिव्यक्ति ''निकाय'' के अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति है.

समितियों का गठन.

४४. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हों, वहां उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

४५. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र सुविधानुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त निर्वाचित या सहयोजित किया हो, और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का उस अवधि के शेषकाल के लिए सदस्य रहेंगे जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता.

रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.

४६. विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो.

सेवा की शर्तें.

४७. (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा के अधीन, जो कुलपति के कब्जे में रखी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी.

(२) उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी या अध्यापक को, विश्वविद्यालय में या उसके बाहर किसी भी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, परिनियमों में उपबंधित के सिवाय, न तो दिया जाएगा और न ही वह उसे प्रतिगृहीत करेगा.

(३) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों या अध्यापकों में किसी भी अधिकारी या अध्यापक के बीच हुई किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद संबंधित अधिकारियों या अध्यापकों की प्रार्थना पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कुलाधिपति द्वारा माध्यस्थम् के लिए एक अधिकरण को, जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया अधिनिर्णायक होगा, निर्दिष्ट किया जाएगा और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित किए गए मामलों के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन की गई प्रत्येक प्रार्थना को इस धारा के निबंधन के अनुसार माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६ का सं. २६) के अर्थ के अन्तर्गत माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा और उस अधिनियम के समस्त उपबंध तदनुसार लागू होंगे.

पेंशन तथा भविष्य निधि.

४८. (१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकीय कर्मचारीवृंद तथा कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा जैसा कि वह उचित समझे.

(२) जहां कोई ऐसी भविष्य निधि इस प्रकार गठित की गई हो वहां कुलाधिपति यह घोषित कर सकेगा कि भविष्य निधि अधिनियम, १९२५ (१९२५ का सं. १९) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह सरकारी भविष्य निधि हो.

कार्य तथा आदेशों का संरक्षण.

४९. विश्वविद्यालय द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए समस्त कार्य तथा पारित किए गए समस्त आदेश अंतिम होंगे और इस अधिनियम परिनियमों तथा विनियमों के अनुसरण में की गई किसी भी बात के लिए कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा या नुकसानी के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा.

प्रथम कुलपति की नियुक्ति और उसकी असाधारण शक्तियां.

५०. (१) प्रथम कुलपति, राज्य सरकार के परामर्श से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से १८ मास से अनधिक कालावधि के लिए कुलाधिपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाएगा.

(२) प्रथम कुलपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसे विषय के लिए, जिसके लिए कि प्रथम परिनियमों द्वारा उपबंध न किया गया हो, उपबंध करने के हेतु, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, अतिरिक्त परिनियम बनाना;

(ख) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से अस्थायी प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन करना और उनकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए उपबंध करने वाले नियम बनाना;

(ग) कुलाधिपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय व्यवस्थाएं करना तथा ऐसा व्यय करना जो इस अधिनियम या उसके किसी भाग को प्रवर्तित किए जा सकने के लिए आवश्यक हों;

(घ) कुलाधिपति की मंजूरी से ऐसी नियुक्तियां करना जो इस अधिनियम या उसके किसी भाग को प्रवर्तित किए जा सकने के लिए आवश्यक हों;

(ङ) कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, अपने ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए, जिसके कि संबंध में वह निदेश दे, ऐसी समितियां नियुक्त करना;

(च) साधारणतया समस्त या किन्हीं भी ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लाना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त की गई हैं.

(३) उपधारा (२) के मद (ख), (घ) तथा (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कुलपति द्वारा पारित किए गए कोई भी आदेश उस समय तक प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या निकाय द्वारा उपांतरित या अपास्त न कर दिए जाएं.

बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति.

५१. बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापक के रूप में परिनियमों के उपबंधों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं.

अध्यापकों का वेतन.

५२. विश्वविद्यालय के अध्यापकों को वेतन का संदाय उन वेतनमानों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिनियमों द्वारा नियत किए गए हों.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य की पदावधि.

५३. (१) जब कभी कोई व्यक्ति, अपने द्वारा धारित पद के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाए, तत्काल ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु केवल इस कारण से कि वह चार मास से अनधिक की कालावधि के लिए छुट्टी पर चला जाता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो गया है.

(२) जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य निकाय के, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, प्रतिनिधि रूप में किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उस निकाय का, जिसके द्वारा वह नामनिर्दिष्ट, नियुक्त या निर्वाचित किया गया था, सदस्य न रहे, ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा.

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

५४. (१) बोर्ड, विद्यापरिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और त्याग-पत्र, कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावशील हो जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो, प्रतिगृहीत कर लिया जाता है या कुलसचिव को त्याग-पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन मास का अवसान हो जाने पर स्वत:, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावशील हो जाएगा.

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाना.

५५. कुलाधिपति, बोर्ड के निवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की, जिसके अन्तर्गत बोर्ड भी है, सदस्यता से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, हटाए जाने का कोई आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा में की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जबकि संबंधित व्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य होने के नाते सदस्य हो.

कठिनाइयों का दूर किया जाना.

५६. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

संपत्ति तथा कर्मचारियों का अन्तरण.

५७. (१) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालय, जो धारा ६ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं और जो स्नातक उपाधि या उससे ऊपर की उपाधि के लिए कृषि, औद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन में या किन्हीं अन्य संबद्ध विषयों में शिक्षण दे रहे हों, और उन क्षेत्रों में स्थित समस्त अनुसंधान केन्द्र, जो कृषि तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य करने के लिए चलाए जा रहे हों, और साथ ही ऐसे महाविद्यालयों तथा केन्द्रों की भूमियां, छात्रावास तथा अन्य भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रयोगशालाएं, भण्डारगृह, उपकरण, साधित्र, साधन तथा उपस्कर और पशुधन एवं उनके लिए बनाया गया बजट कार्यक्रम विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिए जाएंगे और वे उसमें निहित हो जाएंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के अंतरित हो जाने की तारीख से ही निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वे कर्मचारी—

(एक) जो विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर स्थित महाविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों में उक्त तारीख को कार्य कर रहे थे या उनसे संलग्न थे; या

(दो) जो उस दशा में, जबकि किसी कारण से ऐसे महाविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों से उनकी अस्थायी अनुपस्थिति न हुई होती, उक्त तारीख को ऐसे महाविद्यालयों में या अनुसंधान केन्द्रों में कार्य कर रहे होते या उनसे संलग्न रहते; या

(तीन) उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनकी भर्ती औद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर, कृषि महाविद्यालय, टीकमगढ़ और गंजबासौदा तथा पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, रीवा में सृजित पृथक् काडर पदों के विरुद्ध की गई हैं, जो विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण का विकल्प लेते हैं और जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा छह मास की कालावधि या राज्य सरकार द्वारा यथा विस्तारित कालावधि के भीतर अनुज्ञात किए जाएं;

विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो जाएंगे और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के अधीन सेवाओं को शासित करने वाले निबंधनों तथा शर्तों द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों के, विश्वविद्यालय की सेवा में, उनके संविलयन के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित निबंधन तथा शर्तें, निबंधनों तथा शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी जो ऐसे कर्मचारियों को उक्त तारीख के पूर्व लागू थीं.

(ख) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति, महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के संबंध में अर्जित किए गए हों, उसे प्रोद्भूत हुए हों या उसके द्वारा उपगत किए गए हों, संबंध में यह समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व है.

(ग) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति, महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के संबंध में की गई किसी संविदा के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा की गई संविदा है.

(३) इस धारा में किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय को अन्तरित किए गए किसी महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र की किसी भूमि या भवन को, राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना, बेचने, पट्टे पर देने, उसका विनिमय करने या अन्यथा व्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय को प्राधिकृत करती है.

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५८. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है जिससे कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई हो, तो वह अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परन्तु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट हैं, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अन्तर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा:—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं अन्तर्वलित हैं, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों, तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों में कमी की जाए;

(छह) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाय; और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाए.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन किए गए निदेश को कार्यान्वित करे.

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निदेश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरुपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी:

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.

५९. (१) यदि राज्य सरकार का, किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात्, इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि, जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि जिसमें अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए.

(३) नियत तारीख से कुलपति, जो नियत तारीख से अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहा है, इस बात के होते हुए

भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपना पद रिक्त कर देगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

परन्तु कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उसी रीति में उसे कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व, यथास्थिति, बोर्ड या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक, यथास्थिति, बोर्ड या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाए तब तक कुलपति, जो उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि बोर्ड या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों:

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपांतरित उपबंधों के अनुसार बोर्ड तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित किए गए बोर्ड तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इन दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगा/देगी:

परन्तु यदि बोर्ड तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति बोर्ड या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय.

प्रादेशिक अधिकारिता के संबंध में अध्यारोही प्रभाव.

६०. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६३ (क्रमांक १२ सन् १९६३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की इस अधिनियम की धारा ६ में परिगणित किए गए क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता नहीं रह जाएगी.

निरसन और व्यावृत्ति.

६१. (१) ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, २००८ (क्रमांक ४ सन् २००८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्र. 913-48-इक्कीस-अ-(ग्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2009.

RAJMATA VIJAYA RAJE SCINDIA KRISHI VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2009

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I
PRELIMINARY

Sections :

1. Short title.
2. Definitions.

CHAPTER II
THE UNIVERSITY

3. Incorporation.
4. Objects of University.
5. Powers of University.
6. Territorial jurisdiction.
7. University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction, teaching, etc. in agriculture and allied sciences.
8. Completion of courses of students in colleges affiliated to other Universities in State.
9. University open to all irrespective of religion, caste, sex, place of birth or opinion.
10. Teaching in University.
11. Inspection and inquiry of Univerisity.

CHAPTER III
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

12. Officers of the University.
13. Chancellor.
14. Powers of Chancellor.
15. Vice-Chancellor.
16. Emoluments and conditions of service of Vice-Chancellor.
17. Powers and duties of Vice-Chancellor.
18. Removal of Vice-Chancellor.
19. Comptroller.
20. Registrar.
21. Director of Research Services, Director of Extention Services and Director of Instructions and Student Welfare.

Sections :

22. Other Officers.

CHAPTER IV
AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

23. Authorities of University.
24. Constitution of coordination council.
25. Meeting of Coordination Council and quorum thereat.
26. Powers and duties of the coordination council.
27. Constitution of Board.
28. Meeting of Board.
29. Powers and duties of the Board.
30. Academic Council.
31. Powers and duties of Academic Council.
32. Faculties.
33. Department of Studies.
34. Other authorities of University.
35. Agricultural Research Station and Agricultural Rural Life and Extension Services.

CHAPTER V
UNIVERSITY FUND ETC.

36. University Fund.
37. Objects to which University Fund may be applied.

CHAPTER VI
STATUTES AND REGULATIONS

38. Statutes.
39. Statutes how made.
40. Regulations.

CHAPTER VII
ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS ETC.

41. Annual Report.
42. Accounts and audit.

CHAPTER VIII
SUPPLEMENTARY PROVISIONS

43. Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies.
44. Constitution of committees.
45. Filling of casual vacancies.
46. Vacancy etc. not to invalidate proceedings.
47. Conditions of service.
48. Pension and Provident Fund.
49. Protection of acts and orders.
50. Appointment of the first Vice-Chancellor and his extra-ordinary powers.
51. Appointment of Teachers by Board.
52. Salaries of teachers.
53. Term of office of members of authority of University.
54. Resignation of members or officers of University.
55. Removal from membership of any authority or Board of University.
56. Removal of difficulties.
57. Transfer of property and personnel.
58. State Government to assume financial control in certain circumstances.
59. Special provision for better administration of University in certain circumstances.
60. Overriding effect regarding territorial jurisdiction.
61. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 4 OF 2009.

RAJMATA VIJAYA RAJE SCINDIA KRISHI VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2009

[Received the assent of the Governor on the 10th February, 2009; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th February, 2009].

An Act to establish and incorporate an University for agriculture and allied sciences at Gwalior to provide for education and prosecution of research in agriculture and allied sciences, extension and other matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of Inida as follows :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title.

1. This Act may be called the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agriculture science" means the basic and applied science of soil and water management, crop and livestock production;

(b) "College" means a college of the University under the direct control and management of the Board and the Principal Executive Officer of the University whether located at the headquarters, campus or elsewhere;

(c) "Extension" means all educational programmes undertaken for the purpose of ascertaining the Problems of research in agriculture and allied sciences, disseminating the results of research and providing training for the purpose of such dissemination;

(d) "Hostel" means a unit of residence for students of the University provided, maintained or recognized by it;

(e) "Other Backward Classes" means a member of the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification No. F 85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 and as amended from time to time;

(f) "Registered Graduate" means a graduate registered under the Provisions of this Act;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution;

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution;

(i) "Statutes and Regulations" means respectively the Statutes and Regulations of the University in force for the time being;

(j) "Students of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;

(k) "Teacher of the University" means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instructions and / or conducting and guiding research and / or extension programmes and includes a person who may be declared by the Statutes to be a Teacher;

(l) "University" means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Agriculture University.

CHAPTER II
THE UNIVERSITY

Incorporation.

3. (1) The Chancellor and first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Board and of the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members are, so long as they continue to hold such office or membership, hereby constituted a body corporate by the name of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Agriculture University.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarters of the University shall be located at Gwalior.

Objects of University.

4. The University shall, among others, have the following purposes :—

(a) making provision for education in agriculture and other allied sciences;

(b) furthering the prosecution of research, particularly in agriculture and other allied sciences;

(c) undertaking field extension programmes; and

(d) such other purposes related to the aforesaid with the object of improving the level of living of rural people as the State Government may, by notification, direct.

Powers of University.

5. The University shall have the following powers, namely :—

(a) to acquire and hold property both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable property vesting in or acquired by it for the purposes of the University;

(b) to cultivate and promote the study of and to provide for instruction, teaching and training in,

(i) agriculture, agricultural engineering, animal husbandry, rural industry and business, and other allied sciences; and

(ii) such other branches of learning as the University may deem fit;

(c) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge in agriculture and allied sciences and to institute and manage Agricultural and Extension Service including Krishi Vigyan Kendras and rural youth programmes;

(d) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;

(e) to maintain colleges, schools of studies and hostels in the manner prescribed in the Statutes;

(f) to institute teaching research and extension posts required by the University and to appoint persons to such posts;

(g) to determine qualifications for and to recognize teachers as qualified to give instructions in a college or to carry out research and extension work in agriculture and allied sciences;

(h) to provide such lectures and instructions for and to grant such diplomas to field workers and other persons, not being enrolled students of the University as the University may determine;

(i) to set up laboratories, libraries, agricultural research stations, museums, agricultural farms, including breeding farms, poultry farms, fish farms and the like, agricultural workshops, and such other equipments as the University may consider it necessary to set up in field of agriculture and allied sciences;

(j) to hold examinations, and to grant diplomas and confer degrees and other academic distinctions on persons, who have pursued a course of study under the University;

(k) to confer degrees and / or other academic distinctions on persons who have carried on independent research under conditions prescribed in the Statutes;

(l) to confer honorary degrees or other academic distinctions on approved persons, in the manner and under conditions prescribed in the Statutes;

(m) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships (including traveling fellowships), scholarships, exhibitions, bursaries, medals and other rewards in accordance with conditions prescribed in the Statutes;

(n) to arrange for inspection of colleges and other branches of the University and to take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching or training, research and extension are maintained;

(o) to fix, demand and receive payment of such fees and other charges as may be prescribed by the Statutes;

(p) to supervise and control the residence, conduct, and discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health development and general welfare;

(q) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(r) to institute and manage—

(i) Information Bureau;

(ii) Printing and Publication Department; and

(iii) Employment Bureau;

(s) to make provision—

(i) for extra-mural teaching and research;

(ii) for physical and military training;

(iii) for sports and athletic activities;

(t) to co-operate with other Universities and authorities in such manner, to extent and for such purposes as the University may determine;

(u) to do all such other acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University.

Territorial jurisdiction.

6. (1) Save as otherwise provided in this Act, the powers conferred on the University by or under this Act, shall extend to the areas comprised within the limits of revenue districts of Sheopur, Morena, Bhind, Gwalior, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Datia, Dewas, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Ujjain, Indore, Dhar, Jhabua, Alirajpur, Khargone, Badwani, Khandwa, Burhanpur, Bhopal, Sehore and Rajgarh.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no college or educational institution situated within the areas specified in sub-section (1) imparting instructions in agriculture and other allied sciences for bachelors degree and / or above, shall be associated in any way with or be admitted to any privilege of any other University incorporated by law in India and any such privilege granted by any such other University to any educational institution within those limits prior to the commencement of this Act, shall be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act and such institution shall stand affiliated to the University till the date they are transferred to the University under Section 57.

(3) The research and extension work undertaken or conducted by or on behalf of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya in the field of agriculture and allied sciences within the areas specified in sub-section (1) shall be coordinated with and integrated into the activities of the University—

(a) with effect from such date or dates as the State Government may, by notification, specify and different dates may be specified for co-ordination and integration; and

(b) in such manner and to such extent as may be determined by the State Government.

University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction, teaching etc. in agriculture and allied sciences.

7. (1) The University shall have exclusive jurisdiction throughout the area specified in sub-section (1) of Section 6 to provide for instruction, teaching and training in agriculture and allied sciences and notwithstanding anything contained in the law relating to incorporation of any other University in the State, no other University shall be competent to provide for instruction, teaching and training in agriculture and allied sciences.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or Statutes and Regulations made thereunder any student of the College of Agriculture, Gwalior, Indore, Sehore, Khandwa, Ganjbasoda, College of Horticulture, Mandsaur and College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Mhow (Indore) who immediately prior to the date of coming into force of this Act was studying for or was eligible to appear in any examination, as the case may be, in Agriculture and other allied Sciences of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, shall be permitted to complete his course in preparation therefor, and the University shall provide for such period not exceeding five years and in such manner as may be prescribed by the Statutes for the instruction, teaching, training and examination of such students in accordance with the course of studies of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya.

Completion of courses of students in colleges affiliated to other Universities in State.

8. Notwithstanding anything contained in this Act or Statutes and Regulations made thereunder—

(i) any student of a college situated within the State and affiliated to any other University; or

(ii) any other student who immediately prior to the date of the coming into force of this Act was studying or was eligible, as the case may be, for any examination in agriculture and other allied sciences of such other University,

shall be permitted to complete his course in preparation therefor and the University shall provide for such period not exceeding five years and in such manner as may be prescribed by the Statutes for the instruction, teaching, training and examination of such students in accordance with the course of studies of such other University.

University open to all irrespective of religion, caste, sex, place of birth or opinion.

9. It shall not be lawful for the University to impose any test or condition whatsoever relating to religion, caste, sex, place of birth or other opinion in order to entitle any person—

(a) to hold any office in the University; or

(b) to be a member of any authority of the University; or

(c) to be appointed or admitted as a teacher; or

(d) to be admitted to any degree, diploma or other academic distinctions or course of study or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction; or

(e) to enjoy or exercise any privileges of the University or benefication thereof :

Provided that the University may subject to the previous sanction of the State Government, maintain any college or institution exclusively for women either for education, instruction or residence, or reserve for women or members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or of Other Backward Classes and communities which are educationally backward, seats for the purposes of admission as students in any college or institution maintained or controlled by the University :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study students larger in number than, or with academic or other qualifications lower than those prescribed in the Statutes :

Provided also that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from exempting indigent persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or to any Other Backward Classes or communities which are socially and educationally backward from attending courses of study or from the fees levied in whole or in part for attending such courses.

Explanation.—A person shall, for the purposes of this proviso, be deemed to be an "indigent person" if the annual income of such person or his guardian (where such person is for his livelihood and education dependent upon such guardian) is less than such amount as may be specified by the State Government, by notification, in this behalf.

Teaching in University.

10. (1) All recognized teaching in connection with the University courses shall be conducted by the teachers of the University in accordance with such scheme as may be framed for each academic year by the Academic Council and shall include lecturing, tutorial classes, laboratory work, field work and other teaching conducted in accordance with the course of study prescribed by the Regulations.

(2) The authorities responsible for organizing such teaching and the maximum number of students that shall be admitted to a course shall be prescribed by the Statutes.

(3) The courses and curricula shall be prescribed by the Regulations.

11. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person as it may direct, of the University generally and other matters particularly such as its buildings, laboratories, libraries, museums, Agricultural Research Stations and farms, workshops and equipments and of any college or hostel, maintained by the University, of the teaching and other work conducted by the University or any college or institution and of the conduct of examinations held by the University and to cause an inquiry to be made of any matter connected with the University : **Inspection and Inquiry of University.**

Provided that the State Government shall, in every case, give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to be represented thereat.

(2) Such person shall report to the State Government, the result of such inspection or inquiry, and the State Government shall communicate to the Board his views with reference to the results of such inspection or inquiry and the Board shall thereupon communicate its view to the Chancellor, who may advise the University upon the action to be taken, if any.

(3) Where the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions as he may think fit, and the Board shall comply therewith.

(4) The report of the inspection and of the directions issued by the Chancellor as a result of such inspection or inquiry shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

CHAPTER—III

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

12. The following shall be the officers of the University, namely :— **Officers of the University.**

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Registrar;

(d) the Comptroller;

(e) the Deans of the Faculties;

(f) the Director of Research Services;

(g) the Director of Extension Services;

(h) the Director of Instructions and Student Welfare;

(i) the Deans of the Colleges;

(j) such other officers in the service of the University as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

13. The Governor of Madhya Pradesh shall be the Chancellor of the University, he shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall, when present, preside at any convocation of the University. **Chancellor.**

14. (1) The Chancellor may— **Powers of Chancellor.**

(a) call for any papers for information relating to the affairs of the University; and

(b) for reasons to be recorded, refer any matter except a matter falling under section 43, for reconsideration to any officer or authority of the University that has previously considered such matter.

(2) The Chancellor may by an order in writing, annul any proceedings of any officer or authority of the University which is not in conformity with the Act, the Statutes or the Regulation :

Provided that before making any such order he shall call upon the officer or authority concerned to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time specified by him in this behalf, he shall consider the same.

(3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(4) The Chancellor shall exercise such powers as may be conferred on him by or under this Act.

Vice-Chancellor.

15. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub-section (2) :

Provided that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended or the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by such committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee :

Provided further that the first Vice-Chancellor shall be directly appointed by the Chancellor.

(2) The Chancellor shall appoint a committee consisting of the following persons, namely :—

(i) one person elected by the Board from amongst persons not employed by or on behalf of the University or a college;

(ii) one person nominated by the Chancellor; and

(iii) one person nominated by the State Government.

The Chancellor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the Committee.

(3) The Chancellor shall constitute the committee under sub-section (2) before the expiry of the term of the Vice-Chancellor, call upon the Board and the State Government to choose their nominees and if any one of them or both fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard, the Chancellor may nominate any one or two persons, as the case may be, not employed by or on behalf of the University or college and the persons so nominated shall be deemed to be the persons elected or nominated by the Board or the State Government, as the case may be.

(4) The Committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.

(5) If the Committee fails to submit the panel within the period specified in sub-section (4), the Chancellor may appoint any person whom he deems fit to be the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier, and shall be eligible for re-appointment :

Provided that notwithstanding the expiry of his term, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office, but this period shall not exceed six months.

(7) In the event of occurrence of any vacancy in the office of Vice-Chancellor by reason of his death, resignation or otherwise, a Dean of Faculty nominated by the Chancellor shall act as Vice-Chancellor until the date on which a new Vice-Chancellor, appointed under sub-section (1) to fill such vacancy enters upon his office :

Provided that the person so nominated shall not hold office for a period of more than six months.

(8) Where any temporary vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs by reasons of leave, illness or other cause, the Chancellor shall, as soon as possible, make such arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as he may think fit.

(9) Until the nomination has made under sub-section (7) or arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar and if no Registrar has been appointed or if there be vacancy in the office of the Registrar for any reason whatsoever, such officer of the University as the Chancellor may direct, shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor.

(10) All acts done by the person appointed under sub-section (8) or by the Registrar under sub-section (9) or by the officer directed by the Chancellor under sub-section (9) to carry on the current duties of the Vice-Chancellor shall be deemed to be acts done by the Vice-Chancellor.

16. The emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by Statutes but shall not be varied to his disadvantag after his appointment.

Emoluments and conditions of service of Vice-Chancellor.

17. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor preside at any convocation of the University, and he shall be an ex-officio member and Chairman of the Board and of the Academic Council and Chairman of such other authorities of the University of which he is a member and he shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority or other body of the University but shall not be entitled to vote thereat unless he is member of the authority or body concerned.

Powers and duties of Vice-Chancellor.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that this Act, the Statutes and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Board and the Academic Council.

(4) In any emergency which in the opinion of the Vice-Chancellor requires that immediate action should be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority or body as would have in the ordinary course dealt with the matter :

Provided that the action taken by the Vice-Chancellor shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months.

(5) When action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (4) affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer an appeal to the Board through the officer, authority or body mentioned in the said sub-section within thirty days from the date on which such action is communicated to him.

(6) The action taken by the Vice-Chancellor shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by such officer, authority or body after considering the report made by the Vice-Chancellor under sub-section (4) or is modified or set aside by the Board under sub-section (5).

(7) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect of the decisions of the authorities of the University.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and Regulations.

Removal of Vice-Chancellor.

18. (1) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquires as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor—

(i) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act ; or

(ii) has acted in a manner prejudicial to the interest of the University; or

(iii) is incapable of managing the affairs of the University, the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein, requires the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(2) No order under sub-section (1) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(3) As from the date specified in the order under sub-section (1) the Vice-Chancellor shall be deemed to have relinquished office and the office of the Vice-Chancellor shall fall vacant.

Comptroller.

19. (1) The Comptroller shall be a whole time salaried officer of the University, and he shall be appointed by the Vice-Chancellor in accordance with the Statutes to be made in this behalf and his emoluments and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(2) Where any vacancy in the office of the Comptroller occurs by reason of leave, illness or any other cause, the Vice-Chancellor shall make arrangements as he deems fit, to carry on the current duties of the Comptroller.

(3) The Comptroller shall—

(a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the Board in regard to its financial policy;

(b) subject to the control of the Board, manage the property and investment of the University;

(c) be responsible for seeing that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted and no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the University;

(d) exercise such other powers as may be conferred on him by the Statutes.

Registrar.

20. The Registrar shall be whole-time salaried officer and shall act as the Secretary of the Board and of the Academic Council and he shall be appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board in accordance with the Statutes to be made in this behalf and his emoluments and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Statutes and he shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes and the Regulations.

Director of Research Services, Director of Extension Services and Director of Instructions and Student Welfare.

21. (1) There shall be a Director of Research Services, Director of Extension Services and Director of Instructions and Student Welfare who shall be whole-time salaried officers of the University appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board in accordance with the Statutes made in this behalf.

(2) The emoluments and conditions of service of the officers appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(3) The Director of Research Services, the Director of Extension Services and the Director of Instructions and Student Welfare shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by the Statutes.

Other Officers.

22. The appointment of other officers of the University referred to in Section 12 shall be made in such manner and the conditions of their service and their powers and duties shall be such as may be prescribed by the Statutes and Regulations.

CHAPTER IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of University.

23. The following shall be the authorities of the University :-

(i) the Co-ordination Council;

(ii) the Board;

(iii) the Academic Council;

(iv) the Faculties; and

(v) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Constitution of Coordination Council.

24. There shall be a council for co-ordinating the activities of the agricultural Universities in the State, and the council shall be constituted by an order of the State Government and shall comprise of the following :

(i)	The minister in charge of Agriculture, Government of Madhya Pradesh.	Chairman
(ii)	Agriculture Production Commissioner	Member
(iii)	Vice-Chancellors of Agriculture Universities.	Member
(iv)	Director of Extension and Director of Research of respective Universities.	Member
(v)	All Deans of Faculties of Agricultural Universities.	Member
(vi)	Secretaries of the Government of Madhya Pradesh in the Department of Farmer Welfare and Agriculture Development, Fisheries, Animal Husbandry, Tribal Welfare and Finance.	Member
(vii)	Registrars of the respective Universities.	Member
(viii)	Comptrollers of the respective Universities.	Member
(ix)	A representative of the Indian Council of Agriculture Research to be nominated by the Director General.	Member

Meeting of coordination council and quorum thereat.

25. (1) The coordination council shall meet twice in a calendar year and at such intervals as may be determined by the coordination council.

(2) One third members of the Coordination Council shall form quorum.

(3) The Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department shall be the convener.

(4) Any of the members of the Coordination Council may send items for inclusion in the agenda to the convener.

Powers and duties of Coordination Council.

26. Subject to the provisions of this Act, the Coordination Council shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :—

(i) to act as an advisory body in all matters relating to the agricultural university;

(ii) to review the broad policies of agricultural Universities and to suggest measures for their improvement and development of such universities;

(iii) to act as coordinating body between agricultural universities established in the State by law;

(iv) to exercise such other powers and perform such other duties as may be notified by the State Government.

Constitution of Board.

27. (1) The Chancellor shall constitute the Board within two months of the establishment of the University.

(2) The Board shall consist of the following persons, namely:—

Ex-officio members

(i) the Vice-Chancellor— Chairman;

(ii) the Secretary to Government of Madhya Pradesh

(a) Farmer Welfare and Agriculture Development Department;

(b) Finance Department,

or an officer not below the rank of Deputy Secretary of above departments designated/ nominated by the concerning Secretary;

Members nominated by the Chancellor,—

(iii) two eminent agriculturist with background of agricultural research or education;

(iv) two progressive farmers from the State who shall not be the members of any political party or its body;

(v) one outstanding woman social worker having background of rural advancement;

(vi) one eminent Veterinary or Animal Husbandry scientist with experience of Veterinary or Animal Husbandry research or education;

Members nominated by the State Government,—

(vii) a distinguished industrialist or manufacturer having special knowledge in agricultural development;

(viii) one eminent engineer preferably with agricultural engineering background;

Members elected by the State Legislative Assembly,—

(ix) three members from amongst members of the State Legislative Assembly to be elected by the State Legislative Assembly;

Other member,—

(x) one representative of Indian Council of Agricultural Research to be nominated by the Director General of that Council.

(3) The Registrar shall be the non-member Secretary of the Board.

(4) The term of office of members of the Board other than Ex-officio members shall be three years :

Provided that the member of the Board elected under item (ix) of sub-section (1) shall cease to hold office as such member if he ceases to be a member of the Legislative Assembly.

(5) No act or proceeding of the Board shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board.

(6) The members of the Board shall receive such travelling and daily allowance as may be prescribed by Statutes.

Meeting of Board.

28. (1) The Board shall meet as often as may be considered necessary on such dates as may be fixed by the Vice-Chancellor :

Provided that a period of three months shall, as far as may be, not intervene between the last sitting of the Board and the date fixed for its first sitting in the next meeting.

(2) A meeting of the Board fixed by the Vice-Chancellor under sub-section (1) normally shall not be cancelled or postponed, but the Vice-Chancellor may, for sufficient cause, postpone the meeting to any date not later than fifteen days from the date originally fixed originally.

(3) The Vice-Chancellor shall upon a requisition, in writing, signed by not less than five members of the Board, convene a special meeting of the Board within twenty one days of the receipt of such requisition.

(4) When a date has been fixed for the meeting of the Board by the Vice-Chancellor under sub-section (1) or sub-section (3), the Registrar shall give ten clear days' notice, in writing, to the members of the Board of such a meeting.

(5) The quorum for every meeting of the Board shall be six.

Powers and duties of the Board.

29. The Board shall be executive authority of the University and shall, subject to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act and the Statutes, exercise the following powers and perform the following duties, namely :—

(i) to approve and sanction the budget of the University;

(ii) to consider the annual accounts and the annual financial estimates placed before it by the Vice-Chancellor and pass them with such modification as it may deem fit;

(iii) to lay before the State Government annually a full statement of the financial requirement of all branches of the University;

(iv) to make provision for instruction, teaching and training in such branches of learning and courses of study, as it may think fit, for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(v) to provide for the establishment and maintenance of colleges, departments, hostels and institutions of research and specialized studies and to manage them;

(vi) to organize and make provision for laboratories, libraries, agricultural research stations, museums, agricultural farms including breeding farms, poultry farms, fish farms and the like agricultural workshops and such other equipments as the University may consider it necessary to organize and provide for in the field of agriculture and allied science;

(vii) to institute Agricultural Rural Life Research and Extension service;

(viii) to make provision for,—

(a) (i) extra-mural teaching and research; and

(ii) University extension activities;

(b) physical and military training;

(c) sports and athletic activities; and

(d) students union and their welfare;

(ix) to make provision for the control of admission, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(x) to institute and confer degrees, diplomas and other academic distinctions;

(xi) to recommend the conferment of honorary degrees and other academic distinction in the manner prescribed by Statutes;

(xii) to provide for the institution, maintenance and award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions and medals;

(xiii) to approve the schedule of fees and other charges as may be prescribed by the Statutes upon recommendation of the Vice-Chancellor;

(xiv) to make, amend or repeal Statutes;

(xv) to consider and cancel, modify or refer back, Regulations;

(xvi) to determine the form of, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;

(xvii) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(xviii) to transfer any movable or immovable property on behalf of the University subject to the provisions of the Act and the Statutes;

(xix) to accept on behalf of the University trusts, bequests, donations and transfers of movable and immovable property to the University;

(xx) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University in the exercise of powers conferred on it by this Act and the Statutes;

(xxi) to make provisions for building, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying on the work of the University;

(xxii) save as otherwise provided by this Act, or the Statutes, to approve the appointments of officers (other than the Vice-Chancellor), teachers and other servants of the University, to define their duties and conditions of their service and to provide for the filling of temporary vacancies in their posts;

(xxiii) to institute,—

(a) a Printing and Publication Department;

(b) an Information Bureau; and

(c) an Employment Bureau;

(xxiv) to approve such teaching posts as may be proposed by the Academic Council with the approval of the State Government;

(xxv) to abolish or suspend, after report from the Academic Council thereon any teaching post in the University with the approval of the State Government;

(xxvi) to lay down scales of salaries and conditions of the employment of member of the staff in the various branches of the University and to ensure the observance of the same;

(xxvii) to delegate by regulation any of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other officer of University or a Committee appointed by it as it may deem fit;

(xxviii) to exercise such other powers and perform such other duties not inconsistent with the provisions of this Act or Statutes as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

Academic Council.

30. (1) The Academic Council shall be in charge of the academic affairs of the University and shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Director of Research Services;

(iii) the Director of Extension Services;

(iv) the Director of Instructions and Student Welfare;

(v) the Dean of Faculties;

(vi) one teacher from each faculty of the University to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by Statutes;

(vii) two persons, not being employees of the University co-opted by the Academic Council for their special knowledge in subject recognized by the University.

(2) Not less than half of the number of members of the Academic Council for the time being shall form a quorum :

Provided that the quorum shall not any time be less than four.

(3) The Academic Council shall have power to co-opt as members two persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Academic Council for consideration and the members so co-opted shall have all the rights of the members of the Academic Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.

(4) All members of the Academic Council other than Ex-officio members and members referred to in sub-section (3) shall hold office for a term of three years.

Powers and duties of Academic Council.

31. The Academic Council,—

(a) shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, generally regulate and have the control of, and be responsible for, the maintenance of standard of teaching, research and examination of the University and for the fulfillment of recruitments for obtaining degrees;

(b) shall advise the Board and other authorities of the University on all academic matters;

(c) shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by or under this Act.

Faculties.

32. (1) The University shall have such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall consist of such members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(3) There shall be a Dean for each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

Department of Studies.

33. (1) Each Faculty shall comprise of such Department of Study as may be prescribed by the Statutes.

(2) There shall be a Head of the Department for each Department of Study.

(3) The Vice-Chancellor shall nominate one of the Professors as Head of the Department and if there is no Professor, the Dean of the Faculty shall act as the Head of such Department until a duly qualified person is available.

(4) The terms and conditions of appointment, duties and functions of the Head of the Department shall be prescribed by the Statutes.

Other Authorities of University.

34. The constitution, powers and duties of such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University shall be provided for in the manner prescribed by the Statutes.

Agricultural Research Station and Agricultural Rural Life and Extension Services.

35. (1) The University shall establish and/or maintain a Central or State Agricultural Research Station with appropriate regional and other sub-stations for conducting research, both fundamental and applied, in all faculties within its territorial jurisdiction.

(2) The University shall also establish an Agricultural Rural Life and Extension Service which shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, make available useful information to the farmers and house wives to help them, solve their problems and take all necessary measures for developing in young people interest in agriculture and rural life.

CHAPTER—V

UNIVERSITY FUND ETC.

University Fund.

36. (1) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

(2) The following shall form part of or be paid into, the University Fund :—

(a) any loan, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;

(b) the income of the University from all sources including income from fees and charges;

(c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;

(d) all other sums received by the University.

(3) The University Fund shall be kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934), or such other Bank as may be approved by the Reserve Bank of India or invested in securities authorised by the Indian Trust Act, 1882 (No. 2 of 1882), at the discretion of the Board.

(4) Nothing in this section shall in any way affect any obligations accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalf of the University for the administration of any trust.

Objects to which University Fund may be applied.

37. The University Fund shall be applicable to the following objects:—

(a) to the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statutes and the Regulations made thereunder;

(b) to the expenses of any suit or proceedings to which the University is a party;

(c) to the payment of the salaries and allowances of the officers and servants of the University, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges and the department of University for and in furtherance of the purposes of this Act and the Statutes, and the Regulations made thereunder and to the payment of pension or any Provident Fund contribution to any such officers and servants, members of the teaching staff or the members of such establishments;

(d) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Board and the Academic Council and any other authority of the University or the members of any Committee appointed by any of the authorities of the University in pursuance of any provision of the Act and the Statutes and the Regulation made thereunder;

(e) to the payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students;

(f) to the upkeep of colleges, departments, residences and hostels established by the University;

(g) to the payment of the cost of audit of the University Fund;

(h) to the payment of any expense incurred by the University in carrying out the provisions of this Act, and the Statutes and the Regulations made thereunder; and

(i) to the payment of any other expense, not specified in any of the preceding clauses declared by the Board to be the expense for the purpose of the University.

CHAPTER—VI

STATUTES AND REGULATIONS

Statutes.

38. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :—

(i) the constitution, powers and duties of authorities of the University;

(ii) the manner of election or appointment and term of office of the members of the authorities referred to in clause (i), including the continuance or retirement in the office of the first members, and filling of vacancies of members and all other matters relating to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(iii) allowances payable to the members of the Board;

(iv) emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor and his powers;

(v) appointment of Comptroller, Registrar, Dean of Faculties, Director of Research Services, Director of Extension Services, Director of Instructions and Student Welfare and other officers of the University, their powers and duties and the emolument, terms and conditions of their service;

(vi) the contribution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;

(vii) the holding of convocation to confer degrees;

(viii) conferment of honorary degrees and other academic distinctions;

(ix) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(x) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of Faculties;

(xi) the establishment and abolition of departments of teaching in Faculties;

(xii) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;

(xiii) qualifications, classification and mode of appointment of teachers of the University;

(xiv) the administration of endowments, and the institution and conditions of award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other award;

(xv) the maintenance of a register of registered graduates;

(xvi) the admission of students of the University and their enrolment and continuance as such;

(xvii) the fees that may be charged by the University for any purpose;

(xviii) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(xix) the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University, the qualifications for the same, and the steps to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(xx) laying down conditions for conferral of degrees and other academic distinctions for research;

(xxi) the maintenance of discipline among the students of the University;

(xxii) the conditions of residence of the students of the University and the levy of fees for residence in hostels;

(xxiii) the recognition and management of hostels not maintained by the University;

(xxiv) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students, and prescribing for them special courses of study;

(xxv) the management of colleges and other institutions founded or maintained by the University;

(xxvi) constitution of a Selection Committee for appointment of teachers;

(xxvii) number, qualifications and conditions of appointment including pay scales and other emoluments of teachers of the University;

(xxviii) the duties of teachers of the University;

(xxix) the date on or before which the annual report shall be submitted to the Board;

(xxx) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;

(xxxi) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes how made.

39. (1) The first Statutes with regard to matters set out in Section 38 shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid on the table of the Legislative Assembly and they shall be subject to such additions and alterations as may be agreed to by the Legislative Assembly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(2) The Board may from time to time make new or additional Statutes and may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter in this section provided.

(3) The Academic Council may propose to the Board the draft of any new Statute or amendment of any existing Statutes to be passed by the Board and such draft shall be considered by the Board at its next meeting :

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statutes or of any amendment of a Statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Board.

(4) The Board may approve any such draft as is referred to in sub-section (3) and pass the Statute or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which it may suggest.

(5) Any member of the Board may propose to the Board, the draft of any new Statute or amendment to existing Statute and the Board may either accept or reject the proposal, if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council, and in case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Board shall refer it for consideration to the Academic Council, which may either report to the Board that it does not approve the proposal, which shall then be deemed to have been rejected by the Board, or submit the draft to the Board in such form as the Academic Council may approve, and the provisions of this section shall apply in the case of a draft so submitted as they apply in the case of a draft proposed to the Board by the Academic Council.

(6) A new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the previous approval of the Chancellor who may sanction, disallow or remit it for further consideration.

Regulations.

40. (1) The authorities and other bodies of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for:—

(a) laying down the number of members required to form a quorum and the procedure to be observed at the meeting;

(b) providing for all matters which by this Act, and the Statutes are to be provided for by the Regulations; and

(c) providing for any other matters solely concerning such authorities and bodies and not provided for by this Act and the Statutes.

(2) Every authority of the University shall make regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Board may direct the amendment, in such manner as it may specify, or any Regulations made under this section on the annulment of any Regulations made under sub-section (1) by any authority of the University.

(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Statutes, make Regulations providing for course of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Faculty concerned.

(5) The Academic Council may either approve or reject or alter the draft received from the Faculty or return it to the Faculty for further consideration together with its own suggestions.

CHAPTER—VII

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS ETC.

Annual Report.

41. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and shall be submitted to the Chancellor and the State Government and shall be placed before the State Legislature.

Accounts and audit.

42. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever sources and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The annual accounts and balance sheet shall be submitted by the Board to the State Government which shall cause an audit to be carried out by such person as it may direct.

(3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall, together with the copies of the Audit Report, be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary and audit report with comments of the Board shall be placed before the State Legislature.

CHAPTER—VIII

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies.

43. If any question arises regarding the interpretation of any provision of this Act or of any statute, or regulation or as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided that before taking any such decision the Chancellor shall give the person or persons affected thereby reasonable opportunity of being heard.

Explanation.—In this Section, the expression "body" includes any committee constituted by or under this Act.

Constitution of Committee.

44. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Filling of casual vacancies.

45. Save as otherwise provided in this Act, all casual vacancies among the members other than ex-officio members of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as convenient by the person or body who appointed, elected or co-opted the member whose place has become vacant, and the person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Vacancy etc. not to invalidate proceedings.

46. No act of the University or any authority or other body thereof shall be invalid merely by reason of —

(a) any vacancy in, or defect in the constitution of; or

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Conditions of services.

47. (1) Every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(2) No such officer or teacher as is referred to in sub-section (1) shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in or outside the University except as may be provided by the Statutes.

(3) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or teachers shall, at the request of officer or the teacher concerned or at the instance of the University be referred by the Chancellor to a Tribunal of arbitration consisting of one member appointed by the Board, one nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor, and the decision of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matters decided by the Tribunal.

(4) Every request under sub-section (3) shall be deemed to be submission to arbitration upon the terms of this Section within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996) and all the provisions of that Act shall apply accordingly.

Pension and Provident fund.

48. (1) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes such pension, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) Where any such provident fund has been so constituted, the Chancellor may declare that the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (No. 19 of 1925), shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

Protection of acts and orders.

49. All acts and orders in good faith done and passed by University shall be final and no suit shall be instituted or damage claimed for anything done or committed in pursuance of the Act, Statutes and Regulations.

Appointment of the first Vice-Chancellor and his extra-ordinary powers.

50. (1) The first Vice-Chancellor shall be directly appointed by the Chancellor in consultation with the State Government as soon as practicable after the commencement of this Act for a period not exceeding eighteen months.

(2) The first Vice-Chancellor shall have the following powers, namely :—

(a) with the previous approval of the Chancellor to make additional Statutes to provide for any matter not provided for by the first Statutes;

(b) with the previous approval of the Chancellor to constitute provisional authorities and bodies and on their recommendations to make rules providing for conduct of the work of the University;

(c) subject to the control of the Chancellor to make such financial arrangements and to incur such expenditure as may be necessary to enable this Act or any part thereof to be brought into operation;

(d) with the sanction of the Chancellor to make such appointments as may be necessary to enable this Act or any part thereof to brought into operation;

(e) with the previous sanction of the Chancellor to appoint committees, as he may think fit, to discharge such of his functions, as he may direct; and

(f) generally to exercise all or any of the powers conferred on the Board by this Act or the Statutes.

(3) Any order passed by the Vice-Chancellor in exercise of the powers conferred by items (b), (d) and (e) of sub-section (2) shall continue to have effect until it is modified or set aside by the authority or body competent to deal with it in accordance with the provisions of this Act.

Appointment of teachers by Board.

51. No person shall be appointed by the Board as a salaried teacher of the University except on the recommendation of a selection committee constituted for the purpose in accordance with the provisions of the Statutes.

Salaries of teachers.

52. The payment of salaries to the teachers of the University shall be in accordance with the scales fixed by Statute with prior approval of the State Government.

Term of office of member of authority of the University.

53. (1) Whenever any person becomes a member of any authority by virtue of the office held by him he shall forthwith cease to be a member of such authority if he ceases to hold such office before the expiry of the term of his membership :

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

(2) Whenever any person becomes a member of any authority, as a representative of another body, whether of this University or not, he shall cease to be a member of such authority, if before the expiry of his term he cease to be a member of the body by which he was nominated, appointed or elected.

Resignation of member or officer of University.

54. (1) Any member, other than an ex-officio member of the Board, Academic Council or any other University Authority or Council or any Dean of a Faculty, may resign by letter addressed to the Registrar, and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the Registrar.

(2) Any officer of the University whether salaried or otherwise other than a Dean, may resign his office by letter addressed to the Registrar and such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy or automatically on the expiry of the three months from the date of the receipt of resignation by the Registrar whichever is earlier.

Removal from membership of any authority or Board of University.

55. The Chancellor may on the request of the Board remove any person from the membership of any authority including the Board, of the University on the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude :

Provided that no order for removal shall be passed against any person without giving him an opportunity of being heard :

Provided further that nothing in this Section shall apply where the person concerned is a member in his capacity as a member of the Legislative Assembly of the State.

Removal of difficulties.

56. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appears to be necessary for removing the difficulties :

Provided that no order shall be made under this Section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, on the table of the Legislative Assembly.

Transfer of property and personnel.

57. (1) As from such date as the State Government may, by notification, specify in this behalf all constituent colleges of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya situated in the areas specified in sub-section (1) of Section 6 imparting instruction in Agriculture, Horticulture, Veterinary Science and Animal Husbandry or any other allied subjects for bachelor's degree or higher and all research stations within those areas which are operated for carrying out research in agriculture and allied sciences together with lands, hostels and other buildings, furniture, library books, laboratories, stores, instruments, apparatus, appliances and equipments and livestock belonging to such colleges and stations and the budget programme made for them shall be transferred to and vest in the University.

(2) On and from the date of transfer of any college or research station under sub-section (1), the following consequences shall ensue, namely :—

(a) the employees of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya—

(i) who were working in or were attached to the colleges or research stations situated within the jurisdiction of the University on the said date; or

(ii) who but for their temporary absence from such colleges or research stations on account of any cause would have been working in or remained attached thereto on the said date; or

(iii) except the employees who have been recruited against the separate cadre posts created in College of Horticulture, Mandsaur, College of Agriculture, Tikamgarh and Ganjbasoda and College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Rewa, who opt for transfer to the University and are permitted by the Committee constituted by the State Government for the purpose within a period of six months or a period as extended by the State Government,

shall become the employees of the University and shall be thereafter be governed by the terms and conditions governing the services under the University :

Provided that the terms and conditions offered by the University to such employees consequent upon their absorption in the service of the University shall not be less favourable than those applicable to such employees prior to the said date;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired accrued or incurred by the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya in respect of the college or research station, as the case may be, shall be deemed to be the right, privilege obligation or liability acquired, accrued or incurred by the University;

(c) any contract entered into by the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya in respect of the college or research station, as the case may be, shall be deemed to be contract entered into by the University.

(3) Nothing in this section shall be deemed to authorise the University to sell, lease, exchange, or otherwise dispose of any land or building of any college or research station, transferred to the University under sub-section (1) except with the prior concurrence of the State Government.

State Government to assume financial control in certain circumstances.

58. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year form the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) remains in operation, the executive authority of the the State Government shall extended to the giving of directions to the said University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such directions may include :

(i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;

(ii) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;

(iii) a provision requiring the submissions of every proposal for revision of scales of pay and rates of allownaces of the officers, teachers and other persons employed by the University to the State Government for sanction;

(iv) a provision requiring the reduction of salaries and allownaces of all or any class of persons employed by University;

(v) a provision requiring the reduction in the number of officers, teachers and other persons employed by University;

(vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rates of allowances;

(vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strength on the University.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every authority of the University and every officer of the University to give effect to the direction given under this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary to Government Madhya Pradesh, Farmer's Welfare and Agriculture Development Department, be recovered from such officer as an arrear of land revenue :

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall be taken until reasonable apportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the State Government.

Special Provision for better administration of University in certain circumstances.

59. (1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University, and it is expendient in the interest of the University so to do, it may by notification for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date), apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date the Vice-Chancellor, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that the term of office has not expired vacate his office, and the Chancellor shall immediately after the issue of the notification appointed the Vice-Chancellor who shall hold office during the period of operation of the notification :

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner :

Provided further that the Vice-Chancellor may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date the following consequences shall ensue, namely :-

(i) every person holding office as a member of the Board or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(ii) until the Board or Academic Council, as the case may be, is reconstituted, Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Board or Academic Council :

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a Committee consisting of an educationist, and administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Board and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, and the Board and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later :

Provided that if the Board and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Board or Academic Council, as the case may be, is to constituted.

Overriding effect regarding territorial jurisdiction.

60. Notwithstanding anything contained in the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1963 (No. 12 of 1963), the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya shall cease its territorial jurisdiction on the area enumerated in section 6 of this Act.

Repeal and Saving

61. (1) The Gwalior Krishi Vishwavidyalaya Adhyadesh, 2008 (No. 4 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2009.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम
प्रथम परिनियम

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

Bhopal, the 25th June 2014

No. B-4-16-2009-XIV-2.—In exercise of the powers conferred by Section 39 (1) of Rajmata Vijaya Raje Scindia Krisi Vishwa Vidyalaya, Gwalior Adhiniyam, 2009, the State Government hereby makes the first Statute of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior is hereby published in the ordinary gazette. The first statute of the University shall come in to force from the date of notification.

THE FIRST STATUTE.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2014

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 38 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. –**

(1) इन परिनियमों (परिनियम कमांक 1 से 21) का संक्षिप्त नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, 2012 है।

(2) ये परिनियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं. –** इन परिनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (कमांक 4 सन् 2009) ;

(ख) ''शैक्षणिक वर्ष/सत्र'' से अभिप्रेत है, दो सेमेस्टरों की अवधि जिसके दौरान विश्वविद्यालय द्वारा यथा अधिसूचित शैक्षणिक कलैन्डर/सेमेस्टर, कायक्रम के अनुसार शिक्षा के कार्य का चक्र पूर्ण किया जाता है ;

(ग) ''बोर्ड''से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 27 के अधीन यथा गठित विश्वविद्यालय का बोर्ड ;

(घ) ''समिति'' से अभिप्रेत है, निधि के प्रशासन के लिए परिनियमों के अधीन गठित समिति ;

(ङ) ''निरंतर सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित निरन्तर सेवा;

(च) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, किसी सेमेस्टर तथा पाठ्यचर्या का अभिन्न और विशिष्ट भाग होते हुए, सेमेस्टर तक विस्तारित कक्षाओं की श्रृखला और विशिष्ट विषय का कार्यानुभव ;

(छ) 'क्रेडिट' (समाकलन) से अभिप्रेत है, विद्यार्थी द्वारा कक्षा, प्रयोगशाला या क्षेत्रकार्य के लिए प्रति सप्ताह दिया गया सम्पर्क समय, अर्थात् :–

(एक) ''एक क्रेडिट (समाकलन)'' प्रति सप्ताह 45 मिनट की एक सैद्धांतिक कक्षा अथवा 90 मिनट की एक प्रायोगिक कक्षा ;

(दो) ''दो क्रेडिट (समाकलन)'' प्रति सप्ताह 45 मिनट की दो सैद्धांतिक कक्षाएं या 90 मिनट की दो प्रायोगिक कक्षाएं तथा इसी समरूप 3 या 4 क्रेडिट (समाकलन) ;

(ज) ''पाठ्यचर्या'' से अभिप्रेत है, किसी उपाधि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संकाय द्वारा चयनित और परिकल्पित सेमेस्टरों में विभक्त किए गए पाठ्यकमों की श्रृंखला ;

(झ) ''आश्रित'' से अभिप्रेत है, मृत अभिदाता का कोई रिश्तेदार अर्थात् पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता–पिता, अवयस्क भाई, एवं अविवाहित बहनें तथा यदि अभिदाता के माता–पिता जीवित न हो तो पितामह–पितामही ;

(ञ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, परिनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी स्थायी अथवा अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक सेवा का कोई व्यक्ति किन्तु इसमें प्रतिनियुक्ति या

दैनिक मजदूरी पर या कार्यभारित स्थापना या संविदा आधार पर लगाया गया कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं ;

(ट) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित परिवार ;

(ठ) ''निधि'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि ;

(ड) 'पेंशन, उपदान तथा पेंशन का संराशीकरण' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय ऐसी रकम, जिसे कि राज्य सरकार के कर्मचारी क्रमशः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1996 के अधीन प्राप्त करने के हकदार हैं ;

(ढ़) कर्मचारी के संबंध में ''वेतन'' से अभिप्रेत है, मासिक वेतन तथा जिसमें कर्मचारी को देय समस्त नियत भत्ते सम्मिलित हैं ;

(ण) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(त) ''सेमेस्टर'' से अभिप्रेत है, 105 कार्य दिवस की कालावधि जिसमें से 85 दिवस अध्यापन के लिए रहेंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे ;

(थ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;

(द) ''परिनियम'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 38 तथा 39 के उपबंधों के अधीन बनाए गए परिनियम ;

(ध) ''अभिदाता'' से अभिप्रेत है, कोई कर्मचारी जिसकी ओर से परिनियमों के अधीन अभिदान की रकम जमा की जाती है ;

(न) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ;

(प) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार की कोषालय संहिता तथा वित्तीय संहिता में यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष ;

(फ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन परिनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

परिनियम क्रमांक 1

कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

1. **कुलपति का वेतन, भत्ते, आवास, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता तथा अवकाश .–**

(क) कुलपति प्रतिमास ऐसे वेतन तथा भत्ते साथ ही अन्य भत्ते प्राप्त करेगा जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं। यदि वह अपनी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात् अपना कार्यभार ग्रहण करता है और अपनी पूर्व की सेवाओं के कारण पेंशन प्राप्त कर रहा है तो संराशीकरण के पूर्व निर्धारित की गई पेंशन की सकल रकम तक/में से उसके वेतन तथा भत्ते से कम की जाएगी।

(ख) कुलपति, अपनी पदावधि के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किराया मुक्त सुसज्जित आवासीय वास सुविधा पाने का हकदार होगा।

(ग) कुलपति, ऐसी शर्तों पर, जैसी कि राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष को लागू होती हों, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालय के वाहन का उपयोग करने का हकदार होगा।

(घ) कुलपति, विश्वविद्यालय की सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान योजना के लिए विकल्प लेने का पात्र होगा यदि उसने उसकी पदावधि का प्रारंभ होने के पूर्व अधिवार्षिकी की सामान्य आयु प्राप्त नहीं की है और कुलपति के रूप में पद ग्रहण करने के पूर्व वह केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य की स्वशासी निकाय या केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में पेंशन योजना का पात्र रहा हो। यदि वह विश्वविद्यालय की सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान योजना में सम्मिलित होने का विकल्प लेता है तो वह पेंशन के प्रयोजन के लिए अधिवार्षिकी की सामान्य आयु पूर्ण होने तक कुलपति के रूप में अपनी सेवा के साथ पिछली सेवा को जोड़ने के लाभ का हकदार होगा। इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय, पूर्ववर्ती संगठनों से पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि दायित्व प्राप्त करेगा। अधिवार्षिकी की सामान्य आयु से परे विश्वविद्यालय में उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को, पेंशन संबंधी लाभों के प्रयोजन के लिए संगणना में नहीं लिया जाएगा। पेंशन–सह–उपदान लाभ केवल उसके द्वारा कुलपति का पद त्याग देने की तारीख से ही देय होंगे। यदि कुलपति, अपना कार्य अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् ग्रहण करता है या पदावधि के दौरान अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है तो वह उसके पदभार ग्रहण करने की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि योजना से जुड़ने का हकदार होगा।

2. (क) कुलपति, एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिन के पूर्ण वैतनिक अवकाश का हकदार होगा। उसके खाते में अवकाश 15 दिन का अग्रिम अवकाश की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन को जमा किया जाएगाः

परन्तु यदि कुलपति, चालू अर्द्ध वर्ष के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है/त्यागता है, तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2½ दिन प्रति माह की दर से आनुपातिक अवकाश जमा किया जाएगा।

(ख) कुलपति के खाते में पूर्ववर्ती आधे वर्ष की समाप्ति पर नये आधे वर्ष में इन शर्तों के अध्यधीन अवकाश अग्रनीत किए जाएंगे कि उस आधे वर्ष के लिए इस प्रकार अग्रनीत किए गए तथा जमा अवकाश, 240 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हों।

(ग) कुलपति, अपना पदभार त्यागने पर, उसके पदभार त्यागने के समय कहीं और लिए गए नकदीकरण के लाभों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 240 दिन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए पूर्ण वेतन पर उसे अनुज्ञेय अवकाश के दिनों के लिए अवकाश वेतन के समतुल्य राशि पाने का हकदार होगा।

(घ) कुलपति, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन प्रति वर्ष की दर से अर्द्ध वैतनिक अवकाश पाने का भी हकदार होगा। यह अर्द्ध–वैतनिक अवकाश, पूर्ण वेतन पर लघुकृत अवकाश के रूप में केवल

चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही उपलब्ध होगा, जब लघुकृत अवकाश का दो बार लाभ लिया जाता है, तो अर्द्ध वैतनिक अवकाश की रकम, शेष अर्द्ध वैतनिक अवकाश से विकलित की जाएगी।

(ङ) कुलपति, स्वयं चिकित्सा आधार पर या अन्यथा पांच वर्ष की पूर्ण पदावधि के दौरान, अधिकतम तीन माह की कालावधि के, बिना वेतन के असाधारण अवकाश का भी हकदार होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय चिकित्सीय परिचर्या तथा अवकाश यात्रा रियायत जैसे समस्त अन्य लाभों का हकदार होगा।

(4) कुलपति, कुलपति के रूप में उसकी नियुक्ति तथा उसका कार्य भार त्यागने पर या स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते का हकदार होगाः

परन्तु कुलपति के वेतन से पेंशन के कटोत्रे का उपबंध, जब तक संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों/अध्यादेशों में इस आशय का विशिष्ट उपबंध पूर्व से ही विद्यमान न हो, पदधारी कुलपति को लागू नहीं होगा।

परिनियम क्रमांक 2

कुलपति की शक्तियां

1. **कुलपति की शक्तियां.–**

अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति को निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी, अर्थात् :–

(1) विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजट के भीतर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय मंजूर करना, परन्तु वह विभिन्न विनियोग/ इकाईयों के भीतर राशियों का पुनर्विनियोजन कर सकेगा ;

(2) राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए स्वयं के यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करना ;

(3) अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित बैंक में विश्वविद्यालय की ओर से खाता खोलना और विश्वविद्यालय के किसी आहरण तथा संवितरण अधिकारी को ऐसा बैंक खाता प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत करना ;

(4) यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करना तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अधिकारिता से परे कर्तव्य की अनुपस्थिति मंजूर करना ;

(5) शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अवकाश प्रदान करना ;

(6) अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए ऐसी समितियों का गठन करना जैसी कि वह आवश्यक समझे ;

(7) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को सौंपे गए किन्हीं विशेष कर्तव्यों के लिए या ऐसे कर्मचारी द्वारा पालन किए गए किन्हीं अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए, जो कुलपति की राय में ऐसे भुगतान के समुचित आधार हों, कोई भत्ता स्वीकृत करना :

परन्तु ऐसा भत्ता ऐसे कर्मचारी के मूल वेतन के 6¼ प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और कि इस उप–खण्ड के अधीन की गई किसी कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड को ऐसी कार्रवाई के तुरन्त पश्चात् होने वाली बैठक में दी जाएगी।

(8) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो कि यथास्थिति उसे अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं।

परिनियम क्रमांक 3

अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1. अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें :–

(1) अधिनियम तथा इसके पश्चात् बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति से अन्यथा छोड़कर अधिकारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए विहित की गई हों ;

(2) बोर्ड, यदि चयन समिति द्वारा ऐसी सिफारिश की जाए और ऐसी सिफारिशों की स्वीकृति के लिए अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिनियमों द्वारा विहित प्रारम्भिक वेतन से उच्चतर प्रारम्भिक वेतन मंजूर कर सकेगा, परन्तु ऐसी बढ़ी हुई रकम किसी भी अभ्यर्थी को, अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए पांच अग्रिम वेतनवृद्धियों की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(3) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और वे बोर्ड द्वारा समय–समय पर अपने कर्मचारियों के लिए इस निमित्त यथा विहित अवकाश, अवकाश वेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे:

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से बाहर निदेशक तथा महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जैसी कि बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए। ऐसे अभ्यर्थी का, जब तक कि वह विहित अवधि के दौरान किसी अन्य उपयुक्त पद के लिए चयनित नहीं हो जाता, विनिर्दिष्ट पदावधि का अवसान होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अन्य पद के लिए दावा नहीं होगा। निदेशक और संकायाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसकी अधिवार्षिकी आयु की तारीख तक इनमें जो भी पहले हो, होगी। कुलपति को, प्रशासन की सुविधा तथा अत्यावश्यकता को देखते हुए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, ऐसी अवधि को कम करने/घटाने की शक्ति होगी।

(4) प्रत्येक कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा से उस माह के अन्तिम दिन के अपरान्ह को, जिसमें कि वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करता है, नीचे विहित किए गए अनुसार सेवा निवृत्त हो जाएगा :–

(क) 'अधिकारी' अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट (कुलपति को छोड़कर) 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति जो पदोन्नति के द्वारा या अन्यथा, अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हों परन्तु जो 20 वर्ष से अनधिक की अवधि तक अध्यापन कार्य में लगे रहे हों तथा

विश्वविद्यालय के पद पर धारणाधिकार रखते हों, 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(ख) अधिनियम की धारा 2 (ट) में यथा परिभाषित ''अध्यापक'', 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(ग) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी प्रवर्ग के ''गैर–अध्यापन सेवा कार्मिक'' 60 (साठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(घ) ''चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी'' 62 (बासठ) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगेः

परन्तु अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर, ऐसा कर्मचारी जिसकी जन्म तारीख किसी माह की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तारीख के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगाः

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को लोकहित में या विश्वविद्यालय के हित में 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा हो जाने पर कोई कारण बताए बिना किसी भी समय तीन माह की सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन माह के वेतन तथा भत्ते देकर, सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

(5) ऐसे व्यक्तियों के मामले, जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः नियोजित किये गये हो, वे विश्वविद्यालय सेवा में उनके पुनः नियोजन की शर्तों तथा निबंधनों द्वारा शासित होंगेः

परन्तु ऐसे पुनः नियोजित व्यक्ति सिवाय बोर्ड के अनुमोदन के, ऐसे मामलों से संबंधित सेवानिवृत्ति की उम्र के पश्चात् विश्वविद्यालय सेवा में नहीं बने रह सकेंगे और ऐसी शर्त प्रत्येक पुनःनियोजित व्यक्ति के नियुक्ति आदेश में तथा विश्वविद्यालय व उनके बीच किए जाने वाले अनुबंध में वर्णित की जाएगी।

परिनियम क्रमांक 4

कुलसचिव तथा लेखा नियंत्रक की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य

1. **कुलसचिव की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य : –**

(1) कुलसचिव, परिलब्धियां, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर यथाअनुमोदित पुनरीक्षित वेतनमान में, वेतन प्राप्त करेगा। किसी विशेष प्रकरण में, जहां परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो तथा या जब व्यक्ति पहले से ही नियोजन में हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, वह ऐसा उच्चतर वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार या पैतृक विभाग या संस्था या निकाय से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किया जाए, प्राप्त करेगा।

(2) कुलसचिव,–

(क) अधिनियम की धारा 41 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का उत्तरदायी होगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा तथा ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जो कि बोर्ड द्वारा उसके प्रभार में सुपुर्द की जाए ;

(ग) अधिनियम के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के बोर्ड, विद्या परिषद् और किन्हीं समितियों या निकायों की, जिनमें कि उसे सचिव के रूप में कार्य करना है, बैठकें आयोजित करने वाली समस्त सूचनाएं जारी करना ;

(घ) अधिनियम के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के बोर्ड, विद्या परिषद् और किन्हीं समितियों या निकायों की बैठकों का, जिनमें कि उसे सचिव के रूप में कार्य करना है, कार्यवृत्त रखना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित विषयों तथा लेखा नियंत्रक के कर्तव्यों की परिधि में आने वाले आनुषंगिक विषयों को छोड़कर बोर्ड तथा विद्या परिषद् का कार्यालयीन पत्र व्यवहार संचालित करना ;

(च) छात्रों के प्रवेश तथा छात्रों के रूप में उनकी निरन्तरता से संबंधित विश्वविद्यालय के परिनियमों का प्रशासन करना;

(छ) संकायों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए समय सारणी तैयार करना और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश की योजना बनाना तथा निर्देशन करना तथा संकायों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानांतरणों तथा पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों के अभिलेख रखना ;

(ज) विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र का अभिलेख रखना जिसमें उसकी शैक्षणिक दक्षता छात्र के रूप में आचरण और ऐसे सभी अन्य विषय होंगे, जिनका छात्र की दक्षता तथा उसके आचरण से संबंध हो ;

(झ) विश्वविद्यालय के स्नातकों के अभिलेख रखना ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कि उसे कुलपति द्वारा, जिसके कि प्रति वह उत्तरदायी है, समय–समय पर सौंपे जाएं ;

2. **लेखा नियंत्रक की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .–**

(क) लेखा नियंत्रक, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए गए पुनरीक्षित वेतनमान में, वेतन प्राप्त करेगा। किसी विशेष प्रकरण में, जहां परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो, वह ऐसा अन्य उच्चतर वेतन तथा भत्ते, जो कि मध्यप्रदेश सरकार के परामर्श से अवधारित किए जाएं, प्राप्त करेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के खंड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त लेखा नियंत्रक निम्नलिखित शक्तियों का भी प्रयोग करेगा, अर्थात् :–

(एक) वह वित्तीय प्राक्कलन तैयार करने तथा उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(दो) वह आय तथा फीस प्राप्त करेगा, भुगतान का संवितरण करेगा तथा विश्वविद्यालय के दिन प्रति दिन के वित्तीय संव्यवहारों के लिए और उसके उचित लेखांकन के लिए उत्तरदायी होगा तथा अन्य समस्त आनुषंगिक बातें करेगा जिसमें उससे संबंधित पत्र व्यवहार सम्मिलित है ;

(तीन) वह विश्वविद्यालय के लेखा तथा वित्त से संबंधित मामलों के संबंध में, जिनके कि लिए वह सीधे कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की जाएं या बोर्ड या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित की जाएं ;

(चार) वह अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में परिकल्पित अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए जब भी कभी आवश्यक हो, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होगा ;

(पांच) वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे समय–समय पर सौंपे जाएं।

(ग) विश्वविद्यालय को देय किसी धन के संबंध में लेखा नियंत्रक, बोर्ड द्वारा या इस संबंध में सम्यक् रूप से, लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा जारी की गई रसीद, ऐसी प्राप्ति के लिए जारी की गई रसीद समझी जाएगी।

परिनियम क्रमांक 5

चयन समिति की संरचना, चयन की प्रक्रिया तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें

1. **अधिकारी तथा अन्य कर्मचारिवृन्द .–**

(1) विश्वविद्यालय के वे अधिकारी होंगे जो अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) से (झ) में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष भी विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा।

2. **अधिकारियों के पदों के लिए अर्हताएं .–** अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति तथा कुलपति से भिन्न) के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताएं, विद्या परिषद् द्वारा की गई अनुशंसाओं पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान वाले अध्यापकों/अधिकारियों के पदों के मामले में, अनुशंसाएं मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देशों के पैटर्न पर आधारित होंगी और अधिकारियों के शेष पदों के मामले में, जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान वाले पद हैं अर्हता प्रशासनिक परिषद् द्वारा अधिकथित की जाएंगीः

परन्तु विहित अर्हता को, सम्यक् रूप से ऐसी रीति में, जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित की जाए, सम्यक् रूप से प्रचारित किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया, मध्यप्रदेश सरकार से रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही, प्रारंभ होगी।

3. **अधिकारियों, अध्यापकों एवं सेवा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन.–**

(1) कुल सचिव, प्रत्याशित रिक्तियों को भरने या विश्वविद्यालय के गठन के रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए कुलपति द्वारा गठित चयन समिति हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेगा और यथोचित कदम उठाएगा।

(2) कालम (1) में दर्शाए गए विभिन्न पदों के लिए, कालम (2) में दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित चयन समितियां होंगी :–

पदनाम (1)	चयन समिति का गठन (2)
(क) (एक) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं (दो) निदेशक, विस्तार सेवाएं (तीन) निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण (चार) संकायों के संकायाध्यक्ष (पांच) महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष (छह) कुलसचिव (सात) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष (आठ) लेखा नियंत्रक (नौ) आचार्य/सह आचार्य एवं अनुसंधान, विस्तार तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के सभी समकक्ष पद	(1) कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्यों मे से उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (2) विश्वविद्यालय से संबद्ध न होने वाले व्यक्तियों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य. (3) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य (4) मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना वाला एक सदस्य (5) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग नई दिल्ली द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना वाला केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेषज्ञ सदस्य. (6) यह पद मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अपर संचालक या उसके समतुल्य पद के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा. (7) यह पद मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अपर संचालक या उसके समतुल्य पद के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा. (8) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष या निदेशक . (9) संबंधित विभागाध्यक्ष. (10) कुल सचिव; सदस्य सचिव होगा.

टीपः–

1. ऊपर अनुक्रमांक (4) के सामने वर्णित सदस्य, केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत पदों से भिन्न पदों के लिए भाग लेगा।

2. ऊपर अनुक्रमांक (5) के सामने वर्णित सदस्य केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वीकृत पदों के लिए भाग लेगा।

3. अनुक्रमांक (8) और (9) के सामने यथास्थिति, पदों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए वर्णित सदस्य ऊपर प्रवर्ग (नौ) के सामने उल्लिखित पदों के चयन में भाग लेगा।

(ख) (एक) सहायक प्राध्यापक तथा शिक्षण अनुसंधान और विस्तार जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र भी सम्मिलित है, के समस्त समतुल्य पद।	(1) कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्यों मे से उसका कोई नामनिर्देशिती — अध्यक्ष
(दो) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / क्रीड़ा अधिकारी / कार्यक्रम सहायक / तकनीकी सहायक	(2) संबंधित संकायाध्यक्ष (3) निदेशकों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक निदेशक (4) संबंधित विभागाध्यक्ष (5) विश्वविद्यालय के बाहर के दो विशेषज्ञ जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा (6) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष (7) कुल सचिव सदस्य सचिव होगा।

टीपः– 1 विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष केवल सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए भाग लेगा।

(ग) (एक) उप कुलसचिव / उप नियंत्रक	(1) कुलपति या विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सदस्यों मे से उसका कोई नामनिर्देशिती
(दो) कार्यपालन यंत्री	(2) नियंत्रक (केवल वित्तीय पदों के लिए)
(तीन) सहायक कुलसचिव / सहायक नियंत्रक	(3) भरे जाने वाले पदों की प्रकृति के अनुसार कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य
(चार) सहायक यंत्री	(4) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो
(पांच) चिकित्सा अधिकारी	(5) कुलसचिव सदस्य सचिव होगा।
(छह) अनुभाग अधिकारी / निज सचिव तथा अन्य कोई समान पद जो ऊपर वर्णित में न आते हों	
(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी की पदश्रेणी से नीचे के लिपिकीय पद	(1) कुलसचिव – अध्यक्ष (2) लेखा नियंत्रक (3) कुलपति द्वारा, किसी भी संकाय / संचालनालय / विभाग से, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य (4) उप कुल सचिव सदस्य सचिव होगा ।

टीप :– उपरोक्त समितियां, सेवा में प्रवेश के समय पदों पर नियुक्तियों के संबंध में तथा खण्ड (ग) और (घ) के अधीन उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु कार्य करेगी।

(ङ) महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि में सेवाओं में प्रवेश के समय सहायक ग्रेड–तीन, क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनो–टाइपिस्ट, प्रयोगशाला सहायक तथा पुस्तकालय सहायक आदि लिपिकीय/अलिपिकीय फील्ड स्टाफ के पद.	(1) कोई भी निदेशक – अध्यक्ष (2) लेखा नियंत्रक (3) उस इकाई/विभाग के दो वरिष्ठ सदस्य जहाँ से पद भरे जाना हैं जो संबंधित संकायाध्यक्ष/निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (4) किसी संकाय/संचालनालय/ विभाग से एक सदस्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। (5) उप कुल सचिव सदस्य – सचिव होगा
(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी (अलिपिकीय) पद जैसे वाहन चालक, फोटोग्राफर, मशीन आपरेटर, हेल्पर, क्लीनर, बाइन्डर, कारपेन्टर आदि।	(1) कोई भी निदेशक – अध्यक्ष (2) कुलसचिव (3) लेखा नियंत्रक (4) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप कुल सचिव (5) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, जो उस कार्यालय का हो जहाँ से पद भरे जाना है (6) किसी भी संकाय/संचालनालय/विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी (7) उप कुलसचिव सदस्य – सचिव होगा।

टीप :–

(क) यह समिति, सेवा में प्रवेश के समय, पदों पर नियुक्ति तथा उच्चतर पदों पर पदोन्नति से संबंधित कार्य भी करेगी, तथापि तकनीकी पदों पर पदोन्नति के मामले में, समिति का अध्यक्ष, जहाँ से पद भरे जाना है वहां के संबंधित संचालक/ संकायाध्यक्ष/ संबंधित अधिकारी होंगे,

(ख) प्रत्येक चयन समिति के लिए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या (+) एक से गणपूर्ति होगी।

(ग) चयन समिति में, अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नामनिर्देशिती, इस परिनियम के अधीन, मध्यप्रदेश सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार भाग लेंगे।

(घ) विश्वविद्यालय, लिपिकीय, अलिपिकीय तथा तकनीकी पद जो वर्ग–तीन तथा वर्ग–चार के प्रवर्ग में आते हैं, के समस्त पदों के लिए सेवा में प्रवेश के समय, समय–समय पर अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, पात्रता परीक्षा संचालित कर सकेगा।

4. **चयन की प्रक्रिया**

(1) अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समस्त पद (कुलाधिपति, कुलपति तथा संकायाध्यक्ष को छोड़कर) तथा अधिनियम की धारा 2 (ट) के अधीन यथा परिभाषित पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यापक और समतुल्य प्रवर्गों के पद, योग्यता के आधार पर और अखिल भारतीय विज्ञापन से चयन द्वारा भरे जाएंगे :

कुलसचिव – धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, कुलसचिव, राज्य सरकार द्वारा, संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अपर संचालकों में से नियुक्त किया जाएगा।

लेखा नियंत्रक – बोर्ड, विश्वविद्यालय के हित में, लेखा नियंत्रक का पद, मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के ऐसे अपर संचालक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त करने पर भी विचार कर सकेगा जिसे समुचित अनुभव हो और जो योग्य हो।

(2) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या किसी समतुल्य पद, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित की जाएं और यह कि केवल वे ही अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करने के अलावा आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी/सी.एस.आई. आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) में अर्हता प्राप्त की हो, सहायक आचार्य या समतुल्य पद पर चयन और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। पी.एच.डी. उपाधि धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। तथापि अन्य बातें समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने पी.एच.डी. की है तथा आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी. /सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) उत्तीर्ण की हो, भर्ती में अधिमान दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां उन विषयों में, जिनमें आई.सी.ए.आर. या यू.जी.सी./सी.एस.आई. आर. के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) संचालित नहीं की गई हो, रिक्तियों की पूर्ति, विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए की जाएगी :

परन्तु पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन संकाय के अन्तर्गत आने वाले पदों के लिए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा कोई मानदण्ड अधिकथित किए गए हों, तो सहायक आचार्य तथा उसके समतुल्य पद पर नियुक्तियों के लिए भी वे लागू होंगे।

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी जो अपेक्षित अर्हता या अन्य शर्तें (यदि कोई हों) धारित करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और उनके आवेदन अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचारण में लिए जाएंगे।

(4) अधिनियम तथा इस परिनियम के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी सहायक आचार्य तथा सह आचार्य के प्रवर्ग में अध्यापकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अभिकथित किए गए मानदण्डों के अनुसार 'योग्यता पदोन्नति स्कीम' के अधीन क्रमशः सह आचार्य तथा आचार्य के पदों पर पदोन्नत किया जा सकेगाः

परन्तु वे अध्यापक जिन्होंने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में सेवा करते हुए योग्यता पदोन्नति स्कीम के अधीन पदोन्नति/नियुक्ति के लिए विकल्प दिया है वे दिनांक 27.07.1998 तक, वे उसी स्कीम द्वारा शासित होते रहेंगे तथा योग्यता पदोन्नति स्कीम के अधीन उसमें विहित वेतनमान के लिए हकदार होंगे।

(5) विश्वविद्यालय के अध्यापक यदि वे विकल्प देते हैं, तो केरियर अभिवर्धन स्कीम के लाभ जोकि मध्यप्रदेश सरकार, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक –बी–4–39/87/ 14–2, दिनांक 9 मार्च, 1989 में अंतर्विष्ट हैं तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/मध्यप्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर उपांतरित किए जाएं या संशोधित किए जाएं, प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

(6) वृत्ति अभिवर्धन स्कीम, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा क्रीड़ा अधिकारी तथा उनके समतुल्य समस्त पदों को भी लागू होगी।

(7) वृति अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन के लिए विचारण में लिए जाने वाले समस्त मामलों के लिए, चयन समिति का गठन किया जायेगा तथा छंटनी/चयन, मध्यप्रदेश सरकार, कृषि विभाग के आदेश क्रमांक –बी–4–39/87/14–2, दिनांक 9 मार्च, 1989 में अंतर्विष्ट तथा समय–समय पर यथा उपांतरित या संशोधित किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) विश्वविद्यालय सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) सेवा में प्रवेश के समय को छोड़कर विनियम में विनिर्दिष्ट वर्ग–एक, वर्ग–दो तथा वर्ग–तीन के रूप में परिभाषित गैर अध्यापन सेवा कार्मिक के पद पर भर्ती, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर 80 प्रतिशत तक पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा शेष 20 प्रतिशत पद विश्वविद्यालय के पात्र स्टाफ में से जो उन पदों के लिए अपेक्षित अर्हता रखते हैं, विभागीय परीक्षा संचालित कर सर्वथा योग्यता के आधार पर विज्ञापन और चयन द्वारा भरे जाएंगे :

परन्तु गैर अध्यापन सेवा कार्मिक के पदों पर भर्ती, विज्ञापन तथा खुली प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी कि विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा समय–समय पर अधिकथित की जाए, की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की कार्यशाखा के वर्ग–दो तथा अन्य उच्च पदों के लिए, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नति हेतु 80 प्रतिशत कोटा नियत किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत कोटा विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए नियत किया जाएगा। यदि रिक्त पद की प्रकृति ऐसी है कि वांछित प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति या तो पदोन्नति कोटा से या विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा करने में विश्वविद्यालय असमर्थ है, तो कुलपति मध्यप्रदेश सरकार से उपयुक्त व्यक्ति की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त कर सकेगा।

(9) गैर अध्यापन सेवा कार्मिक, मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–11/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार क्रमोन्नति योजना के तथा समयमान जैसा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकथित किया जाए, के लाभों को प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

(10) विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में, विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की, सर्वप्रथम, कुलपति द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी जो उन आवेदकों के नामों की, जिन्होंने उस पद के लिए विचार करने हेतु विहित अर्हताओं की पूर्ति की हैं, अनुशंसा कुलपति को करेगी। उक्त समिति द्वारा सिफारिश किए गए तथा कुलपति द्वारा अनुमोदित आवेदकों को चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आचार्य, सह आचार्य तथा उसके समतुल्य अध्यापन पदों के चयन के मामले में, चयन समिति द्वारा स्वविवेक से ऐसे आवेदकों की अभ्यार्थिता पर जो कि साक्षात्कार की तारीख को विदेश में हों, अनुपस्थिति पर भी विचार करेगी।

(11) चयन समिति, कुलपति को प्रत्येक रिक्ति के लिए योग्यता के क्रम में रखे गए तीन से अनधिक नामों के पैनल की अनुशंसा करेगी।

(12) सीधी भर्ती के मामलों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के साथ–साथ महिलाओं के पक्ष में (एक) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा (दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 तथा उनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, पदों में रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी।

(13) वर्ग–दो, वर्ग–तीन तथा वर्ग–चार प्रवर्गों के जो पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाना हैं मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–8–2/96/पांच दिनांक 30.05.1997 तथा तत्पश्चात् उक्त प्रवर्गों में आरक्षण को विनियमित करने हेतु समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार छह प्रतिशत पद अंधे, गूंगे तथा अन्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(14) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में विश्वविद्यालय प्रत्येक प्रवर्ग का, जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी हो, अवधारण करेगा जो फीडर केडर कहलाएगा। चयन समिति केवल उन कर्मचारियों के नामों पर विचार करेगी जिन्होंने फीडर कैडर में अपेक्षित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो। पदोन्नति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 तथा समय–समय पर उसमें किए गए संशोधन के अनुसार की जाएगी।

1. नियुक्ति की प्रक्रिया .–

(1) इस परिनियम के अनुसार सह आचार्य तथा उसके समतुल्य पदों तक की श्रेणी के समस्त अधिकारियों तथा अध्यापन पदों के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों की योग्यता क्रमानुसार तैयार सूची, कुलपति द्वारा अपनी स्वयं की अभिलिखित सिफारिशों के साथ विचारण के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) बोर्ड, सिफारिशों को स्वीकार और अनुमोदित कर सकेगा या सिफारिशों को अनुमोदित करने से इन्कार करने के लिखित में कारण देते हुए लौटा देगा। ऐसे मामले में कुलपति, योग्यता क्रमानुसार सिफारिश किए गए व्यक्तियों की एक अन्य सूची सम्यक् अनुक्रम में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(3) इस परिनियम के खण्ड 4 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम अर्हता की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए कुलपति आपात स्थिति में छह मास से अनधिक कालावधि के लिए किसी अध्यापन पद पर तदर्थ नियुक्ति करेगा। छह मास की कालावधि के परे ऐसी तदर्थ नियुक्ति के विस्तार के लिए बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

परिनियम क्रमांक 6

निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, निदेशक, विस्तार सेवाएं तथा निदेशक, शिक्षण और विद्यार्थी कल्याण की नियुक्ति, परिलब्धियाँ, शक्तियां तथा कर्त्तव्य

1. निदेशक, अनुसंधान सेवाएं की परिलब्धियॉं, शक्तियां तथा कर्त्तव्य

(1) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं, जिसमें प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सम्मिलित है, रूपये 37400–67000/– + ए.जी.पी. 10,000/– के वेतनमान में, तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, वेतन प्राप्त करेगा।

(2) अनुसंधान सेवाओं के निदेशक को तीन वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि बोर्ड अनुमोदन करे, नियुक्त किया जाएगा।

(3) निदेशक, अनुसंधान सेवा का पद, किन्हीं अन्य निदेशकों से तथा महाविद्यालयों के किन्हीं संकायाध्यक्षों से भी अंतर्परिवर्तनीय होगा, बशर्ते कि न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा पूरी होती हों।

(4) निदेशक, अनुसंधान सेवा, के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) छात्रों द्वारा उपाधि की अपेक्षा पूरी करने के लिए तथा विश्वविद्यालयीन अध्यापकों द्वारा अध्यापन योग्यता में सुधार के लिए किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों को छोड़कर, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान कार्य की योजना और उसें अग्रसर किये जान पर सम्पूर्ण नियंत्रण करना;

(ख) अनुसंधान सेवा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजट प्राक्कलन जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किए जाएं, तैयार करना;

(ग) अनुसंधान सेवा के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रमों में लगे हुए महाविद्यालयीन कर्मचारीवृन्द के सदस्यों का पर्यवेक्षण करने में संबंधित संकायाध्यक्ष की सहायता करना;

(घ) अनुसंधान परिणामों के संकलन की अपेक्षा और पर्यवेक्षण करना तथा अनुसंधान निष्कर्षों का समुचित प्रकाशन करना;

(ङ) संबंधित संकायाध्यक्षों के परामर्श से, ऐसे सामान्य प्रारूप में तथा ऐसी संख्या में जैसी कि अवधारित की जाए, अनुसंधान पाण्डुलिपियों को प्रकाशन के लिए अनुमोदित करना;

(च) सभी प्रकाशनों की संख्या समनुदेशित करना तथा सभी प्रकाशनों का अधिकृत अभिलेख संधारित करना;

(छ) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन में कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;

(ज) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों, विनियमों द्वारा या कुलपति द्वारा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उसे प्रदान किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

2. (2) निदेशक, विस्तार सेवा की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .–

(1) निदेशक, विस्तार सेवाएं जिसमें प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सम्मिलित है, रूपये 37400–67000/– + ए.जी.पी. 10,000/– के वेतनमान में, और बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए अनुसार वेतन प्राप्त करेगा।

(2) निदेशक, विस्तार सेवाएं तीन वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि बोर्ड अनुमोदन करे, नियुक्त किया जाएगा।

(3) निदेशक, विस्तार सेवा का पद, किन्हीं अन्य निदेशकों से तथा महाविद्यालयों के किन्हीं संकायाध्यक्षों से भी अंतर्परिवर्तनीय होगा, बशर्ते कि न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा पूरी होती हो।

(4) निदेशक, विस्तार सेवा के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) कैंपस के भीतर तथा कैंपस के बाहर होने वाले ऐसे शैक्षणिक कार्य पर सम्पूर्ण नियंत्रण करना जिससे कृषक तथा ग्रामीण परिवार जुड़े हों;

(ख) विस्तार योजना के संबंध में, कृषकों तथा अन्य गैर–छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्यक बजट तथा वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना;

(ग) विस्तार शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास करने में तथा छात्रों को पढ़ाने में संकायाध्यक्षों की सहायता करना;

(घ) कृषि सहकारिताओं तथा ग्रामीण युवाओं के साथ कैंपस के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना;

(ङ) महाविद्यालयों और इकाइयों को समनुदेशित या संबद्ध, विस्तार विशेषज्ञों का और स्टाफ के ऐसे अन्य सदस्यों का जो कृषि विज्ञान केन्द्रों में विस्तार कार्यों में लगे हों, पर्यवेक्षण करना तथा विस्तार कार्य का मार्गदर्शन करना;

(च) विस्तार कार्यक्रम के बेहतर विकास के लिए प्रकाशन, फिल्म आदि जैसी सामग्रियों को तैयार करने के कार्य का निर्देशन करना;

(छ) विश्वविद्यालय की विस्तार सेवाओं के भाग के रूप में किसी साामग्री का वितरण करना;

(ज) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों, विनियमों या कुलपति द्वारा, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

1. निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य :–

(1) निदेशक, शिक्षण तथा विद्यार्थी कल्याण रूपये 37400–67000/– के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किए अनुसार वेतन प्राप्त करेगा।

(2) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण को तीन वर्ष की अवधि या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि बोर्ड अनुमोदन करे, नियुक्त किया जाएगा।

(3) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण का पद, किन्हीं अन्य निदेशकों से तथा महाविद्यालयों के किन्हीं संकायाध्यक्षों से भी अंतर्परिवर्तनीय होगा, बशर्ते कि न्यूनतम अर्हता की अपेक्षा पूरी होती हो।

(4) निदेशक, शिक्षण, विश्वविद्यालय के समस्त संकायों में और सहबद्ध विषय में शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रभारी होगा।

(5) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) विद्यार्थियों में व्यावसायिक सक्षमता, चरित्र तथा नेतृत्व के गुण को अन्तर्निविष्ट करने के लिए संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्चाओं की रचना, विकास, मूल्यांकन तथा सुधार करना एवं अध्यापन प्रक्रिया का विकास करना;

(ख) विश्वविद्यालय के समस्त संघटक महाविद्यालयों में अध्यापन तथा परीक्षा का एक समान मानक सुनिश्चित करना;

(ग) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा की एक एकीकृत पद्धति का विकास करना एवं विभिन्न संकायों में अध्यापन कार्यों का समन्वय करना;

(घ) संघटक महाविद्यालयों, अनुसंधान केन्द्रों एवं फार्मों के शैक्षणिक कर्मचारियों को सेवान्तर्गत तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रबंध करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधियों की अपेक्षाओं की तैयारी में किए जा रहे कार्य की योजना तथा समन्वय पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना;

(च) उस संबंधित महाविद्यालयीन संकाय के साथ जिसमें छात्र अध्ययन कर रहे हों, समन्वय करना जिससे विभिन्न उपाधियों के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति उचित रीति में की जा सके;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों के अधिकारियों एवं प्राधिकारियों के साथ समन्वय करने में छात्रों की गैर–शैक्षणिक गतिविधियाँ जिनमें क्लब, मनोरंजन केन्द्र, सहकारिताएं आदि सम्मिलित हैं जिन्हें विद्यार्थी कल्याण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, योजना बनाना और उसे निदेशित करना;

(ज) छात्रों के छात्रावास, भोजनालय व्यवस्था एवं स्वल्पाहार गृह के प्रबंधन का महाविद्यालय के संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से, पर्यवेक्षण करना;

(झ) शारीरिक शिक्षा, एन.एस.एस., राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के प्रभारी कर्मचारियों के साथ सहयोग करना;

(ञ) अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से, संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से, छात्रों की अनुशासन–हीनता, अत्यधिक अनुपस्थिति एवं अन्य अनियमितताओं का निराकरण करना;

(ट) छात्रों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कायक्रमों एवं चिकित्सीय सुविधाओं का पर्यवेक्षण करना;

(ठ) विद्यार्थी कल्याण के लिए छात्र वृत्ति, बजीफों और अन्य ऐसी सहायता की जो आवश्यक समझी जाए, व्यवस्था करना;

(ड) विद्यार्थी कल्याण के संबंध में विद्यार्थी के अभिभावकों से बातचीत करना;

(ढ) ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, नियोजन के मामले में प्लेसमेंट सेल का सृजन और प्रबंध करना;

(ण) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन में, कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;

(त) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जोकि परिनियमों, विनियमों या बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा उसे दिए जाएं।

परिनियम क्रमांक 7

संकायाध्यक्षों, महाविद्यालय के संकायाध्यक्षों तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां एवं कर्तव्य

1. **संकायाध्यक्षों की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .–**

(1) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति की अनुशंसा पर, महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों में से, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जाएगी। कुलपति को, सेवा की अत्यावश्यकता तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इस कालावधि को कम करने हेतु कुलाधिपति को अनुसंशा करने की शक्ति होगी। संकायाध्यक्ष, रूपये 37400–67000/– + ए.जी.पी 10,000/– के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, वेतनमान प्राप्त करेगा।

(2) संकायाध्यक्ष .–

(क) प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा तथा प्रशासन और संकाय की नीतियों के निष्पादन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ;

(ख) संकाय से संबंधित परिनियमों और अन्य विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) किसी भी सदस्य के परिषद् के समक्ष कोई भी विषय प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नीतियों कीं रचना करेगा तथा उन्हें विधा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा ;

(घ) संकाय में, संबंधित निदेशक की सम्यक् सलाह से अध्यापन/अनुसंधान/ विस्तार से संबंधित पाठ्यचर्याओं, पाठ्यक्रमों की रूपरेखाओं, परीक्षाओं, पंजीयन तथा प्रवेश आदि की संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों से संबद्ध विषयों का संगठन करने, सलाह देने, मार्गदर्शन करने, तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में कुलपति तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों, महाविद्यालयों, छात्रों तथा जनता के साथ संकाय के सभी सरकारी कामकाज के लिए सम्पर्क के माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

(च) ऐसे अन्य कर्तव्य तथा कृत्य करेगा जोकि परिनियमों, विनियमों, या कुलपति द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उसे समनुदेशित किए जाएं।

2. महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष की परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य –

(1) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, परिनियम 1 (1) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष रूपये 37400–67000 के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए वेतन प्राप्त करेगा।

(2) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(क) उस महाविद्यालय और उस क्षेत्र के, जिसका कि वह प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रमुख है, सभी कर्मचारियों, छात्रों, गतिविधियों, सुविधाओं तथा उसमें उपगत व्यय के संबंध में सम्पूर्ण नियंत्रण रखना;

(ख) महाविद्यालय के स्टाफ के अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा महाविद्यालय के सभी छात्रों के कार्य तथा आचरण के लिए उत्तरदायी होना ;

(ग) इस परिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों निर्वहन के लिए संकायाध्यक्ष तथा संबंधित निदेशक के माध्यम से, कुलपति के प्रति उत्तरदायी रहना;

(घ) उस महाविद्यालय के संबंध में जिसका कि वह संकायाध्यक्ष है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसे कि उसे कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित या समनुदेशित किए जाएं तथा अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार

आदि से जुड़े सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक विषयों में, संबंधित संकायाध्यक्ष तथा निदेशक के माध्यम से उत्तरदायी होना.

(3) **महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष –**

(क) परिनियमों तथा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ख) अपने महाविद्यालय में, विद्यार्थियों के प्रवेश, रजिस्ट्रीकरण, आचरण, तथा अनुशासन और प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा ;

(ग) अपने महाविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक विषयों पर नीतियां तैयार करेगा तथा संकायाध्यक्ष/निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के माध्यम से, संकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(घ) महाविद्यालय/क्षेत्र से संलग्न, अनुसंधान केन्द्र/शिक्षण फार्म/ इकाईयों के उचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) महाविद्यालय/क्षेत्र से संलग्न अनुसंधान केन्द्र/शिक्षण फार्मस, भूमियों, भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा अन्य सम्पत्तियों के उपयोग तथा रखरखाव के लिए संबंधित प्राधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायी होगा;

(च) महाविद्यालय के छात्रावासों के रखरखाव, पर्यवेक्षण तथा कार्यकारण के लिए उत्तरदायी होगा;

(छ) भंडार सामग्रियों, उपस्करों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं के उपापन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि महाविद्यालय तथा उससे संलग्न इकाईयों के लिए आवश्यक हों;

(ज) अपने नियंत्रणधीन संस्थाओं में अनुशासन के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(झ) अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ञ) महाविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यों से संबंधित समस्त नीतियों तथा कार्यक्रमों को समन्वित आधार पर चलाने के लिए, संकायाध्यक्ष की सहायता करेगा;

(ट) महाविद्यालयीन क्रियाकलापों के लिए प्रस्ताव और उसकी आवश्यकताओं के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और कुलपति के माध्यम से लेखा नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा। वह यह भी देखेगा कि सभी महाविद्यालयीन क्रियाकलाप समुचित प्राधिकारियों की मंजूरी के अनुसार हैं ;

(ठ) निदेशक, अनुसंधान सेवाओं की योजनाओं के विकास तथा प्रमुख विषयों के अनुसंधान के लिए बजट बनाने में तथा ऐसे प्रतिवेदन तैयार करने में, जोकि मांगे जाए उसकी सहायता करेगा एवं वैज्ञानिकों और छात्रों द्वारा तथा उसके

नियंत्रणाधीन संस्थाओं से संलग्न योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे अनुसंधान कार्य का निदेशन भी करेगा ;

(ड) (एक) अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संबंध में, विस्तार कार्य के विकास की योजनाओं तथा बजट के संबंध में निदेशक, विस्तार सेवा की सहायता करना ;

(दो) सूचनात्मक सामग्रियों के विकास पर विस्तार सेवाओं की सहायता करेगा; तथा

(तीन) महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले शिक्षा विस्तार कार्य का निदेशन करेगा;

(ढ़) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण की सहायता करेगा तथा अपने महाविद्यालय में समस्त छात्रों के अध्यापन कार्य का निदेशन करेगा;

(ण) संकर्म अनुभाग के माध्यम से महाविद्यालय को समनुदेशित भवनों तथा कमरों के शैक्षणिक उपयोग के लिए तथा महाविद्यालय के सामान्य उपस्करों के लिए, कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(त) ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जैसे कि परिनियमों, विनियमों या कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

3. **पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, परिलब्धियां, शक्तियां तथा कर्तव्य .–**

(एक) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 5 के 3 (2) के उपबंधों के अधीन होगी ;

(दो) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष रूपए 37400–67000/– के वेतनमान में तथा बाद के पुनरीक्षित वेतनमान में जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए वेतन प्राप्त करेगा।

(तीन) **विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–**

(क) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के परामर्श से विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों का रख–रखाव, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना और उनकी सेवाओं का संगठन ऐसी रीति से करना कि वे अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की आवश्यकताओं के लिए अत्यन्त लाभप्रद हों ;

(ख) विश्वविद्यालय के अधीन के समस्त पुस्तकालयों के विकास और उनके संचालन के लिए वार्षिक बजट तैयार करना;

(ग) पुस्तकें खरीदने तथा छात्रों एवं स्टाफ के सदस्यों के बीच उनका वितरण करने के लिए संकायाध्यक्षों एवं निदेशकों से सिफारिशें प्राप्त करना तथा उनका समन्वय करना;

(घ) संकर्म अनुभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में स्थान की सुविधा में सुधार की आवश्यकताओं पर लेखा नियंत्रक को सिफारिशें करना ;

(ङ) पुस्तकालय तथा उसके सुधार से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करना जिनकी कि कुलपति अपेक्षा करें।

स्पष्टीकरण : इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए "विश्वविद्यालय के पुस्तकालय" के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिसर में के पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन आने वाले महाविद्यालयों तथा अन्य इकाईयों से संलग्न समस्त पुस्तकालय सम्मिलित हैं।

परिनियम क्रमांक 8

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

1. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारी** .– अधिनियम की धारा 23 मे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे : –

(एक) समन्वय परिषद् ;

(दो) बोर्ड ;

(तीन) विद्या परिषद् ;

(चार) संकाय ; और

ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

2. **समन्वय परिषद्** .– राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों का समन्वय करने लिए एक परिषद् होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 24 में विहित है। समन्वय परिषद् का, अधिनियम की धारा 25 के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार सम्मिलन किया जाएगा। परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य अधिनियम की धारा 26 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. **बोर्ड** .– कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड की वही शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो अधिनियम की धारा 29 में विनिर्दिष्ट हैं। बोर्ड ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम की उक्त धारा में विनिर्दिष्ट हैं।

परिनियम क्रमांक 9

विद्या परिषद्

1. **विद्या परिषद् .–** (1) विद्या परिषद् का गठन, उतने सदस्यों से मिलकर होगा जितने कि अधिनियम की धारा 30 में विनिर्दिष्ट हैं तथा उसे वही शक्तियां होंगी और उसके वही कर्तव्य होंगे जो अधिनियम की धारा 31 में दिए गऐ हैं।

2. विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में से एक अध्यापक का चयन, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (छह) के अधीन मत द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा : –

(क) एक सदस्य, कृषि संकाय द्वारा उसके सदस्यों में से चयनित होगा ;

(ख) एक सदस्य, पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन संकाय द्वारा उसके सदस्यों में से चयनित होगा ;

(ग) एक सदस्य, कृषि अभियांत्रिकी संकाय द्वारा उसके सदस्यों में से चयनित होगा।

(घ) एक सदस्य, अन्य संकायों में से, यदि कोई हों, उसके सदस्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा इस प्रकार चयनित होगा; जैसा कि कुलपति द्वारा अवधारित किया जाए।

3. विद्या परिषद् ऐसे विनियम बनाएगी जो विश्वविद्यालय के संकायों के उद्देश्यों तथा उपाधि की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न संकायों द्वारा पाठ्यचर्या तथा पाठ्य विवरण के विकास के लिए अधिनियम की धारा 31 में यथा उपबंधित परिनियमों से असंगत न हों। ऐसे विनियमों में यह भी उपबंध होगा कि संकायों के प्रस्ताव, विद्या परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे। परिषद्, ऐसे विनियमों का भी उपबंध करेगी जो विभिन्न संकायों की प्रवेश की आवश्यकताओं, छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों का कार्य तथा वित्तीय सहायता, उपाधियां/पत्रोपाधियां प्रदान करने आदि की दृष्टि से परिनियम 5 के उपबंधों से असंगत न हों।

परिनियम क्रमांक 10

संकाय

1. संकाय .–

(क) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :–

(एक) कृषि संकाय.

(दो) पशु–चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन संकाय.

(तीन) कृषि अभियांत्रिकी संकाय.

(चार) ऊपर उल्लिखित विषयों से भिन्न प्रत्येक ऐसे विषय का संकाय जिसके लिए कोई नई संस्था खोली गई हो या छात्रों को शैक्षणिक उपाधियों के लिए अर्ह बनाने के लिए उसी प्रकार की अन्य संकायें खोली गई हो.

(ख) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होगें :–

(एक) संकायाध्यक्ष. – अध्यक्ष

(दो) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं.

(तीन) निदेशक, विस्तार सेवाएं.

(चार) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण.

(पॉच) महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष.

(छह) अध्ययन – विभाग के विभागाध्यक्ष.

(सात) संकायाध्यक्ष द्वारा निदेशक, अनुसंधान/निदेशक, विस्तार सेवाएं/निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के परामर्श से अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट छह वरिष्ठ आचार्य, जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्र/क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के तीन सह–निदेशक, अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय की सेवा में नियोजित तीन विस्तार विशेषज्ञ.

(आठ) दो वरिष्ठ शाखा प्रमुख चक्रानुक्रम से, दो वर्ष की कालावधि के लिए.

(नौ) दो से अनधिक सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें संकायाध्यक्ष दो वर्ष की कालावधि के लिए सहयोजित करे.

(दस) अन्य संकायों में से प्रत्येक संकाय से एक सदस्य, जिसे अध्यक्ष संबंधित संकायाध्यक्ष के परामर्श से ऐसी कालावधि के लिए सहयोजित करे जैसा वह उचित समझे.

(ग्यारह) परिनियम में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त कोई भी सदस्य संकाय के सम्मिलन में उपस्थित नहीं होगा।

(ग) **संकाय के कर्तव्य** .– प्रत्येक संकाय के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे : –

(एक) प्रत्येक संकाय अपने संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा.

(दो) प्रत्येक संकाय, एक महाविद्यालयीन संगठनात्मक योजना तैयार करेगा जिसमें ऐसे विभागों की व्यवस्था होगी जो कि सर्वोत्तम हों और महाविद्यालय द्वारा तथा प्रत्येक संकाय में समाविष्ट विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य की परिधि परिभाषित की जायेगी। किसी संकाय के प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा और यदि वह परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसे विचार किए जाने के लिए बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा। परिषद् और/या बोर्ड द्वारा चाहे गये कोई भी परिवर्तन संकाय को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(तीन) प्रत्येक संकाय, अपने कार्य के क्षेत्र से संबंधित किसी प्रश्न पर या विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी भी विषय पर विचार करेगी तथा विद्या परिषद् को ऐसी सिफारिशें करेगी जैसी आवश्यक प्रतीत हों।

(चार) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय, विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महाविद्यालयीन पाठ्यचर्याएं तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करेगा तथा अध्यापन, प्रयोगशालाएं तथा मैदानी अनुभवों एवं शिक्षा प्राप्ति के अन्य अवसरों का उपबंध करेगा और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसंधान तथा विस्तार क्रियाकलापों में भाग लेगा।

(पांच) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय, महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की विस्तृत शर्तें विहित करेगा तथा संकाय के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों के छात्रों की प्रगति तथा उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए मानक तैयार करेगा तथा जो छात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहते हों, उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश करेगी।

(छह) संकाय, कुलसचिव के माध्यम से, बोर्ड को, उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए, उन छात्रों को, जिन्होंने संकाय तथा विश्वविद्यालय की उपाधि संबंधी अपेक्षाओं की संतोषजनक रीति से पूर्ति की है, उपाधि प्रदान करने की सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(घ) परिनियमों के अध्यधीन रहते हुए, संकाय .–

(एक) कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जो कि महाविद्यालय के छात्र न हों, प्रशिक्षण की योजनाओं के विकास के लिए विस्तार सेवाओं में सहायता करेगा तथा निदेशक, विस्तार सेवा को, उन व्यक्तियों की, जो कि विहित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र या अन्य मान्यता जारी करने की सिफारिश करेगा।

(दो) कृषकों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लक्षित अनुसंधान कार्य के संचालन की योजनाओं के विकास में अनुसंधान सेवा को सहायता करेगा।

परिनियम क्रमांक 11

अन्य प्राधिकारियों का गठन तथा कर्तव्य

1. **अन्य प्राधिकारियों की घोषणा .–**

(एक) अधिनियम की धारा 23 में मद (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रशासनिक परिषद्.

(ख) विस्तार शिक्षा परिषद्.

(ग) अनुसंधान परिषद्.

(घ) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्.

2. प्रशासनिक परिषद .–

(1) प्रशासनिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष ।

(ख) सभी संकायाध्यक्ष।

(ग) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं।

(घ) निदेशक, विस्तार सेवाएं।

(ङ) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण।

(च) कुलसचिव – सचिव।

(छ) महाविद्यालयों के दो संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ज) लेखा–नियंत्रक।

(झ) कार्यपालन यंत्री या संकर्म अनुभाग का प्रभारी;

(ञ) कृषि संकाय से दो विभागाध्यक्ष एक पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन संकाय से और एक कृषि यान्त्रिकी संकाय से, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के अनुसार दो वर्ष की कालावधि के लिए।

(2) प्रशासनिक परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह कुलपति को विधा संबंधी विषयों को छोड़कर, ऐसे सभी विषयों पर, जिनका विश्वविद्यालय से संबंध हो और जो उसे बोर्ड, कुलपति, विद्या परिषद् या संकायों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, अनुशंसा करे।

3. विस्तार शिक्षा परिषद् .–

(एक) विस्तार शिक्षा परिषद् में, निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) निदेशक, विस्तार सेवाएं – अध्यक्ष ;

(ख) सभी संकायाध्यक्ष ;

(ग) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं ;

(घ) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण ;

(ङ) महाविद्यालयों के दो संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(च) विस्तार सेवाओं के विभागाध्यक्ष ;

(छ) कृषि विज्ञान केन्द्रों से दो विशेषज्ञ ;

(ज) मुख्यालय का संयुक्त निदेशक, विस्तार सेवाएं – सचिव ।

(दो) विस्तार शिक्षा परिषद्, निदेशक, विस्तार सेवा के प्रति उत्तरदायी होगी और शिक्षा, विस्तार शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा अनुशंसाएं करेगी :–

(क) महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण ;

(ख) कृषिक ग्रामीण जीवन विस्तार सेवा ;

(ग) कृषकों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना ;

(घ) गैर–छात्रों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम का संचालन ;

(ङ) कृषकों के लाभ के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम ;

(च) कृषि उत्पादन का विकास तथा सहकारिताओं का बनाया जाना ;

(छ) कृषि के विकास के लिए, विस्तार के बेहतर विकास के लिए, सामग्री जैसे प्रकाशन, फिल्में आदि तैयार करना ;

(ज) कृषि विज्ञान केन्द्रों के दक्षतापूर्ण कार्यकरण और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए उचित अनुशंसाएं करना ।

1 **अनुसंधान परिषद् .–**

(1) अनुसंधान परिषद् में, निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं.

(ख) सभी संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष.

(ग) निदेशक, विस्तार सेवाएं.

(घ) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण.

(ङ) अनुसंधान केन्द्रों से सह–निदेशक, अनुसंधान.

(च) पुस्तकालयाध्यक्ष.

(छ) दो से अनधिक ऐसे अन्य विभागाध्यक्ष जो कि निदेशक, अनुसंधान सेवा द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं.

(ज) मुख्यालय का सह–निदेशक, अनुसंधान – सचिव.

(2) अनुसंधान परिषद्, निदेशक, अनुसंधान सेवा के प्रति उत्तरदायी होगी और वह विश्वविद्यालय के कृषि अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों पर और विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी :–

(क) कृषि ग्रामीण जीवन अनुसंधान सेवा;

(ख) कृषि के विकास के लिए सामग्री, अनुसंधान विस्तार के बेहतर विकास के लिए, सामग्री जैसे प्रकाशन, फिल्में आदि तैयार करना।

5. **स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् .–**

(1) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण – अध्यक्ष.

(ख) सभी संकायाध्यक्ष तथा महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष.

(ग) निदेशक, अनुसंधान सेवाएं.

(घ) निदेशक, विस्तार सेवाएं.

(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष.

(च) प्रत्येक संकाय के अध्यापन से जुड़े दो वरिष्ठ आचार्य जो चक्रानुक्रम से निदेशक, शिक्षण एव विद्यार्थी कल्याण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(छ) निदेशक, शिक्षण के कार्यालय का उपनिदेशक--सचिव.

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन परिषद्, विद्या परिषद् के समग्र कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी किन्तु निदेशक, शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के प्रति उत्तरदायी होगी और गुणवत्ता, अध्यापन तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों पर तथा विशेषतः निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार करेगी और सिफारिश करेगी :–

(क) विश्वविद्यालय के विभिन्न उपाधि पाठ्यक्रमों का विकास तथा प्रवेश के मानक अधिकथित करना;

(ख) स्नातकोत्तर अनुसंधान और विभिन्न उपाधियों के लिए अन्य अपेक्षाएं, पाठ्यक्रम का निर्धारण;

(ग) विभिन्न उपाधियां प्रदान करने के लिए संबंधित संकायाध्यक्ष की सहमति से सभी उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जैसे कि कुलपति द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

परिनियम क्रमांक 12
प्राधिकारियों की समितियाँ

3. प्राधिकारियों की समितियाँ .–

(क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसी समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जैसी कि वह अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक समिति में अन्य प्राधिकारियों के सदस्य या सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जा सकेगा जिन्हें प्राधिकारी नियुक्त करना उचित समझे।

परिनियम क्रमांक 13

प्राधिकारियों और समितियों के नामनिर्दिष्ट सदस्यों तथा विशेषज्ञों को यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते

संबंधित परिनियमों के अधीन शासकीय सेवकों से भिन्न प्राधिकारियों के नामनिर्दिष्ट सदस्य तथा विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए विशेष कार्य में लगे हुए बाहरी विशेषज्ञों को प्राधिकारी के या उसकी किसी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए ऐसी दर से यात्रा तथा दैनिक भत्ता देय होगा जैसा कि बोर्ड समय–समय पर परिनियमों द्वारा अवधारित करे।

परिनियम क्रमांक 14

शिक्षकों की नियुक्ति, अर्हताएं और वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें

(1) **नियुक्ति** .–ऐसे व्यक्ति भी विश्वविद्यालय के शिक्षक होंगे जो बोर्ड द्वारा ऊपर उल्लिखित किन्हीं संवर्गों में मानद शिक्षक के रूप में, ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जैसा कि बोर्ड विनियमों द्वारा विहित करे, नियुक्त किए गए हों।

(क) "अध्यापक" से अभिप्रेत है, अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रम की शिक्षा देने और/या संचालन तथा मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक अथवा कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापक घोषित किए गए आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य सम्मिलित हैं।

(ख) कोई "अध्यापक" (कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर) जो अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी के रूप में पदोन्नति द्वारा या अन्यथा नियुक्त किया जाए और वह 20 वर्ष से अनधिक से अध्यापन में संलग्न हो, और विश्वविद्यालय में किसी पद पर धारणाधिकार (लियन) रखता है, वह भी इस परिनियम के अधीन अध्यापक होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के हित में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) या लायसन और क्रीड़ा संबंधी किसी भी प्रकृति का प्रशासनिक कार्य समनुदेशित किया जाता है तो वह भी इस परिनियम के अंतर्गत अध्यापक समझा जाएगा।

(2) कोई अध्यापक, शिक्षण प्रदान करने के लिए और/या अनुसंधान तथा/या विस्तार कार्यक्रम जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र सम्मिलित है, का केवल उन्ही मानदण्डों तक संचालन या मार्गदर्शन करने के लिए पात्र होगा जिसके लिए बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गये विनियमों के अनुसार उसे इस रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(3) अध्यापक, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि विद्या परिषद्/प्रशासनिक परिषद् द्वारा विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) जहाँ कहीं भी शब्द "अध्यापक/अध्यापकों" आए हों, वहाँ उसमें/उनमें अनुसंधान, विस्तार तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित हैं।

4. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए अर्हताएं .–

बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद्, विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के अभ्यर्थियों के लिए अर्हताएं विहित करेगी।

5. अध्यापकों के वेतनमान तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें .–

(1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान ऐसे होंगे जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर घोषित किए जाएं .–

(क)	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सीधी भर्ती द्वारा)	
(ख)	प्रोफेसर	
(ग)	सह आचार्य	(शिक्षकों के प्रत्येक
(घ)	सहायक आचार्य (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	प्रवर्ग के लिए वेतनमान
(ङ)	सहायक आचार्य (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	कुलपति के परामर्श से
(च)	सहायक आचार्य	प्रशासकीय विभाग द्वारा भरे जाएंगे)

(2) चयन समिति द्वारा लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों से की गई विशिष्ट सिफारिशों पर कुलपति, राज्य सरकार के परामर्श से उच्च प्रारंभिक वेतन स्वीकृत कर सकेगा :–

(क) उस पद के वेतनमान जिस पर पदोन्नति की गई हो के प्रारंभिक वेतन पर सात से अनधिक वेतनवृद्धियां; या

(ख) उस अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से ही नियोजित है उसका अन्यत्र वेतन मध्यप्रदेश सरकार के मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार संरक्षित किया जाएगा।

टीप : सभी मामले, जिनमें खण्ड (क) के अधीन अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान की गई हैं और खण्ड (ख) के अधीन वेतन संरक्षित किया गया है, उन्हें सम्यक् रूप से बोर्ड को प्रतिवेदित किया जाएगा।

(3) अधिनियम तथा इस परिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाएं।

(4) विश्वविद्यालय के सभी वैतनिक अध्यापकगण पूर्णकालिक अध्यापक होंगे तथा वे ऐसे अवकाश, भत्ते और अन्य लाभों के पात्र होंगे जो कि इस निमित्त, बोर्ड द्वारा, समय–समय पर अपने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विहित किए जाएं।

परिनियम क्रमांक 15
महाविद्यालयों के विभाग और अनुभाग प्रमुखों तथा
अन्य अधिकारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य

1. **मुख्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय की अध्यापन अनुभागों के प्रमुख/सह निदेशक अनुसंधान/अनुसंधान केन्द्र के प्रभारी तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य आदि।**

विभाग, किसी संकाय के अंतर्गत ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार की प्राथमिक इकाई है। विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रमुख/सह निदेशक अनुसंधान या अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :–

(क) वे, विभाग में अध्यापन के आयोजन के लिए, तत्संबंधी कार्य की गुणवत्ता तथा दक्षतापूर्ण प्रगति के लिए तथा विभाग को प्रभावित करने वाली विभागीय नीतियों को तैयार तथा निष्पादित करने के लिए संकायाध्यक्ष के साथ ही निदेशक शिक्षण एवं विद्यार्थी कल्याण के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(ख) वे, विभाग इकाई के अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य के बारे में संबंधित महाविद्यालय के क्षेत्रीय संकायाध्यक्ष को प्रतिवेदन देंगे और यथास्थिति, संबंधित संकायाध्यक्ष और निदेशकों को उसकी प्रतियां देंगे।

(ग) इकाई/विभाग के कार्य पर उनका सम्पूर्ण पर्यवेक्षण होगा।

(घ) वे, इकाई/विभाग का बजट तैयार करेंगे और आवंटित निधियों के उचित उपयोग और आय बढ़ाने तथा विभागों/इकाईयों की सम्पत्ति की देखभाल के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ङ) उन नीतियों, विषयों, प्रक्रियाओं पर जो विभाग/इकाई को समनुदेशित हों, विचार विमर्श के लिए नियमित रूप से विभाग/इकाई के कर्मचारिवृन्द की बैठकें बुलाएंगे और सभी कर्मचारियों को कार्य संस्कृति को बनाए रखने के लिए हाथ में लिए जाने वाले कार्य के स्वरूप और क्षेत्र के संबंध में विभाग/इकाई के सभी कर्मचारिवृन्द को सूचित करेंगे।

(च) वे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यथास्थिति संबंधित संकायाध्यक्ष या निदेशकों के माध्यम से उन्हें प्रत्यायोजित किए जाएं या सौंपे जाएं।

परिनियम क्रमांक 16

अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, अवकाश तथा परिलब्धियां

1. **विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी तथा उनकी सेवा शर्तें आदि .–**

सेवा कार्मिक :– विश्वविद्यालय इसमें इसके पूर्व उल्लिखित कर्मचारियों से भिन्न ऐसे अन्य सेवा कार्मिकों को नियोजित करेगा जैसे कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए समय–समय पर आवश्यक समझे जाएं। ऐसे सेवा कार्मिकों के वेतनमान, भर्ती के लिए अर्हताएं, प्रवेश स्तर पर पद, उनकी सेवा शर्तें तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे बोर्ड द्वारा प्रशासनिक परिषद् की सिफारिश पर विहित किए जाएं। ऐसे सेवा कार्मिक विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होंगे तथा उनके प्रति उत्तरदायी होंगे :

परंतु दण्ड या प्रतिकूल सेवा शर्तों के विरूद्ध कार्मिक द्वारा अपील, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति में की जाएगी जैसी कि बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए।

2. **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त कार्य .–**

(क) विश्वविद्यालय का कर्मचारी, उसके विहित नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिए किए गए कार्य के लिए ऐसी दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी कि सम्बंधित संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश सरकार में प्रचलित है। यह अतिरिक्त पारिश्रमिक, कुलपति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, लेखा नियंत्रक द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी (जिसमें अधिकारी, अध्यापक या सेवा कार्मिक सम्मिलित हैं) विश्वविद्यालय के बाहर के किसी भी कार्यकलाप में स्वयं को संलग्न नहीं करेगा, जब ऐसे कार्यकलापों से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाए, कार्यवाही करेगा।

3. **अवकाश .–** विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, ऐसे अवकाश नियमों से शासित होंगे, जैसे कि मध्यप्रदेश सरकार के समान केडर या ग्रेड के सेवकों को लागू हों।

परिनियम क्रमांक 17

भविष्य निधि योजना

1. **परिभाषाएं .–** इस परिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) ;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, निधि के प्रशासन के लिए इस परिनियम के अधीन गठित समिति ;

(ग) ''निरंतर सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित निर्बाध सेवा ;

(घ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, परिनियमों के उपबंधों के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी पद पर विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति, परन्तु इसमें प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ, या दैनिक मजदूरी पर या कार्यभारित स्थापना पर या संविदा आधार पर रखा गया व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं ;

(ङ) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों में यथा परिभाषित कोई परिवार ;

(च) ''निधि'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि ;

(छ) किसी कर्मचारी के संबंध में ''वेतन'' से अभिप्रेत है, मासिक वेतन तथा जिसमें कर्मचारी को देय समस्त नियत भत्ते सम्मिलित हैं ;

(ज) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(झ) ''अभिदाता'' से अभिप्रेत है, ऐसा कर्मचारी जिसकी ओर से परिनियम के अधीन अभिदाय की रकम निक्षिप्त की जाती है ;

(ञ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;

(ट) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ;

(ठ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार की कोषालय संहिता तथा वित्तीय संहिता में यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष ;

(ड) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस परिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

2. भविष्य निधि लेखा का प्रशासन तथा लेखा परीक्षा .–

(एक) निधि, विश्वविद्यालय द्वारा धारित की जाएगी और कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा प्रशासित होगी जिसमें कुलपति, कुल सचिव, लेखा नियंत्रक तथा कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्मचारियों के कम से कम दो प्रतिनिधि समाविष्ट होंगे। समिति, एक चार्टर्ड अकाउन्टेंट को भी सहयोजित कर सकती है।

(दो) निधि की समस्त धनराशि, भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों में जैसे कि समिति द्वारा इस संबंध में विनिश्चित किए जाएं, जमा की जाएगी या उसका राज्यों अथवा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया अंशदायी भविष्य निधि के नाम से निवेश किया जाएगा, जिसे कि लेखा नियंत्रक और एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कि समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

(तीन) निधि के लेखे 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रूप से तैयार किए जाएंगे और लेखाओं का लेखा परीक्षण विवरण प्रतिवर्ष समिति की 31 अगस्त के अपश्चात् होने वाली बैठक के समक्ष या लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा की तारीख से 2 माह के भीतर जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रस्तुत

किया जाएगा तथा ऐसे विवरण की एक प्रति अभिदाताओं को ऐसी बैठक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

(चार) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा उसी प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा करता है या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा की जाएगी।

(पाँच) समिति की प्रत्येक बैठक की कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलसचिव या दोनों की अनुपस्थिति में लेखा नियंत्रक अध्यक्षता करेगा। कार्य करने के लिए गणपूर्ति हेतु कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा समान मत होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी का मत निर्णायक होगा।

1. **निधि में अभिदान .–**

(एक) उन कर्मचारियों के सिवाय जो कि अधिनियम की धारा 57 के अधीन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सेवा से विश्वविद्यालय में आमेलित कर लिए गये हों और जिन्होंने सेवानिवृत्ति लाभ की अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प दिया हो, इस परिनियम के खण्ड 2 (घ) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि उसने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, पश्चात् आने वाले मास के प्रारम्भ से अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता बनने का हकदार हो जाएगा और उससे अंशदायी भविष्य निधि का अभिदाता बनने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु ऐसे कर्मचारी को जिसे उपर्युक्त उपबंधों के संबंध में भविष्य निधि के लाभ दिए गए हों, विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 60 (साठ) दिन के भीतर अभिदान देने का विकल्प होगा और उस दशा में, विश्वविद्यालय भी उसके खाते में इस परिनियम में यथा विहित दर पर राशि का अंशदान करेगा। अभिदान की बकाया राशि उपयुक्त मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी :

परन्तु यह और कि इस उपखण्ड में की कोई भी बात प्रतिनियुक्ति पर नियोजित कर्मचारी या संविदा पर रखे गये या दैनिक मजदूरी पर या कार्यभारित स्थापना पर रखे गए कर्मचारी को लागू नहीं होगी।

(दो) उपर्युक्त उपखण्ड (एक) द्वारा अपवर्जित कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय से आकस्मिक पारिश्रमिक पाने वाले से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति भी निधि में अभिदान कर सकेंगे और उनकी निधि, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(तीन) अभिदाता, निधि में उसके वेतन के 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जो कि उसके द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, मासिक अभिदान करेगा। अभिदान की दर नियत करने का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित प्ररूप में किया जाएगा। ऐसा अभिदान, विश्वविद्यालय द्वारा अभिदाता को देय वेतन में से प्रतिमाह काटा जाएगा। विश्वविद्यालय का अंशदान, इस परिनियम में उपबंधित किए गये अनुसार नियत रहेगा।

(चार) उपर्युक्त सीमाओं के भीतर, अभिदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ से अभिदान की दर में परिवर्तन कर सकता है।

(पांच) एक बार नियत की गई अभिदान की दर वर्ष भर अपरिवर्तित रहेगी।

(छह) इस खण्ड के उपखण्ड (तीन) से (पांच) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी, निधि में मासिक रूप से महंगाई भत्ते के ऐसे भाग का अभिदान करेंगे जैसा कि लेखा नियंत्रक द्वारा इस निमित्त समय–समय पर निर्देशित किया जाए। ऐसे अभिदान के कारण विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी अंशदान नहीं दिया जाएगा।

(सात) अनधिकृत अवकाश पर गए या निलंबित किए गए कर्मचारी का अभिदान उसकी अनधिकृत अवकाश या निलंबन की कालावधि के दौरान नहीं लिया जाएगा तथापि, यदि वह सम्मानपूर्वक दोषमुक्त या पूर्ण वेतन पर बहाल हो जाता है या उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति नियमित कर दी जाती है तो निलंबन की अवधि या अवकाश की अवधि का सम्पूर्ण अंशदान उससे वसूल कर लिया जाएगा और विश्वविद्यालय का अंशदान इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार देय होगा।

(आठ) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय प्रतिमाह प्रत्येक अभिदाता के वेतन का 10 प्रतिशत निधि में नियोक्ता का अंशदान देगा परन्तु किसी ऐसे अभिदाता के संबंध में जिसे उपखण्ड (छह) के अधीन अतिरिक्त अभिदान देने की अनुमति दी गई हो, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा अंशदान नहीं दिया जाएगा।

2. **ब्याज .–**

विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष 31 मार्च को या तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र –

(क) वर्ष के दौरान निधि के निवेश पर प्रोद्भूत तथा प्राप्त कुल ब्याज का एक लेखा तैयार करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से ऐसी दर अवधारित तथा अधिसूचित करेगा जिस पर कि वर्ष के दौरान निधि के प्रत्येक अभिदाता के लेखे में जमा समस्त राशियों पर ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ग) पूर्वगामी वर्ष के दौरान प्रत्येक अभिदाता के लेखे में शेष मासिक गुणनफलों के आधार पर प्रत्येक अभिदाता को देय ब्याज की राशि जमा करेगा ; और

(घ) अभिदाता के नाम पर निधि की पुस्तकों में जमा समस्त राशियों पर ब्याज सेवानिवृत्ति/पदत्याग/सेवा समाप्ति/मृत्यु की तारीख के बाद छह माह की कालावधि तक के लिए देय होगा :

परन्तु यदि यह पाया जाए कि भुगतान करने में विलम्ब विश्वविद्यालय की ओर से हुआ है तो उस तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

3. **निधि से प्रत्याहरण तथा वसूलियां .–**

लेखा नियंत्रक, कुलपति के पूर्व अनुमोदन से अभिदाता को उसकी निधि के खाते में जमा राशि से, किसी भी दशा में, अभिदान और उस पर ब्याज की जमा राशि से अनधिक राशि का अस्थाई अग्रिम मंजूर कर सकेगा। यह मंजूरी आवेदन दिए जाने पर अभिदाता को, सामान्य भविष्य निधि नियम के अधीन अग्रिम लेने और लिए गए अग्रिम को चुकाने की मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रदान की जा सकेगी।

4. **अभिदाता के खाते में जमा राशि का भुगतान .–**

(एक) अभिदाता के खाते में जमा राशि, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, मृत्यु, छंटनी और/या सेवानिवृत्ति के कारण उसके द्वारा सेवा त्याग देने पर (नौकरी छोड़ देने पर) उसे भुगतान योग्य हो जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति ऐसा निर्देश दे कि अभिदाता द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन विश्वविद्यालय को देय कोई राशि निधि से काटकर विश्वविद्यालय को भुगतान की जाए, तो विश्वविद्यालय द्वारा उसके खाते में अभिदान की गई कुल रकम के बराबर रकम, जिसमें उस बाबत् जमा ब्याज सम्मिलित है, काटकर विश्वविद्यालय को भुगतान की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहाँ अभिदाता घोर दुराचरण या घोर उपेक्षा के कारण अपने नियोजन से बर्खास्त कर दिया गया हो, वहाँ नियोक्ता के अंशदान की पूर्ण राशि या उसका कोई भाग उस पर जमा ब्याज सहित भुगतान नहीं किया जाएगा।

(दो) कोई भी कर्मचारी उसके निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा अभिदाय की गई राशि तथा उस पर ब्याज की रकम को पाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको कि उसे खण्ड 4 (तीन) में विहित दर से भविष्य निधि में अभिदान करने की अनुज्ञा दी गई हो, विश्वविद्यालय की सेवा में निरन्तर पांच वर्ष की कालावधि तक न रह चुका हो और यह कि उसे त्यागपत्र देने की अनुज्ञा दे दी गई हो या वह सेवानिवृत्त हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या उसकी छंटनी कर दी गई हो।

स्पष्टीकरण : अंशदायी भविष्य निधि खाता उस दिन बंद कर दिया जाएगा जिस दिन कि उपरोक्त घटना घटित हो।

7. **नामनिर्देशन .–**

प्रत्येक अभिदाता, निधि में सम्मिलित होने के पश्चात् यथाशीघ्र विश्वविद्यालय के कार्यालय को नामनिर्देशन भेजेगा जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, निधि में उसके लेखे में जमा राशि प्राप्त करने का एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किया गया हो। नामांकन तथा विवादों के मामलों को, यदि कोई हो, विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए राज्य में प्रचलित नियमों का अनुसरण करेगा।

8. **निधि के व्यय .–**

निधि के प्रशासन से संबंधित सभी व्यय जिसमें उन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्मिलित हैं जो निधि के प्रशासन के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए हों विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे तथा निधि पर भारित नहीं किए जाएंगे।

9. **समिति की शक्तियां .–**

(1) इस परिनियम में उपबंधित नहीं किए गए विषयों के लिए, समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी जैसी कि वह निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

(2) समिति पूरक विनियम भी तैयार कर सकेगी तथा बोर्ड के अनुमोदन से उन्हें अंगीकार कर सकेगी :

परन्तु समिति उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में भविष्य निधि अधिनियम, 1925 या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन तैयार की गई योजना या बनाए गए नियमों के अनुसार, विनियम तैयार करेगी।

10. **अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा उपदान .–**

कर्मचारी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के बनाए जाने के पूर्व 01.04.1987 से या उसके पश्चात् अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा उपदान का विकल्प दिया है, उक्त योजना द्वारा निरन्तर शासित बने रहेंगे तथा पेंशन तथा उपदान का आहरण करेंगे। अध्यापकों तथा सेवा कार्मिकों के लाभ के लिए पेंशन तथा उपदान हेतु विनियम, वैसे ही होंगे जैसे कि 01.04.1987 को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में विद्यमान थे :

परन्तु 01.01.2005 तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारी समय–समय पर यथा संशोधित तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित और जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा अंगीकृत साथ ही इस विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन तथा उपदान को उपरोक्त तारीख से विनियमित करने हेतु "परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना" से शासित होंगे।

परिनियम क्रमांक 18

शैक्षणिक कार्यक्रम, छात्रों के प्रवेश, प्रदर्शन, आचरण तथा अनुशासन और अन्य प्रावधान

1. परिभाषाएं .–

इस परिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "शैक्षणिक वर्ष/सत्र" से अभिप्रेत है, दो सेमेस्टरों की अवधि जिसके दौरान विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेण्डर/सेमेस्टर कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक कार्य का एक चक्र पूर्ण होता है ;

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) ;

(ग) "सेमेस्टर" से अभिप्रेत है, 105 कार्य दिवस की कालावधि जिसमें से 85 दिवस अध्यापन हेतु रहेंगे। एक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे ;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(ङ) किसी उपाधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संकाय द्वारा चुने गए तथा बनाए गए तथा सेमेस्टरों में बांटे गए पाठ्यक्रमों की श्रृंखला;

(च) "गण्यता" से अभिप्रेत है, किसी छात्र द्वारा कक्षा, प्रयोगशाला या क्षेत्रकार्य को दिया गया प्रति सप्ताह 90 मिनट का सम्पर्क समय अर्थात् :–

(एक) "एक गण्यता" प्रति सप्ताह 45 मिनट का एक सैद्धान्तिक या 90 मिनट का एक प्रायोगिक;

(दो) "दो गण्यता" दो प्रति सप्ताह 45 मिनट के दो सैद्धान्तिक या 90 मिनट के दो प्रायोगिक और इसी प्रकार तीन या चार गण्यता

(छ) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, किसी पाठ्यक्रम को अभिन्न और विशिष्ट भाग होते हुए एक सेमेस्टर तक विस्तारित तथा किन्ही विशिष्ट विषयों की कक्षाओं और कार्य अनुभव की एक श्रृंखला ;

(ज) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय;

(झ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस परिनियम में प्रयुक्त हुए है, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

2. **अध्यापन के लिए विश्वविद्यालय का कलैण्डर .–**

(एक) शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष 1 जुलाई को या उसके पश्चात् आरम्भ होगा।

(दो) प्रत्येक सेमेस्टर लगभग 105 कार्य दिवस का होगा जिनमें से न्यूनतम 85 दिवस अध्यापन के लिए होंगे। एक सेमेस्टर में निर्धारित कम से कम 80 प्रतिशत कक्षाएं लगना अनिवार्य है।

(तीन) विश्वविद्यालय, शैक्षणिक वर्ष आरंभ होने के पूर्व छात्रों के लिए एक सूचना पत्रिका प्रकाशित करेगा, जिसमें निम्नानुसार ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :–

(क) शिक्षण सत्र के लिए अध्यापन का कैलेण्डर ;

(ख) विभिन्न उपाधियों के लिए प्रवेश की न्यूनतम अपेक्षाएं, विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थान ;

(ग) नामांकित छात्रों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस की तालिका ;

(घ) छात्रवृत्तियां, विश्वविद्यालय साथ ही साथ अन्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता जिससे छात्र अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हों ;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली विभिन्न उपाधियां, पत्रोपाधियां तथा उनकी अपेक्षाएं ;

(च) छात्रों के बने रहने, पृथक् होने एवं पुनः प्रवेश लेने के लिए विनियम ;

(छ) प्रत्येक छात्र के लिए उपस्थिति संबंधी अपेक्षाएं ;

(ज) छात्रों के लिए छात्रावास तथा अन्य आवासीय स्थान ।

3. **विश्वविद्यालय में छात्रों का नये सिरे से प्रवेश .–**

(एक) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित की गई प्रवेश की न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

(दो) विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी में अच्छी नैतिक आदतें हों तथा वह ऐसी व्यक्तिगत तथा शारीरिक पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति करता हो जैसी कि विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाएं।

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नये चयनित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित किया जाएगा और उनके नाम सूचना पटल पर भी ऐसी रीति में प्रदर्शित किए जाएंगे, जैसी कि विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित की जाए।

4. **छात्रों का प्रदर्शन और उनका मूल्यांकन .–**

(एक) छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन तथा उनकी उपलब्धियों का निर्धारण विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार मध्यावधि तथा अंतिम सैद्धांतिक परीक्षा तथा प्रयोगशाला/फील्ड वर्क के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

(दो) न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक अकेले सैद्धांतिक पेपर में तथा पृथक् से व्यावहारिक पेपर में अनिवार्य होंगे तथा सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक परीक्षा को अधिमान दिया जाएगा जो संबंधित संकाय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(तीन) छात्र का मूल्यांकन, 10 पॉइंट स्केल पर, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार किया जाएगा जो पाठ्यक्रम/ विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम औसत 5.00 ग्रेड प्वाइंट (जी.पी.ए.) तथा 6.00 क्रमशः स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर होगा।

(चार) कोई छात्र जो उपाधि कार्यक्रम की समाप्ति पर 10 के स्केल में से स्नातक उपाधि के लिए 5.50 या स्नातकोत्तर उपाधि के लिए 6.50 या पीएच.डी. उपाधि के लिए औसत 7.00 ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करता है और संकाय द्वारा अधिकथित अन्य अपेक्षाएं पूर्ण करने पर वह संबंधित उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा।

5. **शैक्षणिक परिवीक्षा पर पदस्थ करना, बने रहना और त्यागना .–**

(एक) नामांकित छात्र को विद्या परिषद् द्वारा अधिकथित विनियमों के अनुसार, शैक्षणिक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। जब कोई छात्र परिवीक्षा पर रखा जाए तो संबंधित महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष इस आशय की सूचना, सभी संबंधितो को, जिसमें छात्र के माता–पिता सम्मिलित हैं, देगा। छात्र के महाविद्यालय की नामावली में बने रहने को, विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार, विनियमित किया जाएगा।

(दो) कोई छात्र जो लगातार दो शैक्षणिक सत्रों में अगली उच्चतर कक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रास्थिति प्राप्त करने में असफल रहता है, तीसरे शैक्षणिक सत्र में भी पुनः प्रवेश का हकदार होगा यह और कि यदि वह विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर विभिन्न उपाधियों की न्यूनतम अपेक्षाएं पूर्ण करने में असफल रहता है तो वह विश्वविद्यालय की नामावली से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

6. **आचरण और अनुशासन .–**

(एक) विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों से, उनके कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर सदैव आदर्श चरित्र, अच्छा आचरण और अनुशासित व्यवहार बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी।

(दो) विश्वविद्यालय के छात्र राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे तथा वे अपने आप को ऐसे किसी समुदाय या संघ में शामिल कर संगठन नहीं बनाएंगे जो कि विश्वविद्यालय के हितों और समुचित कार्यकरण के विरूद्ध हो।

(तीन) महाविद्यालय परिसर के भीतर और बाहर छात्रों के अच्छे व्यवहार एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए संबंधित महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(चार) विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को उपाधि कार्यक्रम की आवासीय अपेक्षाओं के दौरान सेवा करने, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, वृत्तिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले छात्र विश्वविद्यालय से हटाए जाने के दायी होंगे।

7. **छात्रों को वित्तीय सहायता .–**

(एक) विश्वविद्यालय, प्रतिभावान छात्रों एवं ऐसे पात्र छात्रों को, जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं, वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए प्रशासनिक परिषद् के अनुमोदन से विनियम बनाएगा ;

(दो) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पात्र छात्रों को उनके अनुरोध पर, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, दानदाताओं/ धार्मिक न्यासों से दान प्राप्त कर निधि में वृद्धि करेगा।

8. **छात्रों की फीस की तालिका .–**

नामांकित छात्र ऐसी सेमेस्टर फीस का भुगतान करेगा जैसी कि प्रशासनिक परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों में विहित की जाए। एक बार भुगतान की गई फीस वापिस नहीं की जाएगी, तथापि यदि विश्वविद्यालय की ओर से कोई चूक हुई है, तो वह समायोजित या वापिस की जा सकेगी।

परिनियम क्रमांक 19

उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाण पत्र का प्रदान किया जाना तथा अपेक्षाएं

1. **स्नातक उपाधि की अपेक्षाएं .–**

(एक) कोई नामांकित छात्र, जिसने न्यूनतम आवासीय अपेक्षाएं तथा संबंधित संकाय द्वारा अधिकथित किया गया विहित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है स्नातक उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उपाधि कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :–

(क) विज्ञान स्नातक (कृषि)	बी.एस.सी. (कृषि)–4 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम
(ख) विज्ञान स्नातक (उद्यानिकी)	बी.एस.सी. (उद्यानिकी)–4 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम
(ग) विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा कृषि क्षेत्र तथा संबंधित क्षेत्र में यथा अनुमोदित कोई अन्य स्नातक उपाधि।	

(दो) स्नातक उपाधि के नामांकित छात्र से संबंधित संकाय द्वारा विहित तथा विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों (पाठ्यचर्याओं) की एक श्रृंखला का अध्ययन करना अपेक्षित होगा ताकि छात्रों को आधारभूत तथा उपयोज्य ज्ञान अर्जित करने के अवसर प्राप्त हों जो कि उसे संबंधित विषय और ग्रामीण जीवन के तथ्यों को युक्तियुक्त रूप से भलीभंति निपटाने में सक्षम बनाए। पाठ्यचर्या में निम्न पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।

(क) आधारभूत विज्ञान तथा मानविकी;

(ख) संकाय उससे संबंधित क्षेत्रों के आधारभूत विशिष्ट विषय; और

(ग) विशेष व्यावसायिक और/या वृत्तिक विषय

(तीन) स्नातक उपाधि प्राप्त करने की दृष्टि से छात्र को किसी उपाधि विशेष के लिए विहित मानकों के अनुसार और विनियमों द्वारा विहित विश्वविद्यालय के कोर्स क्रेडिट पूर्ण करना होंगे और उसे स्केल 10 में से औसतन कम से कम 5.50 समग्र ग्रेड पाइन्ट पूर्ण रूप से अर्जित करना होंगे ।

1. **स्नातकोत्तर डिग्री का प्रदान किया जाना और उसकी अपेक्षाएं .–**

(एक) कोई नामांकित छात्र जिसने न्यूनतम आवासीय अपेक्षाएं तथा संबंधित संकाय द्वारा अधिकथित किया गया विहित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है निम्नानुसार स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा :

(क)	मास्टर आफ साइंस (कृषि)	एम.एस.सी. (कृषि)	2 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम
(ख)	मास्टर आफ साइंस (उद्यानिकी)	एम.एस.सी. (उद्यानिकी)	2 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम
(ग)	डाक्टर आफ फिलासफी (कृषि)	पीएच.डी. (कृषि)	3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम
(घ)	डाक्टर आफ फिलासफी (उद्यानिकी)	पीएच.डी. (उद्यानिकी)	3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम
(ङ)	विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में कोई अन्य स्नातकोत्तर/पीएच.डी. उपाधि।		

(दो) स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री) प्राप्त करने के लिए नामांकित किसी छात्र से संबंधित संकाय द्वारा विहित पाठ्यक्रमों के अध्ययन की श्रृंखला पूर्ण करना अपेक्षित होगा तथा उसे उपाधि प्राप्त करने के लिए स्केल 10 में से मास्टर लेवल पर 6.50 समग्र ग्रेड प्वाइंट औसत (ओ.जी.पी.ए.) और पी.एच.डी. लेवल पर 10.00 अर्जित करना होंगे।

(तीन) स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) छात्रों से अनुसंधान प्राब्लम/प्रोजेक्ट के आधार पर संकाय निदेशक शिक्षण द्वारा अनुमोदित और सलाहकार समिति द्वारा आबंटित थीसिस अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा दोनों प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

3. मानद उपाधि .–

विद्या परिषद् और बोर्ड की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में श्रेष्ठ वैज्ञानिक या विख्यात व्यक्ति को मानद उपाधि प्रदान की जा सकेंगी और विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में वह आवश्यक समझे तो ऐसी सिफारिशें कुलाधिपति को की जाएंगी।

4. पत्रोपाधि और प्रमाण पत्र .–

विश्वविद्यालय, विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, नामांकित छात्रों को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित गैर–उपाधि कार्य पूर्ण कर लिया है, विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त पत्रोपाधि या प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा।

5. दीक्षांत समारोह आयोजित करना .–

इस प्रयोजन के लिए बनाए जाने वाले अतिरिक्त परिनियम के अनुसार, उपाधि 'प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह वर्ष में एक बार या विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाएगा।

6. उपाधि, पत्रोपाधि आदि का वापस लिया जाना .–

यदि विश्वविद्यालय के हित/हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो, किसी व्यक्ति को प्रदत्त उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र या विद्या संबंधी अन्य सम्मान विद्या परिषद् और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा वापस लिए जा सकेंगे, तथापि मानद उपाधि वापस लिए जाने के लिए कुलाधिपति की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

परिनियम क्रमांक 20

कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा तथा छात्रों के लिए छात्रावास तथा अन्य सुविधाएं

1. कर्मचारियों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाएं .–

(एक) विश्वविद्यालय, कर्मचारियों के उपयोग के लिए उतनी संख्या में, जितनी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के उचित कार्यकरण के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए, गृह प्राप्त कर सकेगा, उनका निर्माण कर सकेगा, उन्हें पट्टे पर ले सकेगा। प्रशासनिक परिषद् कर्मचारिवृन्द के आवास संबंधी विषयों के लिए आवश्यक विनियम बनाएगी।

(दो) प्रशासनिक परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, बोर्ड, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और उनका परिचालन करेगा। ऐसी सभी सुविधाओं का प्रशासन, बनाए गये विनियमों के अनुसार, प्रशासनिक परिषद् द्वारा किया जाएगा।

2. **छात्रों के लिए केफेटेरिया और निवाससुविधा की अन्य शर्तें .–**

(क) विश्वविद्यालय का कोई नामांकित छात्र –

(एक) अपने स्वयं के घर में, या माता पिता के घर में या ऐसे स्थान पर जहाँ महाविद्यालय स्थित है, रहेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के छात्रावास में या छात्रों के लिए अनुमोदित वास स्थान में रहेगा।

(ख) इस विषय पर विद्या परिषद् द्वारा विनियम बनाए जाएंगे।

(ग) विश्वविद्यालय, अपने नामांकित छात्रों के लिए ऐसी केफेटेरिया, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खरीदारी तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा उन्हें संचालित करेगा जैसी कि बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझी जाएं। प्रशासनिक परिषद्, विद्या परिषद् के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए, विनियम बनाएगी। विनियम, विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासित किए जाएंगे, जो कि कुलपति के अनुमोदन से उसके द्वारा पदाभिहित किए जाएं।

3. **छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावास .–**

(एक) विश्वविद्यालय, अपने छात्रों के लिए उतने छात्रावासों की व्यवस्था करेगा तथा उनका संचालन करेगा जितने कि विश्वविद्यालय के छात्रों के सर्वोत्तम हित में, प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं तथा वह विश्वविद्यालय के नामांकित छात्रों के लिए अन्य आवास सुविधाओं की भी व्यवस्था कर सकेगा ;

(दो) कोई भी नामांकित छात्र जो छात्रावास में या विश्वविद्यालय की अन्य ऐसी ही सुविधा में रहता है, सेमेस्टर प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय को ऐसी छात्रावास फीस का भुगतान करेगा जैसी कि प्रशासनिक परिषद् द्वारा अवधारित की जाए ;

(तीन) बोर्ड, निर्धन छात्र को छात्रावास फीस के भुगतान से ऐसी छूट दे सकेगा जैसी कि वह उचित समझे;

(चार) विद्या परिषद्, छात्रावासों तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों के लिए विनियम बना सकेगी और ऐसे विनियम विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष द्वारा प्रशासित किए जाएंगे। इस प्रकार बनाए गए विनियमों में, उन छात्रावासों के जिनमें नामांकित छात्र रहते हों, प्रबंधन में, उनकी अधिकतम सहभागिता का ऐसा उपबंध होगा जो कि किसी विश्वविद्यालय की सुविधा के अच्छे प्रबंधन के अनुरूप हों;

(पाँच) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए छात्रावास फीस में भोजन प्रभार सम्मिलित होंगे।

परिनियम कमांक 21

पूर्व छात्र संगम

विश्वविद्यालय से संबंधित पूर्व छात्र संगम .–

(क) शासकीय प्राधिकारी के रूप में न हो कर, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संगम के नाम से ज्ञात एक संगठन होगा। इस संगम की पूर्ण सदस्यता के लिए केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की हो तथा जो उसे धारण किए हुए हों। विश्वविद्यालय के उपाधि धारक कुलपति के मार्गदर्शन में बोर्ड अनुमोदित संवैधानिक संगठनात्मक उपविधियों के अनुसार, ऐसा संगम स्थापित कर सकेंगे।

(ख) किसी प्रख्यात व्यक्ति को पूर्व छात्र संगम के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 39 read with Section 38 of Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009), the State Government, hereby, makes the following first Statutes for the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) These Statutes (Statutes No 1 to 21) may be called the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya first Statutes, 2012

(2) These Statutes shall come into force with effect from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions: –

In these Statutes, unless the context otherwise requires: –

(a) 'Act ' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009);

(b) 'Academic Year / Session' means a two semester duration during which a cycle of education work is completed as per the academic calendar / semester schedule as notified by the Vishwavidyalaya;

(c) ' Board' means the Board of Vishwavidyalaya as constituted under section 27 of the Act;

(d) 'Committee' means the committee constituted under the Statutes for the administration of the Fund;

(e) 'Continuous Service' means uninterrupted service as defined in the rules of the Government of Madhya Pradesh;

(f) 'Course' means a series of classes and work experiences of the specific subjects, extended over a semester and being as integral and specific part of a semester and being as integral specific part of a curriculum;

(g) 'Credit' means contact time per week devoted by a student to class, laboratory or field work , that is to say :-

(i) 'One Credit', one theory of 45 minutes or one practical of 90 minutes per week;

(ii) 'Two credit ', two theories of 45 minutes or two practical of 90 minutes per week and similar for 3 or 4 credits;

(h) 'Curriculum' means a series of courses distributed in semesters, selected and designed by the respective faculty to provide training to meet the requirement of a degree;

(i) 'Dependent' means any of the relation of deceased subscriber viz. a wife, husband, son, daughter, parents, minor brothers and unmarried sisters, and no parent of the subscriber is alive, paternal grand parent.

(j) 'Employee' means a person in the whole time service of the Vishwavidyalaya appointed as per provisions of Statutes to a permanent or temporary post but does not include a person on deputation or engaged on daily wages or work charged establishment or on contract basis;

(k) 'Family' means a family as defined in the rules of Government of Madhya Pradesh;

(l) 'Fund' means of the Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya contributory provident fund;

(m) 'Pension and Gratuity and Commutation of Pension' means an amount payable to the University employees after his retirement shall be such as the State Government employees are entitled under the Madhya Pradesh Civil Service (Pension) Rules, 1976 and Madhya Pradesh Civil Service (Commutation of Pension) Rules, 1996 respectively;

(n) 'Salary' in relation to an employee means, monthly salary and includes all fixed allowances payable to the employee;

(o) ' Section' means the section of the Act;

(p) 'Semester' means a period of 105 working days. Out of which 85 days shall be devoted for teaching. There shall be two semesters in an academic year;

(q) 'State Government' means Government of Madhya Pradesh.

(r) 'Statute' means the Statute made under the provisions of sections 38 and 39 of the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009);

(s) 'Subscriber' means a employee on whose behalf amount of subscription is deposited under the Statutes;

(t) 'Vishwavidyalaya' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya;

(u) 'Year' means the financial year as defined in Treasury Code and Financial Code of the Government of Madhya Pradesh;

(v) Words and expressions used but not defined in this Statute shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

STATUTE NO. 1

Emoluments and other Terms and Conditions of Service of the Vice- Chancellor

1. Salary, Allowances, Residence, Provident fund, travelling Allowance and leave of Vice-Chancellor :-

(a) The Vice- Chancellor shall receive such salary and allowances per month plus other allowances may be fixed from time to time by the University Grant Commission and approved by the state Government. If he assumes his charge after attaining the age of superannuation and is receiving pension due to his past services, then his pay and allowances shall be reduced by the gross amount of his pension fixed prior to the commutation.

(b) During his tenure of office the Vice- Chancellor shall be entitled to have a rent free furnished residential accommodation maintained by the University.

(c) The Vice-Chancellor shall be entitled to use a University vehicle for official purposes on such conditions as applicable to the head of the department of State Government.

(d) The Vice- Chancellor shall be eligible to opt for the General Provident Fund, Pension and Gratuity scheme of the University if he has not attained the normal age of superannuation prior to commencement of his tenure and he has been eligible for pension scheme as an employee of a Central/State Government or a Central / State autonomous body or Central / State University before joining as Vice- Chancellor, if he opts to join General Provident Fund Pension and Gratuity Scheme of the university, the Vice-Chancellor shall be entitled to the benefit of combining his past

service with service as Vice- Chancellor upto the normal age of superannuation for the purpose of pension. For this purpose the university shall receive pension/contributory provident fund liability from the previous organizations. The period of service rendered by him in the university beyond the normal age of superannuation shall not be counted for the purpose of pensionery benefits. The pension- cum- gratuity benefits shall be payable only from the date of his relinquishing the post of the Vice- Chancellor. If the Vice-Chancellor assumes his office either after superannuation or superannuates during the tenure he shall be entitled to join in Contributory Provident Fund Scheme from the date of his joining the post.

2 (a) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay @30 days in a calendar year. The leave shall be credited to his account in advance in two half yearly installments of 15 days each on the first day of January and first day of July every year.

Provided that if the Vice-Chancellor assumes / relinquishes charge of the office of Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and a half days for each completed month of service.

(b) The leave at the credit of the Vice-Chancellor at the close of the previous half year be carried forward to the new half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for that half year does not exceed maximum limit of 240 days.

(c) The Vice-Chancellor on relinquishing the charge of his office shall be entitled to receive a sum equivalent to the leave salary admissible for the number of days of leave on full pay due to him at the time of his relinquish of charge subject to a maximum of 240 days including encashment benefit availed of elsewhere.

(d) The Vice-Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of 20 days for each completed year of service. This half pay leave may only be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate, when commuted leave availed twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due.

(e) The Vice-Chancellor also be entitled to avail himself, extra ordinary leave without pay for a maximum period of three months during full term of five years on medical ground or otherwise.

(3) The Vice - Chancellor shall be entitled to all other benefits such as medical allowances and leave travel concession as admissible to other University employees.

(4) The Vice - Chancellor shall be entitled to Travelling Allowance on Transfer or his appointment as Vice-Chancellor and after relinquishment of his charge:

Provided that the provision for deduction of pension from the pay of Vice-Chancellor shall not apply to incumbent Vice-Chancellor, unless a specific provision to this effect already exists in the Statutes/Ordinances of the concerned University.

STATUTE NO .2

Powers of the Vice – Chancellor

1. **Powers of the Vice – Chancellor** :-

In addition to the powers conferred under Section 17 of the Act, the Vice-Chancellor shall also have the following powers, namely:-

(1) To sanction recurring or non-recurring expenditure within the approved budget of the Vishwavidyalaya, provided, he may re-appropriate amounts within the various units of appropriation;

(2) To countersign his own T.A. Bills subject to the provisions of T.A. rules of the State Government;

(3) To open account on behalf of the Vishwavidyalaya in the Scheduled Bank in accordance with the provision of sub – section (3) of section 36 of the Act and to authorized any Drawing and Disbursing officer of the Vishwavidyalaya to operate such bank account;

(4) To countersign T.A. Bills and sanction the absence on duty beyond jurisdiction of officers of the Vishwavidyalaya;

(5) To grant leave as per delegation of powers;

(6) To constitute such committees as be deems necessary to help him in the discharge of his duties entrusted to him by or under the Act;

(7) To sanction an allowance to an employee of the Vishwavidyalaya for any special duties assigned to such employees or addition duties performed by him which in the opinion of the Vice-Chancellor warrants such payments;

Provided that such allowance shall not exceed 6 per cent of the basic salary of such employee.

Provided further that any action taken under this sub - clause shall be reported to the Board at its meeting immediately following such actions;

(8) To exercise such other powers as may conferred upon him by the Act, Statutes or Regulation as the case may.

STATUTE NO. 3

Conditions of Service of Officers and other Employees

1. Conditions of service of officers and other employees-

(1) Subject to provisions of the Act and Statutes hereinafter made, the conditions of the service of the officers other than the Vice-Chancellor of Vishwavidyalaya shall be such as prescribed by the Board for the officers of the Vishwavidyalaya.

(2) The Board ,may, if so recommended by the Selection Committee and for reasons to be recorded in writing for acceptance of such recommendation , sanction a higher initial pay then the prescribed pay by the Statutes, but such enhanced amount shall not exceed the amount of five advance increments to any candidate for appointment on the posts of officers.

(3) All officers mentioned in section 12 of the Act shall be whole time salaried officers of the Vishwavidyalaya and shall be entitled to leave , leave salary , allowances and other benefits as prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees:

Provided that if a candidate is appointed outside the services of the Vishwavidyalaya for the post of Directors and Deans of Colleges, his appointment shall be for such term and subject to such conditions as may be determined by the Board. Such a candidate unless selected for another suitable post during the prescribed term will have no claim on any other such post in the Vishwavidyalaya after the expiry of the specified term. The appointments on the post of Directors and Deans of faculties shall be for a terms of **three** years or till the date of his superannuation whichever is earlier. The Vice-Chancellor shall have power to suitably curtail / reduce such term depending upon the exigencies and the convenience of the administration after seeking approval from the Board.

(4) Every employee shall retire from the service of the Vishwavidyalaya in the afternoon of the last day of month in which he attains the age of superannuation , as prescribed below-

(a) "Officers" as specified under section 12 of the Act (except the Vice Chancellor) shall retire on attaining the age of 65 (sixty five)years:

Provided that the person appointed as Officers by promotion or otherwise but have been engaged in teaching for not less than 20 years and holds a lien on a post in the Vishwavidyalaya shall retire on attaining the age of 65 (sixty five) years.

(b) The "Teachers" as defined under section 2(k) of the Act, shall retire on attaining the age of 65 (sixty five) years.

(c) "Non - teaching Service Personnel" of Class- I , II and III categories shall retire on the attaining the age of 60 (sixty) years.

(d) "Class - IV employees" shall retire on the attaining the age of 62 (sixty two) years.

Provided that on attaining the age of superannuation, any employee whose date of birth is first day of the month, shall retire from the service in the afternoon of the last day of the preceding month.

Provided further that all Vishwavidyalaya employees may , in the public interest or in the Vishwavidyalaya interest be retire at any time after they attain the age of 50 years or 20 years of qualifying service, on three months notice without assigning any reason or on payment three months pay and allowances in lieu of such a notice .

(5) In the cases of such persons who have been re-employees in the Vishwavidyalaya service after retirement from Government Service, shall be governed by the terms and conditions of their re-employment in the Vishwavidyalaya service.

Provided that such re-employed persons shall not continue in the Vishwavidyalaya Service beyond the age of retirement relevant to such cases, except with the approval of the Board and such a condition shall be mentioned in appointment order of each of such re-employed person and in the contract to be entered into between them and the Vishwavidyalaya.

STATUTE NO. 4

Emoluments, Powers and Duties of Registrar and Comptroller

1. Emoluments , powers and duties of Registrar:-

(1) The Registrar shall receive the salary in the revised scale of pay as approved by the Government of Madhya Pradesh from time to time. In a special case, where the circumstances so justify and / or when the person is already in employment or retired, he shall receive such other higher pay and allowances as may be determined in the consultation with the State Government or Parent Department/ Institution / Body.

(2) It shall be the duty of the Registrar :

(a) To be responsible for the preparation of the annual report under section 41 of the Act;

(b) To be custodian of the records, common seal and such other property of the Vishwavidyalaya as the Board shall commit to his charge;

(c) To issue all notices convening meetings of the Board , Academic Council and of any Committees or Bodies appointed under the Act of the Vishwavidyalaya of which he is to act a Secretary;

(d) To keep the minutes of all meetings of the Board , the Academic Council and of any Committees or Bodies appointed under the Act of Vishwavidyalaya of which he is to act as Secretary;

(e) To conduct the official correspondence of the Board and the Academic Council, except matter pertaining to finances of the Vishwavidyalaya and matters incidental there to falling within the ambit of Comptroller's duties.

(f) To administer Statutes of the Vishwavidyalaya with respect admission of students and their continence as such;

(g) To prepare time schedule for academic courses as recommend by the faculties and plan and direct the admission of students for various courses and keep record of transfers and dropouts students as recommended by the faculties;

(h) To maintain records of each student of the Vishwavidyalaya including academic accomplishment , conduct as a student and all other matters which bear on the accomplishments and conduct of the student;

(i) To maintain records of the Graduates of the Vishwavidyalaya;

(j) To discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor to which he is responsible.

2. **Emoluments , powers and duties of Comptroller:-**

(a) The Comptroller shall receive a salary in the revised scale of pay as approved by the Government of the Madhya Pradesh from time to time hereinafter. In a special case, where the circumstances justify, he shall receive such other higher pay and allowances as may be determined in consultation with the Government of Madhya Pradesh ;

(b) In addition to the powers conferred on him under clause (a), (b) and (c) of sub - section (3) of section 19 of Act, the Comptroller shall also exercise the following powers, namely:-

(i) He shall be responsible for the preparation of the financial estimates and for its presentation to the Board ;

(ii) he shall receive income and fees , disburse payment and be responsible for the day-to-day financial transaction of the Vishwavidyalaya and for the proper accounting thereof and do all incidental matters including correspondence relating thereto;

(iii) he shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and Regulations or as may be require from time to time by the Board or the Vice-Chancellor, with respect to the matters pertaining to accounts and finance of the Vishwavidyalaya for which he shall be directly responsible to the Vice-Chancellor;

(iv) he shall attended the board meeting as and when required to do so for the purpose of fulfilling his responsibilities and duties envisaged under sub-section (3) of Section 19 of the Act;

(v) he shall discharge such other function as may be assign to him from time to time by the Vice-Chancellor.

(c) The receipt issued by the Comptroller or the person or persons duly authorized in writing in this behalf by the Board in respect of any money payable to the Vishwavidyalaya shall be deemed to be issued for such receipt.

STATUTE NO. 5

Composition of Selection Committee, Procedure of Selection and other Conditions of Appointment

1. Officers and other staff:-

(1) The officers of the Vishwavidyalaya shall be those as specified in clause (a) to (i) of section 12 of the Act.

(2) In addition to the officers specified in section 12 of the Act, the librarian of the Vishwavidyalaya shall also be the officer of the Vishwavidyalaya.

2. Qualification for posts of officers:-

Qualifications for the appointment to the post of officers of the Vishwavidyalaya **(other than those of Chancellor and Vice-Chancellor)** as specified under Section 12 of the Act shall be laid down by the Board after giving due considerations to the recommendations made by the Academic Council. The recommendation shall be broadly based on the guidelines provided by Indian Council of Agricultural Research pattern from time to time; in the case of teachers / officers posts carrying University Grants Commission scale of pay and in the case of remaining officers posts, carrying scale of pay sanctioned by the Government of Madhya Pradesh for which a qualification shall be laid down by the Administrative Council:

Provided that the qualification prescribed shall be given due publicity in such manner as may be prescribed by the Vishwavidyalaya from time to time and selection process shall start only after obtaining administrative approval from the Government of Madhya Pradesh for filling up the vacant posts.

3. Composition of Selection Committee for appointment of officers, teachers and service personnel:-

(1) The Registrar shall start process and take suitable steps to get a Selection Committee constituted by the Vice-Chancellor for filling up anticipating vacancy or to fill up the vacant post of the set-up of Vishwavidyalaya.

(2) There shall be the following Selection Committees shown in column (2) for the posts shown in column (1):

	Designation of Post (1)		Composition of the Selection Committee (2)
(A)(i)	Director of Research Services.	(1)	Vice-Chancellor (or his nominee from amongst the members of the Board of Management of Vishwavidyalaya) - Chairman.
(ii)	Director of Extension Services.	(2)	One member to be nominated by the Chancellor from amongst the persons not connected with the Vishwavidyalaya.
(iii)	Director of Instructions and Students Welfare	(3)	One member to be nominated by the Board from amongst its members.
(iv)	Dean of Faculties	(4)	One member to be nominated by the Farmer Welfare and Agriculture Development Department of the Government of Madhya Pradesh.
(v)	Dean of Colleges	(5)	One expert member representing the Union Ministry of Agriculture to be nominated by the Department of Agricultural Research and Education, New Delhi.
(vi)	Registrar	(6)	The post of Registrar shall be filled up from the Additional Director or officer of equivalent rank on deputation from the Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Government of Madhya Pradesh.
(vii)	University Librarian	(7)	Two expert members from outside the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.
(viii)	Comptroller	(8)	The post of Comptroller shall be filled up from the Additional Director or the officer of equivalent rank on deputation from Finance Department, Government of Madhya Pradesh.
(ix)	Professors/Associate Professors and all equivalent posts in research, Extension and Krishi Vigyan Kendra's	(9)	The Head of the Department Concerned.
		(10)	Registrar shall be the Member - Secretary.

Note :-

1. The member against serial No. (4) above shall participate only for posts other than those sanctioned by the Indian Council of Agriculture Research.
2. The member against serial No (5) above shall participate only for posts sanctioned by the Indian Council of Agricultural Research.

3. The members against serial No. 8 and 9 shall participate in the selection of posts mentioned against category (ix) above, as the case may be, depending on the nature of the post.

(B) (i)	Assistant Professor and all equivalent posts in teaching, research and extension including Krishi Vigyan Kendras	(1) Vice-Chancellor (or his nominee from amongst the members of the Board of Management of Vishwavidyalaya - (Chairman)
(ii)	Assistant Librarian/Sports officer/Programme Assistant/ Technical Assistant	(2) Dean of Faculty concerned. (3) One of the Directors to be nominated by the Vice-Chancellor Member. (4) Head of the Department concerned-Member. (5) Two expert members from outside the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor- Member. (6) Vishwavidyalaya Librarian-Member (7) Registrar shall be the Member Secretary.

Note :- Vishwavidyalaya Librarian shall participate only for the post of Assistant Librarian.

(C) (i)	Deputy Registrar/ Deputy Comptroller	(1) Vice-Chancellor (or his nominee from amongst the members of the Board of Management of Vishwavidyalaya)-Chairman.
(ii)	Executive Engineer	(2) Comptroller (Only for Finance posts)
(iii)	Asstt. Registrar/ Asstt. Comptroller	(3) Two members to be nominated by the Vice-Chancellor according to the nature of the post to be filled up.
(iv)	Asstt. Engineer	(4) One member not connected with the Vishwavidyalaya to be nominated by the Vice-Chancellor.
(v)	Medical officer	(5) Registrar shall be the Member Secretary.
(vi)	Section officer/Personal Secretary and any other similar posts not covered by the above	

(D) Ministerial posts below the rank of Section Officers in the various offices of the Vishwavidyalaya.	1. Registrar – Chairman 2. Comptroller 3. Two members to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the Faculty/Directorate/Department. 4. Deputy Registrar shall be the Member-Secretary.

Note :- The above committees will deal with the appointments on posts at the point of entry into service and also with promotion to higher posts under clause (C) and (D).

(E) Ministerial/Non ministerial field staff posts located at the point of entry into service like Assistant Grade III, Field Extension Officer,Laboratory Technician, Computer Operator, Steno Typist, Lab. Attendants and Library Attendant etc. in the Colleges, Research Stations and Krishi Vigyan Kendra's etc.	1. Any director- Chairman 2. Comptroller 3. Two senior members nominated by the Dean of Faculty/Director concerned from the unit/ Department where from the post is to be filled up. 4. One member to be nominated by the Vice-Chancellor from any Faculty/Directorate/Department. 5. Deputy Registrar shall be the Member secretary.
(F) Technical posts (Non-Ministerial) in various offices of the Vishwavidyalaya like Driver, Photographer, Machine operator, Helper, Cleaner, Binder, Carpenter etc.	1. Any Director – Chairman 2. Registrar 3. Comptroller 4. One Deputy Registrar to be nominated by the Vice-Chancellor. 5. One member to be nominated by the Vice-Chancellor from offices from where the posts is to be filled. 6. Two officers to be nominated by the Vice-Chancellor from any of the Faculty/Directorate/Department. 7. Deputy Registrar shall be the Member-Secretary.

Note :- (a) This committee will deal with the appointments on posts at the point of entry into service and also with promotion to higher posts. However, in case of promotion to technical posts. Chairman of the promotion committee shall be the respective Directors/ Dean of faculty concerned of Officer from where the post is to be filled.

(b) The quorum for every Selection Committee shall be half of the total number of members plus one.

(c) Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes nominee would participate in the Selection Committees under this statute as per guidelines of Government of Madhya Pradesh.

(d) The Vishwavidyalaya may conduct eligibility tests for all post at the point of entry in to service for Ministerial, Non -ministerial and Technical posts fall within class III and Class IV cadres as per procedure laid down from time to time.

4. **Procedure of Selection**

(1) All posts of Officers of the Vishwavidyalaya as specified under Section 12 of the Act (except those of Chancellor, Vice-Chancellor and Deans of Faculty) and Librarian and the Teachers as defined under section 2 (k) of the Act and the posts of equivalent cadres shall be filled up by selection based strictly on merit and All India advertisement:

Registrar- As per the provision of Section 20, the Registrar shall be appointed by the State Government from the Additional Directors of Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development Department.

Comptroller- The Board may also consider to fill up the post of Comptroller on deputation in the interest of Vishwavidyalaya by obtaining services of Additional Director with appropriate experience and merit from the Finance Department of Government of Madhya Pradesh.

(2) The minimum qualifications required for appointment to the post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, or an equivalent post, University Librarian, Assistant Librarian, Sports Officer shall be such as may be prescribed by the Vishwavidyalaya from time to time. Further, only those candidates, who besides fulfilling the minimum qualifications and have qualified in National Eligibility Test (NET) conducted by the Indian Council of Agricultural Research or University Grant Commission *IDSIR* will be eligible for selection and appointment to the post of Assistant Professor and equivalent. NET qualification shall not be compulsory for those holding Ph.D. degree. However, other things being equal, candidates having Ph.D. and passed NET examination conducted by Indian Council of Agricultural Research or University Grant Commission /CSIR shall be given preference in recruitment. In case, the candidates in the subjects where NET is not conducted by Indian Council of Agricultural Research or University Grant Commission *ICSIR,* the vacancies will be filled up by following Vishwavidyalaya recruitment procedure:

Provided that for posts falling within the faculty of Veterinary Science and Animal husbandry, the norms laid down, if any, by the Veterinary Council of India shall also be applicable for appointments to the post of Assistant Professor and equivalent thereto.

(3) The employees of the Vishwavidyalaya possessing the requisite qualifications and other conditions (if any), shall be eligible to apply and their applications shall be considered along with other candidates.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of the Act and this statute, the teachers in the cadre of Assistant Professor and Associate Professor may be promoted to the post of Associate Professor and Professor respectively under Merit Promotion Scheme with the norms laid down by the Indian Council of Agricultural Research and Government of Madhya Pradesh from time to time:

Provided that, the teachers who opted for promotion/appointment under Merit Promotion Scheme while serving at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur shall continue to be governed in the same scheme till 27-07-1998 and shall be entitled to scale of pay prescribed therein under the Merit Promotion Scheme.

(5) The teachers of the Vishwavidyalaya, if opted, shall also be entitled to receive the benefit of Career Advancement Scheme as envisaged in the Government of Madhya Pradesh, Agriculture Department Order No. - B-4-39/87/14-2, dated 9th March, 1989 and as modified or amended by University Grand Commission/ Indian Council of Agricultural Research /Government of Madhya Pradesh and Vishwavidyalaya from time to time.

(6) The Career Advancement Scheme shall also be applicable to University Librarian, Assistant Librarian and Sports Officers and all posts equivalent thereto,

(7) For considering the cases for selection under Career Advancement Scheme, the Selection Committee shall be constituted and screening/ selection shall be made as per provisions contained in the Government of Madhya Pradesh, Agriculture Department order No. -B-4-39/87/14-2, dated 9th March, 1989 and as modified or amended from time to time.

(8) The Recruitment to the post non-teaching service-personnel defined as Class-I, Class-II, and Class-III specified in Regulation of the Vishwavidyalaya Services (General conditions of Service) (except those at the point of entry into service), shall be filled-up by promotion to the extent of 80 per cent on seniority-cum-merit basis from amongst the employees of the Vishwavidyalaya and the remaining 20 per cent posts shall be filled-up by advertisement and selection based strictly on merit by conducting departmental examination from amongst the eligible staff of the Vishwavidyalaya who possesses the requisite qualification for the posts :

Provided that, recruitment to posts of non teaching service personnel shall be made through advertisement and open competition as per procedure laid down by the Vishwavidyalaya Board from time to time.

Provided further that for class-II and other higher posts in the works Section of the Vishwavidyalaya, 80% quota shall be fixed for promotion from amongst the employees of the Vishwavidyalaya and 20% quota shall be for direct recruitment through advertisement. In case the nature of vacancy is as such that the Vishwavidyalaya may not be able to recruit the desired type of person either from the promotion quota or by direct recruitment through advertisement, the Vice-Chancellor may obtain the services of a suitable person on deputation from the Government of Madhya Pradesh.

(9) The non-teaching service personnel shall be entitled for benefit of Kramonnati Yojana as per provisions contained in Government of Madhya Pradesh memo No. GAD F-11/1/OS-vk-iz-/99 dated 17.3.1999/19.4.1999 and also get Time –Scale of Pay as laid down by Government of Madhya Pradesh from time to time.

(10) In case of direct recruitment through advertisement, the applications received in response to the advertisement shall first be scrutinized by a Committee to be appointed by the Vice-Chancellor, which shall recommend, to the Vice-Chancellor, the names of those applicants who fulfill the prescribed qualifications for being considered for the post. The applicants so recommended by the aforesaid Committee and approved by Vice-Chancellor shall be called for an interview by the selection committee. In the case of Selection for the teaching posts of Professors, Associate Professors, and equivalent posts, the Selection Committee may at its discretion, also consider in absentia the candidature of such applicants who are abroad on the date of interview.

(11) The Selection Committee shall recommend a panel of not more than three names arranged in order of merit, for each vacancy to the Vice-Chancellor.

(12) In case of direct recruitment, there shall be reservation of vacancies in posts in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens as well as for women as per provisions of (i) The Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and (ii) The Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997 and amendment made therein from time to time.

(13) There shall also be 6 per cent reservations in the posts of Class-II, Class-III and Class-IV category for blind, deaf, and other physically handicapped persons for vacancies to be filled through direct recruitment as per Madhya Pradesh General Administration Department Memo no. F. -8-2/96/vk.iz. dated 30.05.1997 and thereafter instructions issued from time to time to regulate reservations for above categories.

(14) In case of recruitment by promotion from amongst the employees of the Vishwavidyalaya, the Vishwavidyalaya shall determine in each cadre to which appointment is to be made by promotion, the post from which such promotion shall be made, which shall be called feeder cadre. The Selection committee shall consider the names of only those employees, who have completed required minimum length of service in the feeder cadre. The promotion shall be

made as per rules contained in Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rule, 2002 and as amended from time to time.

5. **Procedure for appointment:-**

(1) The panel of recommended persons, in order of merit prepared in accordance with this Statute for all officers and teaching posts up to the rank of Associate professor and equivalent posts shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board with his own recorded recommendations for consideration.

(2) The Board may accept and approve the recommendations or return the recommendations refusing to accord approval, giving reasons in writing there-of, in which case the Vice-Chancellor shall, in due course, submit another panel of recommended persons in order of merit to the Board.

(3) Subject to the fulfillment of minimum qualification as per provisions of clause 4 of this statute, the Vice-Chancellor shall make an ad-hoc appointment in any emergency on any teaching post for a period of not more than six months. Such an ad-hoc appointment extending beyond a period of six months will require the approval of the Board.

STATUTE NO.6

Appointment, Emoluments, Powers and Duties of Director of Research Services, Director of Extension Services and Director of Instructions and Students' Welfare

1. **Emoluments, Powers and Duties of the Director of Research Services:-**

(1) The Director of Research Services including Professors and Head of the Department shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/-+ AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.

(2) The Director of Research Services shall be appointed for a term of three years or such term as the Board may approve.

(3) The post of Director Research Services shall be interchangeable with that of any other Directors and also with that of any of the Deans of colleges provided the requirement of minimum qualification is fulfilled.

(4) It shall be the following duties of the Director of Research Services.-

(a) to exercise overall control of the planning and prosecution of research conducted by the Vishwavidyalaya, excepting research done by students to meet degree requirement and by teachers of the Vishwavidyalaya to improve teaching ability;

(b) to prepare Research Service Programmes and annual Budget Estimates, as may be required by the Vishwavidyalaya;

(c) to assist the Dean of Faculty concerned in the supervision over the members of the college staff engaged on approved research programmes under the general purview of the research service.

(d) to require and supervise the compilation of research results, and the proper publication of the research findings;

(e) to approve for publication, in consultation with Deans of Faculties concerned, research manuscripts in such general form and in such number as may be determined;

(f) to assign numbers to all publications and to maintain official record of all publications;

(g) to be responsible to the Vice-Chancellor in exercise of the powers and discharge of the duties under the Act;

(h) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

2. **Emoluments, Powers and Duties of the Director of Extension services .-**

(1) The Director of Extension Services including Professors and Head of the Department shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/-+AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.

(2) The Director of Extension Services shall be appointed for a term of three years or such term as the Board may approve.

(3) The post of Director Extension Services shall be interchangeable with that of any other Directors and also with that of any of the Deans of colleges provided the requirement of minimum qualification is fulfilled.

(4) It shall be the following duties of the director of Extension Services:-

(a) To exercise overall control of on-campus and off-campus educational work involving cultivators and rural families;

(b) to prepare yearly programmes and budget needed for the education of cultivators and other non-students in connection with the extension scheme;

(c) to assist the Deans of Faculties in developing courses and in teaching the students in various forms of the extension education;

(d) to supervise off-campus programmes dealing with agricultural cooperatives and rural youth programmes;

(e) to exercise supervision over the extension specialists, assigned or attached to the colleges and units and such other members of the staff who are engaged in extension work in Krishi Vigyan Kendras and to guide the extension work;

(f) to direct the preparation of materials such as publications, films etc. for better development of the extension programme;

(g) to distribute any material as a part of the Vishwavidyalaya extension services;

(h) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of power and discharge of duties under the Act.

(i) to perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

3. **Emoluments, Powers and Duties of Director of Instructions and Students' Welfare**

(1) The Director of Instructions and Students' Welfare shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/- + AGP 10,000 /- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time

(2) The Director of Instructions and Students' Welfare shall be appointed for a term of three years or such term as the Board may approve.

(3) The post of Director of Instructions and Students' Welfare shall be interchangeable with that of any other Directors and also with that of any of the Deans of colleges provided the requirement of minimum qualification is fulfilled.

(4) The Director of Instruction shall be in overall charge of the Education in all the Faculties of the Vishwavidyalaya and allied subject.

(5) It shall be the following duties of the Director of Instructions and Students welfare

(a) To frame, develop, evaluate and improve courses and curriculum and develop teaching procedure to inculcate in the students' professional competence, character and quality of leadership in consultation with the Dean of Faculty concerned.;

(b) to ensure uniform standard of teaching and examination in all constituent colleges of Vishwavidyalaya;

(c) to develop an integrated system of teaching, research and extension education and to coordinate the teaching work of different faculties.

(d) to make arrangements for providing in-service and post graduate training facilities to academic staff members of constituent Colleges, Research Stations and Farms;

(e) to exercise overall control on the planning and coordination of work done by the students of the Vishwavidyalaya in preparation for the requirements of post graduate degrees.;

(f) to co-operate with the relevant college faculty in which students are studying in order that the requirements for various degrees may be fulfilled in proper manner;

(g) to plan and direct, in coordination with other Vishwavidyalaya Officers and authorities, all non curricular activities for students' including clubs, recreation centers, cooperatives, etc as may, from time to time, be approved by the Vishwavidyalaya for welfare of students;

(h) to supervise the management of students' hostels, mess arrangements and cafeterias in consultation with respective Dean of the College;

(i) to cooperate with the staff, in charge of physical activities, NSS, National Cadet Corps and other allied activities;

(j) to deal, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, with student indiscipline, excessive absenteeism and other student irregularities from point of view of maintenance of discipline etc:

(k) to supervise health programmes and medical facilities for students;

(l) to make arrangements for scholarships, stipends and other such assistance as may be deemed necessary for welfare of students;

(m) to communicate with guardians of students concerning the welfare of the students;

(n) to create and manage the placement cell in the matters of employment of the passed out students who have completed courses in Vishwavidyalaya;

(o) to be responsible to the Vice-Chancellor in the exercise of powers and discharge of duties under the Act;

(p) to perform such other duties and discharge other functions as may be assigned to him by the Statutes, Regulations or the Vice-Chancellor, with the prior approval of the Board.

STATUTE NO. 7

Appointments, Emoluments, Powers and Duties of Deans of Faculties, Deans of Colleges and Librarian

1. **Appointment ,Emoluments, Powers and Duties of Deans of Faculties :-**

(1) The Dean of the Faculty concerned shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor from amongst the Deans of Colleges for a period of three years. The Vice-Chancellor shall have powers to recommend to the Chancellor to curtail/ reduce this period depending upon the exigency of service and convenience of administration. The Deans of Faculties

shall receive a salary in the scale of pay Rs. 37400-67000 + AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.

(2) The Dean of Faculty shall :-

(a) Be the Chairman of each of the Faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the administration and Execution of Faculty policies;

(b) be responsible for due observance of the Statues and other regulations relating to the faculty;

(c) formulate and present policies to the Academic Council for their consideration without prejudice to the right of any member to present any matter before the Council;

(d) be responsible to organize, advise, guide and conduct matters relating to the policies and programmes related with teaching / research / extension, curricula courses, course outlines, examinations, registration and admission etc., in the Faculty with due consultation of respective Directors and act as the Chief Adviser to the Vice-Chancellor and other concerned officers in this connection;

(e) serve as the medium of communication for all official business of the Faculty with other authorities or officers of the Vishwavidyalaya, colleges, students and the public;

(f) perform such other duties and functions as may be assigned to him by the Statutes, Regulations or the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board.

2. **Emoluments, Powers and Duties of Dean of College :-**

(1) The Dean of the College shall be appointed in accordance with the Statute-1(1). The Dean of the College shall receive a salary in the scale of Rs. 37400-67000/- + AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government from time to time.

(2) It shall be the duty of the Dean of College-

(a) To exercise overall control of the College and zone of which he is the administrative and academic head in respect of all employees, students, activities, facilities and of the expenditure incurred therein;

(b) to supervise the teaching, research and extension work of the staff of the college and be responsible for the work and conduct of all the students of the college;

(c) to be responsible to the Vice-Chancellor through the Dean of the Faculty and the Director concerned, in exercise of the powers and discharge of duties under this Statute;

(d) to exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to him by the Vice-Chancellor in regard to the College of which he is the Dean and to be responsible in all technical and administrative matters related to teaching, research and extension etc. through the Dean of the Faculty and the Director concerned.

(3) The Dean of the College shall : -

(a) Be responsible for the due observance of the Statutes and regulations;

(b) supervise the admission, registration, conduct and discipline and progress of the students in his college;

(c) formulate and present policies on academic matters pertaining to his college to the Faculty for consideration through the Dean of Faculty/Director of Instructions and Students' welfare;

(d) be responsible for proper administration of Research Stations/ Instructional Farms / Units attached to the College/Zone;

(e) be also responsible to the concerning authorities for the use and maintenance of lands, buildings, laboratories, libraries and such other properties of the College, the Research Stations/Instructional Farms, KVKs and other units attached to the college/Zone;

(f) be responsible for the maintenance, supervision, functioning of the hostels of the college;

(g) be responsible for the procurement of stores, equipments and such other items as are necessary for the college and units attached with the same;

(h) be responsible for the maintenance of high standard of discipline in the institutions under his control;

(i) be responsible for the maintenance of high standard of financial discipline in the institutions under his control;

(j) assist the Dean of the Faculty for all policies and programmes related to teaching, research and extension work in the College on coordinated basis,

(k) prepare proposals for College activities and budget estimates for the needs there of and be responsible to the Comptroller through the Vice-Chancellor. He shall also see that all college activities are in accordance with sanctions of the appropriate authorities;

(l) assist the Director of Research Services on the development of plans and budgets for research in the prominent subjects and in the preparation of reports as may be asked by him and also direct the research work done by the scientists and students and under the schemes attached with the institutions under his control;

(m) (i) assist the Director of Extension Services on development of plans and budgets for extension work in respect of the institutions under his control;

(ii) assist the extension services on the development of informational materials; and

(iii) direct the extension education work to be done by the scientists of the college;

(n) assist the Director of Instructions and Students' Welfare and direct the teaching works of all students in his college;

(o) be responsible to the Vice-Chancellor, through the works section for the educational use of the buildings and rooms assigned to the College and for the general equipment of the College;

(p) perform such other duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes, Regulations or by the Vice-chancellor.

3. Appointment, Emoluments, Powers and Duties of Librarian.

(i) The Vishwavidyalaya Librarian shall be appointed in accordance with the provisions of under (A) (VII) of Statute-5.;

(ii) The Vishwavidyalaya Librarian shall receive a salary in the scale of 37400-67000/- + AGP 10,000/- and subsequent revised scale of pay as approved by the State Government of Madhya Pradesh from time to time.

(iii) It shall be the duty of the Vishwavidyalaya Librarian :-

(a) To maintain control and supervise all libraries of the Vishwavidyalaya in consultation with Director of Instructions and Students' Welfare and to organize their services in the manner most beneficial to the needs of teaching, research and extension;

(b) to prepare annual budget for developing and operating all the libraries under the Vishwavidyalaya;

(c) to receive and co-ordinate recommendations from Deans of Faculties and Directors for the purchase of books and distribution thereof amongst students and members of the staff;

(d) to make recommendations to the Comptroller, through the works section, on the need of improvement in accommodation of the libraries of the Vishwavidyalaya;

(e) to do such other things in connection with the library and improvement thereof as may be required by the Vice-Chancellor.

Explanation - For the purposes of this Statute "Libraries of the Vishwavidyalaya" shall include libraries of the Vishwavidyalaya campus and all libraries attached to the Colleges and other units under the administration of the Vishwavidyalaya.

STATUTE NO .8

Authorities of the University

1. **Authorities of the University** :- As specified in section 23 of the Act, the following shall be the authorities of the University:
   (i) The Co-ordination Council;
   (ii) the Board;
   (iii) the Academic Council;
   (iv) the Faculties; and such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

2. **The Coordination Council** :- There shall be a Council containing for coordinating the activities of the agricultural universities in the State as prescribed in section 24 of the Act. The meetings of coordination council shall be held twice in a calendar year as per section 25 of the Act. The powers and duties of the council are specified in section 26 of the Act.

3. **The Board**: - The Chancellor shall constitute the Board as per section 27 of the Act. The board shall have powers and duties as specified the section 29 of the Act. The Board shall perform such duties and exercise such powers as specified in the said section of the Act.

STATUTE NO. 9

Academic Council

1. **The Academic Council**:-

   (1) The Academic Council shall consist of such members as specified in section 30 of the Act and shall have powers and duties as given in section 31 of the Act.

   (2) One teacher from each Faculty of the Vishwavidyalaya shall be elected under clause (vi) of sub-section (1) of section 30 of the Act by ballot as follows:-

      (a) One member shall be elected by the Faculty of Agriculture from amongst its members;
      (b) One member shall be elected by the faculty of Veterinary Science and Animal husbandry from amongst its member;.
      (c) One members shall be elected by the Faculty of Agricultural Engineering from amongst its members;
      (d) One member shall be elected by the other faculties, if any, from amongst their members by rotation, as may be determined by the Vice Chancellor.

(3) The Academic Council shall make regulations not inconsistent with the Statutes as provided in Section 31of the Act for the development of curriculum and syllabi by various Faculties in accordance with the objectives of the Faculty and the Degree requirements of the Vishwavidyalaya. Such regulations shall also provide that proposals of the Faculties shall be subject to the approval of the Academic Council. Council shall also provide such regulations not in consistent with the Statute 5 in respect of admission requirements, evaluation of students performance and financial assistance to students, award of Degrees/Diplomas etc. of various Faculties.

STATUTE NO. 10

Faculties

1. **Faculties** :-

(a) The Vishwavidyalaya shall have the following Faculties namely:-

(i) Faculty of Agriculture.

(ii) Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry.

(iii) Faculty of Agricultural Engineering.

(iv) Faculty of each of such subject other than those mentioned above for which a new institution is opened or similar other Faculties offered to qualify students for academic degrees.

(b) Each Faculty shall consist of the following members : -

(i) Dean of the Faculty - Chairman

(ii) Director of Research Services

(iii) Director of Extension Services

(iv) Director of Instructions and Students' Welfare

(v) All Deans of Colleges.

(vi) Heads of the Department of Studies in the Faculty.

(vii) Six senior Professors, three Associate Director Research of Zonal Agricultural Research Stations/ Regional Agricultural Research Stations and three Extension specialists employed in the service of the Vishwavidyalaya nominated by the Dean of Faculty in consultation with Director Research / Director Extension / Director of Instructions and Students' Welfare for a period of two years from the date of notification.

(viii) Two senior Head of the Section by rotation, for a period of two years.

(ix) Not more than two members, not in employment of the Vishwavidyalaya, as the Dean of Faculty may co-opt for a period of two years.

(x) One member from each of the other Faculties, as the Chairman may, in consultation with the Dean of the Faculty concerned, co-opt for such period as he may deem fit.

(xi) No member other than those specified in the Statute shall attend the meeting of the Faculty.

(c) **Duties of the Faculty :- Each faculty shall have the following duties –**

(i) Each Faculty shall be responsible to its Dean.

(ii) Each Faculty shall draw up a college organizational plan which provides for such departments as deemed best and shall define the scope of the work to be done by the College and the various departments comprised in each Faculty. A proposal of a Faculty shall be considered by the Academic Council and, if approved by the Council shall be forwarded to the Board for its consideration. Any changes desired by the Council and /or Board shall be referred to the Faculty.

(iii) Each Faculty shall consider and make such recommendations to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work as may appear to it to be necessary or on any matter referred to it by the Academic Council.

(iv) Subject to Regulations made by the Academic Council, each Faculty shall develop college curricula and course outlines to meet the degree requirements of the Vishwavidyalaya, and shall provide teaching, laboratory and field experiences and other opportunities for learning and shall participate in research and extension activities in accordance with the objective of the Vishwavidyalaya.

(v) Subject to the provisions of the Statutes, each Faculty shall prescribe detailed conditions of admission of students to the College and to the various courses of study in the Faculty shall formulate standard for the evaluation of the progress and attainments of the students of the college and shall recommend dismissals of students who fail to meet the academic requirements of the college and Vishwavidyalaya.

(vi) The Faculty shall submit to the Board through Registrar for its consideration, the recommendations that degrees be conferred on students who have satisfactorily fulfilled the degree requirements of the Faculty and Vishwavidyalaya.

(d) Subject to the Statutes, the Faculty shall :-

(i) Assist the Extension Services on the development of plans for training of cultivators and others who are not students of the college and shall recommend to the Director of Extension Services, the issuance of Diplomas, Certificates or other Recognition to those meeting the prescribed requirements; and

(ii) assist the Research Service on the development of plans for the conduct of research work aimed at practical solution to cultivator's problems.

STATUTE NO. 11

Constitution and Duties of other Authorities

1. **Declaration of Other Authorities :-**

In addition to the authorities mentioned in item (i) to (iv) of Section 23 of the Act, the following shall be the authorities of the Vishwavidyalaya, namely:-

(a) Administrative Council.

(b) Extension Education Council.

(c) Research Council.

(d) Council of Post-graduate Studies.

2. **Administrative Council**

(1) The Administrative Council shall consist of the following persons, namely:-

(a) Vice-Chancellor - Chairman.

(b) All Deans of Faculties.

(c) Director of Research Services.

(d) Director of Extension Services .

(e) Director of Instruction and Student's Welfare.

(f) Registrar – Secretary.

(g) Two Deans of Colleges to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years by rotation.

(h) Comptroller.

(i) Executive Engineer or Incharge of Works Section.

(j) Two 'Heads of Departments from Agriculture Faculty, one from the Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry and one from the Faculty of Agricultural Engineering by rotation according to the seniority for a period of two years.

(2) It shall be the duty of the Administrative Council to make recommendations to the Vice-Chancellor on all matters with which, Vishwavidyalaya is concerned, except matters pertaining to academic aspects, as may be referred to it by the Board, the Vice-Chancellor, the Academic Council or the Faculties.

3. **Extension Education Council :-**

(i) The Extension Education Council shall consist of the following persons, namely :-

(a) Director of Extension Services – Chairman.

(b) All Deans of Faculties.

(c) Director of Research Services .

(d) Director of Instructions and Student's Welfare .

(e) Two Deans of Colleges by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor .

(f) Head of Department of Extension Services .

(g) Two specialist from Krishi Vigyan Kendras .

(h) Joint Director Extension Services at Head quarter -Secretary.

(ii) The Extension Education Council shall be responsible to the Director of Extension Services and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to education, Extension Education and specially with respect to the following:-

(a) Training of College Students.

(b) Agricultural rural life extension service.

(c) Preparation of educational material for cultivators.

(d) Conduct of short courses etc., for non-students.

(e) Field extension programmes for the benefit of cultivators.

(f) The development of agriculture production and making cooperatives.

(g) Preparation of material for development of agriculture such as publications, films, etc. for better development of extension.

(h) To make suitable recommendations for efficient working of Krishi Vigyan Kendras and matter ancillary thereto:

4. **Research Council :-**

(1) The Research Council shall consist of the following members, namely :-

(a) Director of Research Services.

(b) All Deans of Faculties and Deans of Colleges.

(c) Director of Extension Services.

(d) Director of Instructions and student's welfare.

(e) Associate Directors Research from Research Stations.

(f) Librarian.

(g) Such other Heads of Department, not more than two, as may be nominated by the Director of Research services.

(h) Associate Director Research at Head Quarters-Secretary.

(2) The Research Council shall be responsible to the Director of Research Services and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to agriculture research of the Vishwavidyalaya and especially with respect to the following subjects:-

(a) Agriculture rural life research service;

(b) Preparation of material for development of agriculture such as publications, films, etc., for better development of research.

5. **Council of Post-graduate Studies :-**

(1) The Council of Post-graduate Studies shall consist of the following members namely:-

(a) Director of Instructions and Student's Welfare - Chairman.

(b) All Deans of Faculties and all Deans of Colleges.

(c) Director of Research Services.

(d) Director of Extension Services.

(e) Librarian.

(f) Two Senior Professors involved in teaching of each faculty by rotation, to be nominated by the Director of Instructions and Student's welfare.

(g) Dy. Director of Director of Instructions Office - Secretary.

(2) The Council of Post-graduate Studies shall work under the overall purview of the Academic Council but shall be responsible to the Director of Instructions and Student's Welfare and shall consider and make recommendations on all matters pertaining to quality teaching and Post-graduate research and studies especially with respect to the following:-

(a) The development and laying down of standards of admission to various degrees course of the Vishwavidyalaya;

(b) the prescription of courses, Post-graduate research and other requirements for various degrees;

(c) the evaluation of performance of candidates for all degrees with concurrence of the Dean of the Faculty concerned for the award of various degrees;

(d) the performance of such other functions as may be assigned by the Vice-Chancellor.

STATUTE NO. 12

Committees of Authorities

1. **Committees of the Authorities :-**

(a) Each authority of the Vishwavidyalaya may appoint such committees, as it may consider necessary for the efficient discharge of the duties, assigned to it by or under the Act.

(b) There may be appointed on each Committee a member or members of other authorities and such members of the staff of the Vishwavidyalaya as the authority may deem fit to appoint.

STATUTE NO. 13

Travelling Allowance and Daily Allowance to nominated members of Authorities and Committees and experts

The nominated members of the authorities, other than the Government servants, under relevant statutes and outside experts engaged for special assignment provided by the Vishwavidyalaya shall be paid travelling and daily allowances for attending meeting of the authority or any Committee thereof at such rates as the Board may determine by Regulations from time to time.

STATUTE NO. 14

Appointment, Qualifications and Pay and other terms and conditions of service of Teachers

(1) **Appointment :-** Teachers of the Vishwavidyalaya shall also be the persons who have been appointed by the Board as Honorary teachers in any of the aforementioned categories on such terms and conditions as the Board may prescribed, by Regulation.

(a) "Teacher" means the person appointed by the University as teacher or employee for the purpose of imparting instructions and / or conducting and guiding research and/ or extension programmes and includes Professor, Associate Professor and Assistant Professor as declared to be the teachers of the University.

(b) Any "Teacher" subsequently appointed as an officer as specified under section 12 of the Act (except the Chancellor and the Vice-Chancellor) by promotion or otherwise and has been engaged in teaching for not less than twenty years and holds a lien on a post in the Vishwavidyalaya shall also be a teacher, under this Statute. Besides this, an employee is assigned the work relating to NSS, NCC or Liason and Sports or Administrative job of any nature. In the interest of Vishwavidyalaya shall also be treated as teacher under this statute.

(2) A teacher shall be eligible to impart instruction and/or conduct or guide research and/or extension programme including of Krishi Vigyan Kendra's only up to such standard for which he is recognized as such in accordance with the Regulations made by the Board in this behalf.

(3) A teacher shall perform such functions and discharge such duties as may be prescribed by Regulations by the Academic Council/ Administrative Council.

(4) The Word "Teachers/Teacher" wherever it occurs includes person engaged in Research, Extension and Krishi Vigyan Kendras activities and also the assignment given by the Vishwavidyalaya as detailed above under explanation.

2. Qualification for teachers of the Vishwavidyalaya :-

Subject to the prior approval of the Board, the academic council shall, by Regulations, prescribe the qualification for the candidates for various grades of teachers of Vishwavidyalaya.

3. Scales of pay of teachers and other terms and conditions of their service.-

(1) Subject to the prior approval of the State Government, the pay scale of the teachers of the Vishwavidyalaya shall be such as may be declare by the University Grant Commission from time to time:-

(a)	Professor & Head of the Department (By direct Recruitment)	(Scale of pay for each categories of teachers shall be filled up by the Administrative Department in consultation with the Vice Chancellor)
(b)	Professor	
(c)	Associate Professor (Selection Grade)	
(d)	Assistant Professor (Selection Grade)	
(e)	Assistant Professor (Senior Grade)	
(f)	Assistant Professor	

(2) On the specific recommendations by the Selection Committee supported by reasons recorded in writing, the Vice Chancellor, in consultation with the State Government may, sanction a higher initial salary;

(a) Not exceeding seven advance increments over the initial pay in the scale of the post to which appointment is made; or

(b) In the case of candidate already employed, his pay elsewhere shall be protected as per provisions of fundamental rule of the Government of Madhya Pradesh.

NOTE – All cases in which advance increments are granted under clause (a) and pay has been protected under clause (b) shall be duly reported to the Board.

(3) Subject to the provisions of the Act and this Statute the other conditions of service of the Teachers of the Vishwavidyalaya shall be such as may be prescribed by the Vishwavidyalaya.

(4) All salaried Teachers of the Vishwavidyalaya shall be whole time teachers and shall be entitled to leave, and allowances and other benefits as may be prescribed in this behalf by the Board from time to time for its employees with the prior approval of the Government of Madhya Pradesh.

STATUTE NO. 15

Responsibilities and Duties of the Heads of Department and

Sections of Colleges and other officers

1. Responsibilities and duties, etc., of Heads of Departments at Head Quarter/ Heads of Sections in teaching at colleges. Associate Director Research / In charge of Research Stations and In charge of Krishi Vigyan Kendras.

A Department is the primary unit of teaching, research and extension in a particular field of knowledge within a Faculty. The responsibilities and duties of the Head of Department/ Head of Sections/ Associate Director Research or In charge of Research station/ Krishi Vigyan Kendras shall be as follows:-

(a) They shall be responsible to the Dean of Faculty as well as to Director Instruction Student's Welfare for organization of the teaching in the Department, for the quality and efficient progress of the work related therewith and for the formulation and execution of Departmental policies as they affect the Department.

(b) They shall report on the teaching, research and extension work of the department/ Dean/ Unit to the Zonal Dean of college concerned with copies to respective Dean of faculties and Directors, as the case may be.

(c) They shall have complete supervision of the work of Unit/Department.

(d) They shall prepare the Departmental/Unit budget and be responsible for proper utilization of funds allotted and generating receipts and for the care of departments/units property.

(e) They shall regularly call meetings of the staff of departments/Units for discussion on policies, events procedures assigned to the department/unit and inform staff members of the Department/Unit regarding the nature and scope of the work to be undertaken in order to maintain work culture amongst all staff.

(f) They shall exercise such powers and discharge such duties as may be delegated or entrusted to them by the officers of the Vishwavidyalaya through respective Dean of faculty or Directors, as the case may be.

STATUTE NO. 16

Conditions of Service, leave and Emoluments

of other Employees

1. Other Employees of the Vishwavidyalaya and their conditions of Service etc.-

Service personnel:- The Vishwavidyalaya shall employee such other service personnel other than those hereinbefore mentioned, as may from time to time be needed to carry on the activities of the Vishwavidyalaya. The pay scale, qualifications for recruitment, posts which are to be treated as point of entry posts, conditions of services and duties to be performed by such service personnel shall be such as may be prescribed by the Board on recommendation of the Administrative Council. Such service personnel shall be under the control of the respective officers concerned of the Vishwavidyalaya and shall be responsible to them.

Provided that appeal, against punishments or adverse service conditions, shall be preferred by the personnel to such authority and in such manner as may be laid down by the Board.

2. Additional work by Vishwavidyalaya employees :-

(a) An employee of the Vishwavidyalaya shall be entitled to additional remuneration for work done for Vishwavidyalaya in addition to his regular prescribed duties, at such rate as prevalent in the Government of Madhya Pradesh for respective cadres.This additional remuneration shall be granted by the Comptroller after getting approval from the Vice-Chancellor.

(b) An employee of the Vishwavidyalaya (including an officer, teacher or service personnel) shall not engage himself/herself in activities outside the Vishwavidyalaya. When any such activity is prejudicial to the interests of the Vishwavidyalaya, the Vishwavidyalaya shall proceed against such employee who is found violating prescribed norms of conduct rules adopted by the Vishwavidyalaya.

3. **Leave:** - All the Employees of the Vishwavidyalaya shall be governed by such leave rules, which are applicable to the servants of State Government relating to an equivalent cadre or grade.

STATUTE NO. 17

Provident Fund Scheme

1. Definitions-

In this statute unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009);

(b) `Committee` means the Committee constituted under this statute for the administration of the Fund;

(c) 'Continuous Service' means uninterrupted service as defined in the rules of the Government of Madhya Pradesh;

(d) 'Employee' means a person in the whole time service of the Vishwavidyalaya appointed as per provisions of Statutes to a permanent or temporary post but does not include a person on deputation or engaged on daily wages or work-charged establishment or on contract basis;

(e) 'Family' means a family as defined in the rules of Government of Madhya Pradesh;

(f) 'Fund' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Contributory Provident Fund;

(g) 'Salary' in relation to an employee means, monthly salary and includes all fixed allowance payable to the employee;

(h) 'Section' means Section of the Act;

(i) 'Subscriber' means a employee on whose behalf amount of subscription is deposited under the statute;

(j) 'State Government' means, Government of Madhya Pradesh;

(k) 'Vishwavidyalaya' means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya;

(l) 'Year' means the financial year as defined in a Treasury Code and Financial Code of the Government of Madhya Pradesh;

(m) Words and expressions used but not defined in the statute shall have the same meanings as assigned to them in the act.

2. Administration of Provident Fund Account and Audit:-

(i) The fund shall be held by the Vishwavidyalaya and shall be administered by a Committee of Trustees constituted by the Vice-Chancellor comprising of the Vice-Chancellor, Registrar, Comptroller , and at least two representative of the employees to be nominated by the Vice-Chancellor. The Committee can also co-opt the services of a Chartered Accountant.

(ii) All money belonging to the Fund shall be deposited in the State Bank of India or in such Nationalized Scheduled Banks as may be decided in this behalf by the Committee or invested in the securities of State Governments or Central Government in the name of Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, "Contributory Provident Fund" which shall be operated by the Comptroller and one or more persons jointly as may be nominated by the Committee.

(iii) The Accounts of the Fund shall be made up yearly as at the 31st March and an audited statement of accounts shall be submitted to the meeting of Committee to be held not later than the 31st August, in every year or within two month of the annual account audited whichever is later and a copy of such statement shall be made available to the subscribers as may be after such meeting.

(iv) The accounts of the fund shall be audited by the same authority who audits the accounts of the Vishwavidyalaya or by a Charted Accountant appointed by the Vishwavidyalaya .

(v) At every meeting of the Committee, the Vice-Chancellor or in his absence the Registrar or in the absence of both, the Comptroller, shall preside .The presence of at least three members shall be necessary to for a quorum for the transaction of business. Each member shall have one vote and in case of equality of votes, the presiding officer shall have casting vote.

3. Subscription to the Fund :-

(i) Every employee of the Vishwavidyalaya as defined in clause 2(d) of this Statute shall be entitled and required to become a subscriber to the Contributory Provident Fund from the beginning of the month, following that in which he had completed one years continuous service, except those absorbed in this Vishwavidyalaya from the Jawaharlala Nehru Krishi Vishwavidyalaya service under Section 57 of the Act and have opted for Pension under Contributory Provident Fund Scheme of retirement benefit:

Provided that an employee who has been admitted to the benefits of the Provident Fund in terms of the above provisions shall have the option within 60 (sixty) days of his completing one years continuous service to make subscription from the date of his appointment in the Vishwavidyalaya and in that case the Vishwavidyalaya shall also contribute to his account the sum at such rate as prescribed under this statute. The arrears of subscription shall be recovered in suitable monthly installments:

Provided further that nothing in this sub-clause shall apply to an employee employed on deputation or engaged on contract basis or on daily wages or work-charged establishment.

(ii) Employees excluded by the sub-clause (i) above and any other person in receipt of pay other than casual remuneration from the Vishwavidyalaya may also subscribe to the Fund, and their funds shall be regulated as per Employees Provident Fund Act, 1952.

(iii) The subscriber shall subscribe monthly to the Fund at such rate of his pay not being less than 10% as may be fixed by him from time to time. The application for fixing the rate of subscription shall be made in the form prescribed by the Vishwavidyalaya. Such subscription shall be deduccted by the Vishwavidyalaya from the salary payable to the subscriber every month. The Vishwavidyalaya's contribution will remain fixed as provided by this statute.

(iv) Within the above limits, the subscriber can change the rate of subscription with effect from the commencement of each financial year.

(v) The rate of subscription once fixed shall remain unaltered throughout the year.

(vi) Notwithstanding anything contained in sub clause (iii) to (v) of this clause, the employees shall subscribe monthly to the Fund, such portions of the Dearness Allowance as may from time to time be directed by the Comptroller in this behalf. No contribution shall be payable by the Vishwavidyalaya on account of such subscription.

(vii) The subscription of a employee who proceeds on unauthorized leave or placed under suspension shall not be made during his period of suspension or unauthorized leave. However, if he is honorably acquitted or reinstated on full pay or his unauthorized absence is regularized then, full contribution will be recovered from him for the period of suspension or leave period and the Vishwavidyalaya contribution will be payable as per provisions of this statute.

(viii) Save as otherwise provided, the Vishwavidyalaya shall contribute to the Fund every month 10% of the salary of each subscriber as employer's contribution to the fund, provided that no such contribution shall be made by the Vishwavidyalaya in respect of a subscriber who has been permitted to subscribe additional funds under sub clause (vi).

4. **Interest:** The Vishwavidyalaya shall, on the 31st day of March every year or as soon as thereafter as may be possible;

(a) Prepare an account of the total interest accrued and received on the investment of the Fund during the year;

(b) determine and notify with the approval of Vice-Chancellor of the Vishwavidyalaya the rate at which interest shall be allowed during the year on all deposits standing to the credit of every subscriber of the Fund;

(c) credit the amount of interest due to every subscriber based on the balance monthly products of each subscriber's account during the preceding year; and

(d) calculate interest on all sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber which shall be payable for a period of six months beyond the date of retirement/ resignation/ termination/ death:

Provided that interest shall be paid up to a period of one year from that date if the delay in payment is found to be on the part of the Vishwavidyalaya.

5. Withdrawals from the fund and recoveries :-

The Comptroller with the prior approval of the Vice-Chancellor may grant a temporary advance, not exceeding in any case, the subscriber's own subscription and interest thereon out-of the amount standing to his credit in the fund. This may be granted to a subscriber on application, subject to the conditions as laid down by the Government of Madhya Pradesh for withdrawal of advance and repayment of amounts withdrawn under General Provident Fund rule.

6. Payment of amount standing to the credit of the Subscriber :-

(i) The sum standing to the credit of a subscriber shall become payable on his quitting the service by way of resignation, termination, dismissal, death, retrenchment and/or retirement:

Provided that if the Vice-Chancellor so directs, there may be deduction from the fund and paid to the Vishwavidyalaya any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Vishwavidyalaya up to the total amount contributed by Vishwavidyalaya to his account including the interest credited in respect thereof:

Provided further that, where the subscriber has been dismissed from his employment on account of gross misconduct or gross negligence, the whole or any part of the amount of employer's contributions together with interest credited in respect thereof shall not be paid.

(ii) No employee shall be entitled to receive the amount contributed by the Vishwavidyalaya on his behalf and the interest thereon unless he has been in the service of the Vishwavidyalaya for a continuous period of five years from the date he has been permitted to subscribe to the provident fund at the rate prescribed in clause 4 (iii) and that he has been permitted to resign or has retired or has died or has been retrenched.

Explanation - The Contributory Provident Fund account shall be closed on the day, the above event takes place.

7. Nominations :-

Every subscriber shall as soon as may be after joining the fund send to the Vishwavidyalaya office a nomination conferring, in the event of his death, on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund. To regulate the cases for nominations and disputes, if any, the Vishwavidyalaya shall follow the rules prevalent in the State for Government Servant of Madhya Pradesh.

8. **Expenses of the Fund :-**

All expenses relating to the administration of the Fund including the pay and allowances of the staff appointed for the purpose of administering the Fund shall be borne by the Vishwavidyalaya and shall not be charged to the Fund.

9. **Powers of the Committee :-**

(1) For matters not provided in this statute the Committee may exercise such powers, as it may deem necessary, for the administration of the Fund.

(2) The Committee may also prepare supplementary Regulations and adopt the same with the approval of the Board:

Provided that the Committee shall, in exercise of its powers, prepare Regulations in accordance with the provisions of the Provident Fund Act, 1925 or the Employees Provident Fund Act, 1952 and the scheme or the rules framed thereunder.

10. **Pension and Gratuity under Contributory Provident Fund Scheme :-**

Employees who have opted for pension and gratuity under Contributory Provident Fund Scheme before formation of this Vishwavidyalaya with effect from 01.04.1987 or thereafter shall continue to be governed by the said scheme and draw pension and gratuity. Regulations for pension and gratuity for the benefits of teacher and service personnel shall be the same as the Scheme therefore prevalent in Jawaharlala Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur existed, as on 01.04.1987:

Provided that employees appointed with effect from 01.01.2005 and thereafter shall be governed by " Paribhashit Anshdan Pension Yojna" as amended from time to time and notified by the Government of Madhya Pradesh and adopted by Jawaharlala Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur as well as by this Vishwavidyalaya to regulate pension and gratuity from the aforesaid date.

STATUTE NO.18
Academic Programmes, Admission and Performance, Conduct and Discipline of Student and other Provision

1. **Definitions**

In this statue, unless the context otherwise requires –

(a) "Academic Year/ session" means a two semesters period during which a cycle of educational work is completed as per the academic calendar/ semester schedule notified by the Vishwavidyalaya.

(b) "Act" means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No.4 of 2009);

(c) "Semester" means a period of 105 working days. Out of which 85 days shall be devoted for teaching. There shall be two semesters in an academic-year;

(d) "Section" means the section of the Act;

(e) "Curriculum" means a series of courses distributed in semesters, selected and designed by the respective faculty to provide training to meet the requirement of a degree;

(f) "Credit" means contact time per week devoted by a student to class, laboratory, or field work that is to say-

(i) "One Credit" one theory of 45 minutes or one practical of 90 minutes per week;

(ii) "Two Credit" two theory of 45 minutes or two practical of 90 minutes per week; and similarly for Three or Four credits.

(g) "Course" means a series of classes and work experiences of specific subjects, extended over a semester and being as integral and specific part of a curriculum;

(h) "Vishwavidyalaya" means the Rajmata Vijaya Raje Scindia Krishi Vishwavidyalaya;

(i) Words and expressions used but not defined in this Statute shall have the meanings as assigned to them in the Act.

2. Vishwavidyalaya Calendar for teaching :-

(i) The academic year shall normally commence on or after 1st July every year.

(ii) Each semester shall consist of about 105 working days out of which a minimum of 85 days shall be devoted to teaching. At least 80% of the scheduled classes must be held in a semester.

(iii) The Vishwavidyalaya shall publish, prior to the beginning of an Academic year, Information Booklet for students containing details as under-

(a) Calendar of teaching for the Academic Session;

(b) Minimum admission requirements for various degrees, seats available for admission in various colleges;

(c) Schedule of fees to be paid by a enrolled students;

(d) Scholarships, Financial assistance as provided by the Vishwavidyalaya as well as by other agencies from which students may meet their financial requirements;

(e) Various degrees, diplomas to be awarded by the Vishwavidyalaya and the requirements there of;

(f) Regulations for continuance, dropping and readmission of students;

(g) Attendance requirements for each student;

(h) Hostels and other residential accommodation for students;

3. Admission of students afresh to the Vishwavidyalaya :-

(i) Intending candidates for seeking admission to various degree courses of the Vishwavidyalaya must possess, the minimum admission requirements prescribed by the Academic Council of the Vishwavidyalaya from time to time.

(ii) Intending candidates for seeking admission to the Vishwavidyalaya shall possess good moral habits and such other personal and physical pre requisites as may be determined by the Academic Council from time to time.

(iii) Candidates selected afresh to various courses of the Vishwavidyalaya shall be informed by Registered Post and their names shall also be displayed on the Notice Board in the manner as may be prescribed from time to time by the Academic Council.

4. Students performance and Evaluation thereof :-

(i) The academic performance and achievements of the students shall be assessed through mid-term and final theory examination and evaluation of laboratory/ field work in accordance with the rules/ regulations framed by the Academic Council from time to time;

(ii) The minimum 50% passing marks in individual theory papers and practical separately shall be compulsory and weightage shall be given to theory and practical examination which shall be decided by the faculty concerned;

(iii) Evaluation of student will be done on 10 point scale as approved by the Academic Council of the Vishwavidyalaya with minimum Grade Point Average (GPA) of 5.00 and 6.00 for passing a course/subject at under graduate level and post graduate level, respectively;

(iv) A student obtaining Overall Grade Point Average (OGPA) of 5.50 at Bachelor's degree or 6.50 at Master's or 7.00 and Ph.D. degree on 10.00 scale at the end of degree programme and on completion of other requirements as laid down by the faculty, shall be eligible for the award of respective degrees.

5. Placement on Academic Probation continuance and dropping :-

(i) An enrolled student shall be placed on Academic probation as per regulation laid down by the Academic Council. When a student is placed on probation, the Dean of the concerned College shall give intimation to this effect to all concerned including the parents of the students, Continuance of a student on the college roll shall be regulated as per rules laid down by the Academic Council from time to time.

(ii) A student who fails to secure status for registration of next higher class in two consecutive academic sessions, shall also be entitled for readmission in the III[rd] academic session. Further, if he/she fails to complete the minimum requirements of the various degrees within the stipulated time limit fixed by the Academic Council, shall be liable for dropping from the rolls of the Vishwavidyalaya.

6. Conduct and Discipline :-

(i) The students enrolled in the Vishwavidyalaya are required to maintain exemplary character, good conduct and disciplined behavior at all times within and outside the College or Vishwavidyalaya in all sphere of their activities.

(ii) The student of the Vishwavidyalaya shall not take part in political activities and shall not organize themselves in groups or associations that are against the interest and proper functioning of the Vishwavidyalaya.

(iii) The Dean of the concerned college shall have the overall responsibility for the maintenance of discipline and good behavior of students within and outside college premises.

(iv) Students enrolled in the Vishwavidyalaya shall not be allowed to join service, job oriented programmes, stipendiary assignments during the residential requirement for the degree programmes. Students violating these provisions shall be liable for rustication from the Vishwavidyalaya;

7. Financial Assistance to students. :-

(i) The Vishwavidyalaya shall make regulations with the approval of Administrative Council to provide financial assistance to meritorious students and to the deserving students who are financially weak;

(ii) The Vishwavidyalaya shall raise funds by getting donations from donors/charitable trusts in order to provide financial assistance to deserving students of the Vishwavidyalaya on their requests, without prejudice to the interest of the Vishwavidyalaya;

8. **Schedule of fees for students** :-

An enrolled student shall pay such semester fees, as may be prescribed by regulations made by the Administrative Council. Fees once paid shall not be refunded However, it can be adjusted or refunded if, the omission is on the part of the Vishwavidyalaya.

STATUTE NO. 19

Awards of Degrees, Diplomas and Certificates and requirements

1. **Bachelor's degree requirements**

(i) An enrolled student on completion of minimum residential requirements and prescribed courses laid down by the respective faculty shall be eligible for the award of Bachelor's degree. The degree programmes conducted by the Vishwavidyalaya are as under;

(a) Bachelor of Science (Agriculture)	B.Sc. (Agriculture)- 4 years degree Course
(b) Bachelor of Science (Horticulture)	B.Sc. (Horticulture) -4 years degree Course
(c) Any other Bachelors Degree in the field of agriculture and related fields as approved by the Board of the Vishwavidyalaya.	

(ii) An enrolled student of Bachelor's degree shall be required to study series of courses (curriculum) prescribed by the respective Faculty and approved by the Academic Council so as to provide opportunities to student to gain basic and usable knowledge which should make him capable of dealing reasonable well with all facts of relevant subject and rural life. The curriculum shall include courses in -

(a) basic science and humanities;

(b) basic and specialized subjects of the faculty-fields related thereto; and

(c) special professional and/or vocational subjects.

(iii) A student in order to earn a Bachelor's degree shall, according to prescribed standards have completed in the Vishwavidyalaya, the course credits prescribed by regulations for the particular degree and shall have earned an Overall Grade Point Average (OGPA) of at least 5.50 out of 10.00 scale.

2. **Award of Post Graduate Degree and requirements thereof** :-

(i) An enrolled student on completion of minimum residential requirements and prescribed courses, laid down by respective faculty shall be eligible for the award of Post Graduate degree as under:

(a)	Master of Science (Agriculture)	M.Sc. (Agriculture)	2 year degree course
(b)	Master of Science (Horticulture)	M.Sc. (Horticulture)	2 year degree course
(c)	Doctor of Philosophy (Agriculture)	Ph.D.(Agriculture)	3 year degree course
(d)	Doctor of Philosophy (Horticulture)	Ph.D. (Horticulture)	3 year degree course
(e)	Any other Master/Ph.D. Degree in the field of agriculture and related fields as approved by the Board of Vishwavidyalaya.		

(ii) An enrolled student of Post Graduate degree shall be required to study series of courses prescribed by the respective faculty and must earn minimum 6.50 Overall Grade Point Average(OGPA) at Master level and at Ph.D. level out of 10.00 scale to obtain the degree.

(iii) Post Graduate students are also required to submit a thesis or project report or both, on the basis of research problem/project allotted by the Advisory Committee and approved by the Faculty/ Director of Instruction.

3. Honorary Degree :-

In the best interest of the Vishwavidyalaya, Honorary degree may be conferred to an Eminent Scientist or Distinguished person on the recommendation of the Academic Council and Board and shall make such recommendations to the Chancellor as it deems to be necessary in the best interest of the Vishwavidyalaya.

4. Diplomas and Certificates:-

The Vishwavidyalaya may, in accordance with the Regulations made by the Academic Council, award to enrolled students and to other persons who have completed non-degree work sponsored by the Vishwavidyalaya, appropriate diplomas or certificates without prejudice to the interest of Vishwavidyalaya.

5. Holding of Convocation :-

Convocation shall be held to confer degrees once in a year or as early as possible by the Vishwavidyalaya according to the Additional Statute to be made for the purpose.

6. **Withdrawal of Degree, Diplomas etc:-**

The Vishwavidyalaya can withdraw a degree, diploma, certificate or other distinctions conferred on a person, if the interest(s) of the Vishwavidyalaya are adversely affected, with the prior approval of Academic Council and Board. However, for withdrawal of Honorary degree, concurrence of the Chancellor shall be mandatory.

STATUTE NO. 20

Provision of Housing Accommodation for Employees and Hostel for Students and other Facilities

1. **Housing and other facilities for employees:-**

(i) The Vishwavidyalaya may procure, construct, take on lease, such number of houses for the use of Vishwavidyalaya employees, as may be determined by the Board to be necessary for the proper functioning of the Vishwavidyalaya employees. The Administrative Council shall make necessary Regulations for the housing matters of the staff.

(ii) As recommended by the Administrative Council, the Board may provide and operate for employees of the Vishwavidyalaya health, recreational and other ancillary facilities. All such facilities shall be administered by the Administrative Council according to the Regulations made.

2. Cafeterias and other conditions of accommodation for students :-

(a) An enrolled student of the Vishwavidyalaya shall live in-

(i) His own home or the home of his parents or at a place where the college situated;

(ii) A Vishwavidyalaya hostel or approved accommodation for students.

(b) The Regulation shall be made by the Academic Council on this subject.

(c) The Vishwavidyalaya shall provide and operate for enrolled students of the Vishwavidyalaya such cafeterias, health, facility recreational, shopping and other ancillary facilities as may be deemed necessary, by the Board to be in the best interests of the students of the Vishwavidyalaya. The Administrative Council shall in consultation with the Academic Council make Regulations for such purpose. The regulations shall be administered by the Dean of Students Welfare and by such other persons as may be designated by him with the approval of the Vice Chancellor.

3. Vishwavidyalaya hostels for students :-

(i) The Vishwavidyalaya shall provide and operate hostels as may be deemed necessary by the authorities in the best interest of the Vishwavidyalaya students and it may also provide other housing facilities for enrolled students of the Vishwavidyalaya;

(ii) An enrolled student who occupies a Hostel or other facility of the Vishwavidyalaya shall pay, prior to the beginning of semester, to the Vishwavidyalaya such hostel fee as may be determined by the Administrative Council.

(iii) The Board may grant exemption from payment of the hostel fee to an indigent person or student as it may deem fit;

(iv) The Academic Council shall make Regulations for the management of hostels and other matters related thereto and such Regulations shall be administered by the Dean of Students Welfare. The Regulations so made shall provide for maximum participation of enrolled students in the management of hostels occupied by them which is consistent with good management of a Vishwavidyalaya facility;

(v) For the purpose of this statute, the hostel fee shall include messing charges.

STATUTE NO. 21
Alumni Association

1. **Alumni Association related to Vishwavidyalaya** :-

(a) There may be exist but not as an official authority of the Vishwavidyalaya, an organization to be known as the Vishwavidyalaya Alumni Association. Only persons who have received and continue to hold a degree from the Vishwavidyalaya shall be eligible for full membership in the Association. The Vishwavidyalaya degree holders, under the guidance of the Vice-Chancellor, may establish such an association with constitutional byelaws approved by the Board;

(b) A man of eminence may be adopted as patron of the Alumni Association.

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2014

अनंतिम अधिसूचना

क्र. एफ 4(सी)1-13-ए-16.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 5 की उपधारा (1) एवं खण्ड (ब) के अन्तर्गत श्रम विभाग की समसंख्यक प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)-1-93 श्रम सोलह-ए, दिनांक 29 जनवरी 1994 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-1-94-सोलह-ए-दिनांक 7 जून, 1997 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 4(सी) 1-84-सोलह-ए, दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग एक की प्रविष्टि क्रमांक 2 में उल्लेखित **तम्बाकू** (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन में न्यूनतम वेतनदरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करता है तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इस प्रस्ताव से प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दो माह पश्चात् विचार किया जावेगा :—

प्रस्ताव

कर्मचारियों के वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर (3)
1. **बीड़ी रोलर** (1000 बीड़ी बेलने के लिये)	रुपये 92.00 किन्तु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो, तो उसे अधिसूचना के परिशिष्ट में बताये गये शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.	न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल से प्रति बिन्दु प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से देय होगा. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक 1 वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

2. **रिलाई श्रमिक**

(अ) बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाने :—

कर्मचारियों के वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर (3)
(1) लेबल चिपकाने तथा पूड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य.	रु. 52.39 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.
(2) यदि कट्टे पर दोनों और लेबल लगाया जाता है.	रु. 56.26 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार

(ब) झिल्ली तथा लेबल लगाने संबंधी कार्य :—

(1)	(2)	(3)
(1) झिल्ली लेबल लगाना	रु. 45.95 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.
(2) झिल्ली लगाना	रु. 33.54 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	75 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार.
(3) लेबल लगाना	रु. 12.84 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार.
(4) पूड़ा बनाना, या चिपकाना	रु. 13.25 पैसे प्रति हजार कट्टों पर.	50 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार.

(स) एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो :—

(1) आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य.	रु. 192.64 प्रति लाख बीड़ी पर.	1 रुपया प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.
(2) झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य.	रु. 213.59 प्रति लाख बीड़ी पर.	1 रुपया प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर
(3) झिल्ली तथा नक्षी झिल्ली लगाने का कार्य.	रु. 213.59 प्रति लाख बीड़ी पर.	1 रुपया प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.

(1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)		कंडिका 3 से 9 के संदर्भ में (3)
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
3. **बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले के लिए.** (क) तम्बाकू तथा तेंन्दूपत्ता देने या बीड़ियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति.	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2012 से जून, 2012 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक 6 माह में पिछले 6 माहों के औसत सूचकांक के आधार पर गणना की जाकर प्रतिबिन्दु 25 रुपये प्रतिमाह की दर से देय होगा. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.
(ख) ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति.	रु. 4945.00/-	रु. 190.00	
4. तम्बाकू मिश्रण तथा छांनने का कार्य करने के लिये.	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	

(1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)		कंडिका 3 से 9 के संदर्भ में (3)
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
5. भट्टी वाला रसोइया	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
6. ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन	रु. 5225.00/-	रु. 201.00	
ड्रायव्हर (चालक) हल्के वाहन	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
7. एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडक्लर्क.	रु. 5225.00/-	रु. 201.00	
8. टायपिस्ट, क्लर्क, बिलमेन	रु. 5075.00/-	रु. 195.00	
9. भृत्य, चौकीदार	रु. 4945.00/-	रु. 190.00	

नोट.—बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे-बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायव्हर, भारी वाहन, हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार विनियमित होंगे. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा :—

(1) **कुशल**—ड्रायव्हर (भारी वाहन), एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउनकीपर.

(2) **अर्द्धकुशल**—बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायव्हर (हल्का वाहन), टायपिस्ट, बिलमैन, क्लर्क.

(3) **अकुशल**—ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार.

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि

विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है.

2. **परिवर्तनशील महंगाई भत्ता**—(1) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिये) श्रमिकों के लिये लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर हुई वृद्धि के लिये प्रत्येक वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल से प्रति बिन्दु प्रति 1000 बीड़ी बनाने पर 01 पैसा की दर से देय होगा. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक 1 वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

(2) उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में रिलाई श्रमिक तथा बीड़ी छांटने एवं जांच करने वालों के लिये जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001=100) जनवरी, 2012 से जून, 2012 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गई परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर से की जावेगी. परिवर्तशील महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा. एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा.

4. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाले कच्चा माल तम्बाकू तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.

5. गारेन्टेड वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.

6. यदि कर्मचारी अनिच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारेन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

7. जो कर्मचारी उसे दिये गये कच्चे माल की मात्रा, यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता हो तो वह गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

8. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षोभ या इसके समान अन्य स्थिति में, जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी गारेन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

9. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल्य न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है. यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे.

10. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है.

11. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये की गुणांकों को पूर्णांक राउण्डअप कर ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-7-2006-नियम-चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ 2-1-2012-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (पैंतालीस-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्धारण के परिवर्तन और प्रीमियम के अधिरोपण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

1. इन नियमों में "संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959).

2. ये नियम दिनांक 30 दिसम्बर 2011 से लागू होंगे :

परन्तु 30 दिसम्बर 2011 से इन नियमों का राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख तक की कालावधि के दौरान व्यपवर्तित भूमि की दशा में, प्रीमियम का अधिरोपण तथा निर्धारण का नियतन, 30 दिसम्बर 2011 को प्रचलित नियमों के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा मानो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 42 सन् 2011) पारित ही नहीं हुआ हो.

क-निर्धारण में परिवर्तन

3. जब ऐसी भूमि, जो पहले से ही कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित हो और उसी आधार पर पुनर्निधारित हो, कृषि के प्रयोजन के लिए पुन: व्यपवर्तित की जाती है तो इस प्रकार पुन:नियत किया गया निर्धारण भूमि के उस कृषि निर्धारण के बराबर होगा जो अंतिम बंदोबस्त के समय निश्चित हुआ हो.

4. जब ऐसी भूमि का, जो पहले से ही कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित हो और उसी आधार पर निर्धारित हो, कृषि के प्रयोजन के लिए पुन: व्यपवर्तित की जाती है और इस संबंध में आश्रय लेने के लिए कोई कृषि निर्धारण न हो, तो पुन: व्यपवर्तन पर निर्धारण उसी दर से निश्चित किया जाएगा जो कि उसी गांव में या पड़ोस के गांव में वैसी ही मिट्टी के लिए अंतिम बंदोबस्त के समय स्वीकृत की गई हो.

5. नियम 3 और 4 के अधीन निश्चित किया गया निर्धारण गांव के अगले उत्तरवर्ती बंदोबस्त तक प्रभावशील रहेगा.

6. यदि कोई भूमि, जिसका निर्धारण किसी एक प्रयोजन के उपयोग के लिए हुआ हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जाती है, तो उस पर निर्धारण को पुनरीक्षित किया जाएगा और भू-राजस्व को, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दरों से निश्चित किया जाएगा:

परन्तु जहां भूमि, एक से एक अधिक कृषि से भिन्न प्रयोजनों (मिश्रित उपयोग) से व्यपवर्तित की गई हो, उस पर निर्धारण अनुसूची में विनिर्दिष्ट इन प्रयोजनों के उपयोग के अनुपात में नियत किया जाएगा.

ख-प्रीमियम का अधिरोपण

7. जब कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये निर्धारित कोई भूमि, कृषि के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है तो संहिता की धारा 59 की उपधारा (5) के अधीन कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

8. यदि कोई भूमि, जिसका निर्धारण किसी एक प्रयोजन के उपयोग के लिए हुआ हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित की जाती है तथा उस पर नियम 6 के अधीन भू-राजस्व नियत किया गया है, तो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार, कालम (3) में विनिर्दिष्ट ततस्थानी दरों पर प्रीमियम अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु पूर्त प्रयोजनों हेतु किसी भूमि के लिए व्यपवर्तन के लिए कोई प्रीमियम अधिरोपित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि नगरेत्तर क्षेत्रों में, ऐसी कृषि भूमि पर, जो कि निवासगृहों के लिए आवासीय प्रयोजनों में व्यपवर्तित की गई हो, यदि व्यपवर्तित भूमि का क्षेत्रफल एक सौ वर्ग मीटर से अनधिक हो, कोई प्रीमियम देय नहीं होगा.

9. उस दशा में, जब कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित भूमि कृषि या अन्य प्रयोजनों के लिये पुनः व्यपवर्तित की जाए, तो भूमि का धारक अथवा उसके स्वत्वाधिकार का उत्तराधिकारी व्यपवर्तन के लिए पूर्व में भुगतान किए गए प्रीमियम की रकम को वापस पाने अथवा मुजराई का हकदार नहीं होगा.

10. व्यपवर्तन के कारण निर्धारण में हुए समस्त परिवर्तन, अधिकार अभिलेख में तथा धारा 114 के अधीन विहित अन्य अभिलेखों में प्रविष्ट किए जाएंगे और यथास्थिति, सर्वेक्षण संख्यांक अथवा भू-खण्ड संख्यांक के संबंध में भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे.

अनुसूची
(नियम 6 तथा 8 देखिए)

अनुक्रमांक (1)	भूमि का उपयोग (2)	प्रीमियम की दर (3)	भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण हेतु दर (4)
1	निवासगृह के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत
2	शैक्षणिक प्रयोजन के लिए (क) यदि व्यपवर्तित क्षेत्र एक हेक्टेयर तक हो.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत
	(ख) यदि व्यपवर्तित क्षेत्र एक हेक्टेयर से अधिक है तो अतिरिक्त भूमि के लिए.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत
3	औद्योगिक प्रयोजन के लिए	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत
4	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.4 प्रतिशत
5	धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट खनि प्रयोजन के लिए.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत
6	पूर्त प्रयोजन के लिए	कोई प्रीमियम उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा.	कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत

स्पष्टीकरण.—(1) उपरोक्त अनुसूची के अनुसार प्रीमियम तथा निर्धारण की गणना हेतु समस्त भूमि को सिंचित कृषि भूमि के रूप में माना जाएगा.

स्पष्टीकरण.—(2) 'पूर्त प्रयोजन' से अभिप्रेत है, शारीरिक और अथवा मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए संस्था/अनाथाश्रम स्थापित करना, लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा अधिसूचित करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ 2-1-2012-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-1-2012-सात-शा. 6, दिनांक 10 जुलाई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 10th July 2014

No.F-2-1-2012-VII-Sec.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (XLV-a) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this Department's Notification No. 175-6477-VII-N (Rules) dated 6th January, 1960, the State Government, hereby makes the following rules regarding alteration of assessment and imposition of premium, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely:—

RULES

1. In these rules "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

2. These rules shall be applicable from 30th December, 2011:

Provided that in case of land diverted during the period from 30th December, 2011 to date of publication of these rules in the Official Gazette, the imposition of premium and fixation of assessment shall be done in accordance with the rules prevailed on 30th December, 2011 as if the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2011 (No. 42 of 2011) had not been passed.

A-ALTERATION OF ASSESSMENT

3. When land already diverted to a non-agricultural purpose and re-assessed on that basis is re-diverted to an agricultural purpose, the assessment as re-fixed shall be equal to the agricultural assessment on the land as fixed at the last settlement.

4. When land already diverted to a non-agricultural purpose and assessed on that basis is re-diverted to an agricultural purpose and there is no agrcultural assessment to fall back upon, the assessment on re-diversion shall be fixed at the rate adopted for similar soil in the same village or in a neighbouring village at the last settlement.

5. The assessment fixed under rule 3 to 4 shall remain in force till the next succeeding settlement of the village.

6. Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose, the assessment thereon shall be revised and the land revenue shall be fixed in accordance with the rates specified in column (4) of the Schedule appended to these rules:

Provided that where land is diverted into more than one non-agricultural purpose (mixed use), the assessment thereon shall be fixed in proporation to the uses of these purposes specified in the Schedule.

B-IMPOSITION OF PREMIUM

7. When the land assessed for any non-agricultural purpose is diverted to any agricultural purpose no premium shall be imposed under sub-section (5) of Section 59 of the Code.

8. Where land assessed for use for any one purpose is diverted to any other purpose and land revenue is fixed thereon under rule 6, the premium shall be imposed according to the purposes specified in Column (2) to the corresponding rates specified in Column (3) of the schedule appended to these rules:

Provided that no premium shall be imposed for the diversion of any land for charitable purposes:

Provided further that no premium shall be payable on agricultural land diverted into residential purposes for dwelling houses, in non-urban areas, if the area of diverted land is not exceeding one hundred square meter.

9. In the event of the land diverted to non-agricultural purposes being re-diverted to an agricultural or any other purpose, the holder of the land or his successor-in-title will not be entitled to get a refund or set off of the amount of premium already paid for diversion.

10. All changes in assessment on account of diversion shall be brought on the record-of-rights and other record prescribed under Section 114 and necessary corrections shall also be made in respect of the survey numbers or plot numbers, as the case may be.

SCHEDULE

(See rule 6 and 8)

S. No.	Use of land	Rate of Premium	Rate for re-assessing the land revenue
(1)	(2)	(3)	(4)
1	for residential purpose for dwelling house	1% of market value of agricultural land	0.2% of the market value of agricultural land
2	for educational purpose— (a) if the area diverted is up to 1 hectare.	1% of market value of agricultural land.	0.2% of the market value of agricultural land.
	(b) for exess land, if the area diverted is more	0.5% of market value of agricultural land.	0.1% of the market value of agricultural land.
3	for industrial purpose	1% of market value of agricultural land.	0.2% of the market value of agricultural land.
4	for commercial purpose	2% of market value of agricultural land.	0.4% of the market value of agricultural land.
5	for mining purpose specified	1% of market value of	0.2% of the market value of

(1)	(2)	(3)	(4)
	in clause (f) of sub-section (1) of Section 59.	agricultural land.	agricultural land.
6	for Charitable Purpose	no premium shall be levied	0.2% of the market value of agricultural land.

Explanation—(1) For the calculation of premium and assessment according to Schedule above, all land shall be treated as irrigated agricultural land.

Explanation—(2) " Charitable purpose" means establishing institute for physically and or mentally challenged, orphanages, hostels for girls and working women, old age homes, developing sports facility and any purpose which the State Government may so notify by an order.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.